राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 2 सोलहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का अट्ठाईसवां दिवस संख्या: 17

मंगलवार,

30 जुलाई 2024

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी,अध्यक्ष,पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्षः प्रश्न काल। श्री बहादुर सिंह।

वैर के पशु चिकित्सालयों में लैबोरेटरी की सुविधा

286. श्री बहादुर सिंह (वैर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1 क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र वैर में संचालित पशु चिकित्सालयों व उप-केन्द्रों में लैबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध नहीं है? यदि हां तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित पशु चिकित्सालयों व उप-केन्द्रों में नवीन लैबोरेटरी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) विधान सभा क्षेत्र वैर के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, वैर एवं प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, भुसावर के अतिरिक्त अन्य किसी भी पशु चिकित्सालय एवं उप-केन्द्र में पशुओं की जांच के लिए लैबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन स्थानों पर वर्तमान में प्राथमिक रोग निदान प्रयोगशालाएं (लैबोरेटरी) स्वीकृत हैं। प्रदेश की प्रत्येक पशु चिकित्सा संस्था में पशुओं की जांच हेतु रोग निदान प्रयोगशालाएं स्थापित किया जाना वर्तमान में आवश्यक नहीं है।

(2) जी नहीं। प्रदेश के प्रत्येक पशु चिकित्सा संस्था में पशुओं की जांच हेतु रोग निदान प्रयोगशालाएं स्थापित किया जाना वर्तमान में आवश्यक नहीं है। पशु रोग निदान प्रयोगशालाएं आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार खोली जाती हैं।

श्री बहादुर सिंह (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता

हूं, इन्होंने जो उत्तर दिया, उसमें लिखा है कि आवश्यकता नहीं और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर खोली जाएंगी। मेरा प्रश्न है, प्रदेश में पशु चिकित्सालयों में लैबोरेटरी खोलने के मापदण्ड क्या हैं? आपने वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के लिए बजट में अपनी मांग के दौरान वैर विधान सभा क्षेत्र में पशु रोग निदान प्रयोगशाला खोला जाना प्रस्तावित किया है। जब आपने डिमांड ही नहीं रखी तो वित्तीय संसाधनों की पूर्ति कैसे होगी, कृपया स्पष्ट करें। क्या लहना कस्बा लैबोरेटरी खोलने के मापदण्ड पूरे नहीं करता है? लहना में कब तक लैबोरेटरी खोली जायेगी? प्रयोगशाला के अभाव में पशुओं में महामारी फैलने पर विभाग की क्या कार्ययोजना है?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पशु निदान प्रयोगशालाएं ज्यादातर प्रथम श्रेणी चिकित्सालयों में खोली जाती हैं या जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं, उन्हीं में खोली जाती हैं, जिससे समुचित रूप से पशुओं का उपचार हो सके। जहां उप-केन्द्र हैं या चिकित्सालय हैं, वहां सभी जगह उनकी आवश्यकता नहीं रहती। यदि माननीय सदस्य की कोई ऐसी आवश्यकता है तो वे एक बार बताएं, जांच करवाकर यदि आवश्यकता होगी तो करेंगे।

श्री बहादुर सिंह (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैर विधान सभा क्षेत्र भरतपुर से 60 किलोमीटर पड़ता है। वहां बड़ा हॉस्पिटल है। वहां से महवा भी 50-60 किलोमीटर पड़ता है। इन्सान को तो मोटर साइकल पर, फोर व्हीलर पर बैठाकर ले जाएंगे, पशुओं को लैबोरेटरी में किस साधन से ले जाएंगे?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 20 गांव ऐसे हैं, जहां 7-8 हजार की आबादी है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछें।

श्री बहादुर सिंह (वैर): मेरा प्रश्न है, जो बड़े-बड़े गांवों में हॉस्पिटल्स हैं, वहां डॉक्टर्स नहीं हैं, वहां पशुओं में महामारी फैली हुई है, क्या माननीय मंत्री जी जहां डॉक्टर्स नहीं हैं, वहां डॉक्टर्स की व्यवस्था करेंगे?

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैर विधान सभा क्षेत्र में वैर और भुसावर में जो बड़े प्रथम श्रेणी के हॉस्पिटल हैं, वहां पशु निदान प्रयोगशालाएं संचालित हैं। दूसरी कोई आवश्यकता होगी तो माननीय सदस्य मुझे बताएं। उसकी जांच करवाकर आगे उस पर भी कार्यवाही करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि चिकित्सा अधिकारी के ज्यादातर पद रिक्त हैं। इसके लिए विभाग में पशु शिक्षा अधिकारी के 900 पदों पर नियमित भर्ती प्रकरण में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 22.10.2019 के क्रम में दिनांक 02.08.2020 को लिखित परीक्षा आयोजित कर दिनांक 26.11.2020 को परिणाम जारी किया जा चुका है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के

स्तर से साक्षात्कार सम्पन्न हो चुके हैं।

माननीय उच्च न्यायालय में वाद लम्बित होने के कारण परिणाम प्रकाशित नहीं हो रहा है। परिणाम प्रकाशित होते ही हम 900 डॉक्टरों के पद इनके यहां के रिक्त पदों सहित भरने का पूरा प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री श्रीचन्द कृपलानी।

निम्बाहेड़ा में एन.डी.पी.एस. कोर्ट की स्थापना

287. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार निम्बाहेड़ा में एन.डी.पी.एस. न्यायालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री (श्री जोगाराम पटेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से विभिन्न स्थानों पर संचालित 26 कैम्प कोर्टो को नियमित न्यायालय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुआ था, जिसमें निम्बाहेड़ा में संचालित एन.डी.पी.एस. कोर्ट संख्या-2 के कैम्प कोर्ट को नियमित न्यायालय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव भी सम्मिलित था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रस्तावानुसार प्रकरण वित्तीय संसाधन की उपलब्धता हेतु वित्त विभाग को प्रेषित किया गया, किन्तु वित्तीय संसाधन की उपलब्धता नहीं हो सकने के कारण निम्बाहेड़ा में नियमित एन.डी.पी.एस. न्यायालय की स्थापना करना सम्भव नहीं हो सका है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि निम्बाहेड़ा मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है, जहां तक मैं समझता हूं, राजस्थान में एन.डी.पी.एस. के सबसे ज्यादा मुकदमे निम्बाहेड़ा में होंगे। विशेष रूप से मंत्री जी वकील भी रहे हैं, अभी भी वकील हैं, इनके पास भी केस जाते रहते हैं हमारे यहां के, मुझे ध्यान है, इनको भी ध्यान होगा, धारा 29 एन.डी.पी.एस. में जो लगती है, उसमें कोई भी मुलजिम पकड़ा जाता है, उसमें वह 10-20 लोगों के नाम ले लेता है और पुलिस वहां पर दलाली शुरू कर देती है।

इस तरह से एक केस में 20-20, 30-30 जनों के नाम होने से निर्दोष लोगों के नाम भी आ जाते हैं, किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी होती है, उसका नाम ले लेते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): हालात खराब हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपके राज की बता रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष: आप मुझे बताएं। आप तो प्रश्न करें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहता हूं कि उन निर्दोष व्यक्तियों को राहत दिलाने के लिए, धारा 29 हालांकि अपने हाथ में नहीं है, भारत सरकार का मैटर है, लेकिन वह भी आप रिकमंड करें कि खत्म होनी चाहिये। मेरा आपसे निवेदन है कि एन.डी.पी.एस. कोर्ट खुलेगी

तो उन लोगों को, जो निर्दोष हैं, हालांकि कुछ मुलजिम भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

अभी मुख्य मंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट दिया, आपके विभाग को भी अच्छा मिला और आप कह रहे हैं वित्तीय समस्या है? मेरा प्रश्न है, क्या सरकार का एन.डी.पी.एस. कोर्ट खोलने का विचार है? यदि हां तो कब तक, यह बताएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कथन और पीड़ा सही है। इनके परिक्षेत्र में एन.डी.पी.एस. के केस काफी संख्या में होते हैं, यह बात सही है। यह बात भी सही है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 11 फरवरी, 2020 को सरकार को पत्र लिखा था कि निम्बाहेड़ा में जो कैम्प कोर्ट चल रहा है, उसे नियमित कोर्ट में परिवर्तित कर दिया जाये, परन्तु तत्कालीन समय में इस आधार पर नहीं किया कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, बजट घोषणा वर्ष 2020-21 में 48 कोर्ट्स खोलने की घोषणा की गयी थी, परन्तु जो भी कारण रहे होंगे, निम्बाहेड़ा में कैम्प कोर्ट खोलने का जो लम्बे समय से चल रहा है, वह नियमित कोर्ट के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ।

हम प्रयास करेंगे और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को पुन: पत्र लिखेंगे। यदि उनकी अनुशंसा आयेगी तो जो कैम्प कोर्ट नियमित रूप से निम्बाहेड़ा में चल रहा है, उसे परमानेंट कोर्ट के रूप में परिवर्तित करने का पूरा प्रयास करेंगे। हम माननीय सदस्य को विश्वास दिलाते हैं कि आपकी भावना की कद्र की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन ही पूछा है।

श्री अध्यक्ष: पर्याप्त उत्तर आ गया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि उच्च न्यायालय पहले इसके लिए रिकमंड कर चुका है, फिर वापस किस बात का पूछ रहे हैं आप? बजट की अब कमी है नहीं। मुझे समयबद्ध बता दें कि इतने दिन में कोर्ट खुल जायेगी।

mkd/rtm/30.07.2024/11:10/1b

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपका आग्रह वाजिब है। नियमों में बंधे हुए हैं, इसलिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को तो पुन: लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि वह 2020 का पत्र था। पर मैं आपका विश्वास दिलाता हूं कि चूंकि आपकी जनता के हित की बात है, इसीलिए कैम्प कोर्ट को नियमित कोर्ट में परिवर्तन करने का पूरा प्रयास करेंगे और शायद हो भी जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अर्जुन बामणीया।

बांसवाड़ा जिला परिषद द्वारा किये गये स्थानान्तरण

288. श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला परिषद बांसवाड़ा द्वारा विगत दो वर्षों में किन-किन पंचायत समितियों के कितने ग्राम विकास अधिकारियों एवं कनिष्ठ सहायकों के स्थानान्तरण एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्थानान्तरण किस नियम व नीति के तहत किये गये हैं?

(3) क्या यह सही है कि जिला परिषद, बांसवाड़ा द्वारा किये गये स्थानान्तरणों के कारण कई पंचायतों में एक भी ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ सहायक नहीं है? यदि हां, तो किन-किन ग्राम पंचायतों में विकास अधिकारी के पद रिक्त हैं?

पंचायती राज मंत्री (श्री मदन दिलावर): (1) जिला परिषद्, बांसवाडा द्वारा विगत दो वर्ष में 48 ग्राम विकास अधिकारियों एवं 85 कनिष्ठ सहायकों के एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानान्तरण किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 289 (2) के तहत जिला स्थापना समिति जिला परिषद बासंवाडा द्वारा ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ सहायकों के स्थानान्तरण स्वैच्छिक/प्रशासनिक आवश्यकता (Administrative Exigency) के आधार पर किये गये हैं।

(3) जी हां। ग्राम पंचायतों में विकास अधिकारी का पद सृजित नहीं हैं, ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ सहायक का पद सृजित हैं।

जिला परिषद्, बांसवाडा द्वारा किये गये स्थानान्तरणों के कारण 10 ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ सहायक कार्यरत नहीं है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, आंसर आ गया है। मैं आंसर से सन्तुष्ट हूं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): नहीं, नहीं, सन्तुष्ट हूं।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके सन्तुष्ट होने का कारण समझ लीजिये। +++

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अब उत्तर आ गया है। अगला प्रश्न, श्री अमित चाचाण। आप बैठिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): +++

श्री अध्यक्ष: बैठिये, यह प्रश्न काल है। दोनों बैठिये। ऐसे इशारे नहीं करते हैं। माननीय सदस्य, ऐसे इशारे करना, मर्यादा में रहें। आप बैठिये, मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न पूछना माननीय

सदस्य का अधिकार है। प्रश्न का जवाब देना सरकार के मंत्री महोदय की जिम्मेदारी है। एक बार प्रश्न लगने के बाद वह सदन का डोमेन है, वह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। आप सन्तुष्ट हैं, यह बहुत अच्छी बात है, सरकार के कार्यों से आप सन्तुष्ट हैं, लेकिन जो प्रश्न लगा है, उसका आंसर अगर मंत्री महोदय देना चाहते हैं तो यह मंत्री का अधिकार है। उस अधिकार को कम नहीं किया जा सकता है। आप सप्लीमेंट्री पूछें या नहीं पूछें, यह आपका अधिकार है, लेकिन मंत्री अपना जवाब देंगे। मंत्री जी, अपना जवाब दीजिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपने व्यवस्था दे रखी है।

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था देना मेरा काम है। एक मिनट, यह प्रश्न वैसे रिकॉर्ड में, उत्तर आते ही रिकॉर्ड में आ जाता है। सारा सदन सुने, केवल इतना-सा ही उसमें अन्तर है, अगली बार इसका ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न हो गया है। श्री अमित चाचाण। यह रिकॉर्ड में लेंगे।

नोहर के चिकित्सालय का क्रमोन्नयन

289. श्री अमित चाचाण (नोहर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नोहर के राजकीय उप जिला चिकित्सालय, नोहर को 100 शैय्याओं से 150 शय्याओं में तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पल्लू को 30 शय्याओं से 50 शय्याओं में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केन्द्र मालासर, जबरासर, थालडका एवं दलपतपुरा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुईयां, मन्दरपुरा एवं धानसिया को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, जी नहीं। कस्बा नोहर जिला हनुमानगढ में वर्तमान में 100 शय्याओं युक्त उप जिला चिकित्सालय स्वीकृत है। स्वीकृत शय्याओं की वर्ष 2023 में शय्याओं की उपयोगिता दर (बीओआर) 78.71 प्रतिशत ही रही है। जिसके कारण उप जिला चिकित्सालय नोहर की शैय्याओं में 100 से 150 की वृद्धि किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

कस्बा पल्लू जिला हनुमानगढ में वर्तमान में 30 शय्याओं युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। स्वीकृत शय्याओं की वर्ष 2023 में शय्याओं की उपयोगिता दर (बीओआर) 22.77 प्रतिशत ही रही है, बहुत लो रही है। हमें खुशी है कि वहां लोग कम बीमार होते हैं और कल ही जब यह प्रश्न बनकर आया था, उसके पश्चात कल रात को माननीय मुख्य मंत्री जी ने 30 से 50 बेड कर दिये हैं। यह आपकी पूर्ति कल रात्रि को हो गई है। यह प्रश्न पहले प्रिपेयर हुआ था, इसलिए मुझे बताना था। इसलिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पल्लू की शैय्याओं में 30 से 50 की वृद्धि किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। ग्राम मालासर, जबरासर, थालडका एवं दलपतपुरा पंचायत समिति नोहर

जिला हनुमानगढ में वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्रों में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति नोहर में 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है तो यहां कोई शोर्ट फॉल नहीं है। उप स्वास्थ्य केन्द्र मालासर, जबरासर, थालडका एवं दलपतपुरा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

ग्राम खुईयां, मन्दरपुरा एवं धानसिया पंचायत समिति नोहर जिला हनुमानगढ में वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार 1 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति नोहर में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुईयां, मन्दरपुरा एवं धानसिया को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नियम, कानून-कायदे काम नहीं करने के बहाने हैं। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि मेरा यह राजकीय चिकित्सालय 2019 में 50 बेड का था।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछो।

श्री अमित चाचाण (नोहर): उसमें 47 परसेंट ही ऑक्यूपैंसी थी। जब मुख्य मंत्री जी ने 100 बेड में क्रमोन्नत किया तो हमने इसमें चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया। डॉक्टरों की वृद्धि हुई, उसमें डायलसिस मशीन लगी, आईसीयू वार्ड का निर्माण किया, ओटी वार्ड का निर्माण किया, वार्डों का निर्माण किया। अब जिस तरह से मंत्री जी बता रहे हैं 78 परसेंट की ऑक्यूपेंसी उस तिथि में हैं। जब वहां भवन का निर्माण हो रहा है, आंखों की ओटी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, वह पूछो ना।

श्री अमित चाचाण (नोहर): मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आप उसकी जांच कराइये। आज वहां बेडों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक बेड पर दो-दो डिलीवरी महिलाओं को सुलाया जा रहा है। वहां साढ़े तीन सौ डिलीवरी हर महीने हो रही हैं। आप उसकी जांच करवाकर, वहां बेड की वृद्धि करवाये।

दूसरा, आपने मुझे यह बताया है कि मालासार, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मालासर नोहर पंचायत समिति में नहीं है। विधान सभा क्षेत्र तो नोहर है, बल्कि यह पंचायत

समिति रावसर के अधीन है। आज जहां रावसर पंचायत के अधीन मात्र 8 पीएचसी स्वीकृत हैं और 8 ही वहां हो सकती है।

मैं आपसे अनुरोध करूंगा जिस तरह नोहर पंचायत समिति 9 के विरुद्ध खुली हुई हैं, मालसार हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्तिम छोर का गांव है। जहां से लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र भी नजदीक है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न आ गया है।

श्री अमित चाचाण (नोहर): मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर रावसर पंचायत समिति के अधीन है, आप वहां इस मालासर को पीएचसी बनाना चाहते हैं, या नहीं?

श्री अध्यक्ष: हां, यह प्रश्न है। माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र नोहर में पर्याप्त, जितने भी एक एसडीएच है, तीन सीएचसी हैं, पल्लू, फेफाना और मेघाना और 13 पीएचसीज हैं और 71 सब सेंटर हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि 2021 की जो जनसंख्या है, वह मेरे ख्याल में साल भर में रिलीज हो जानी चाहिए। अपने जितने भी मापदंड हैं, जिसके अनुसार आपको वंचित रखा गया है, क्योंकि पॉपुलेशन नहीं है। 2011 के फिगर, उसके 10-11 साल बाद जो फिगर्स हैं। आपके एरियाज में मैं एक टीम भेजूंगा और आपसे मिलकर और पूरा निरीक्षण करके जरूरत पड़ेगी तो आपको अवश्य देंगे।

श्री अमित चाचाण (नोहर): अध्यक्ष महोदय, एक मैं कह रहा हूं कि नोहर से मेरे धानसिया तक 65 किलोमीटर की दूरी है, 65 किलोमीटर में उप-तहसील भी आती है, वहां एक भी सीएचसी नहीं है। आज रोड भी बन गई है। पहले 90 परसेंट डिलीवरी घरों में होती थी, आज हॉस्पिटल में हो रही है। एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं, बीमारियां भी बढ़ रही हैं तो 65 किलोमीटर की दूरी में एक भी सीएचसी नहीं है। तीनों में से जो भी आपको उचित लगे, एक सीएचसी हमें नोहर को देने की आप कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष: यह कौन बोला? यह ठीक नहीं है।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं माननीय सदस्य को अभी यह बता चुका हूं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मापदंड हैं। आप कहते हैं कि इनकी पालना नहीं की जाती है। कांग्रेस सरकार होती है तो वह और बना देती है। हम आते हैं, हम करते हैं।

मेरा आपसे यह निवेदन है, आपके विधान सभा क्षेत्र को देखा जाये, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास बहुत एसडीएच वगैरह मिलाकर पर्याप्त हैं, लेकिन 2011 के अन्दर और उसके 10 साल पश्चात बहुत माइग्रेशन इधर से उधर हुआ है, तो इसमें मेरी सोच है कि साल भर थोड़ा वेट कर लें। मैं एक टीम भेजूंगा और इसका पुरा दुबारा एक बार सर्वे कर लेंगे और उसके आधार पर करेंगे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, मंत्री जी। अगला प्रश्न, श्री उदयलाल भड़ाना।

मांडल में विधायक कोष से स्वीकृत राशि

290. श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र माण्डल में क्षेत्रीय विधायक कोष से माह जनवरी, 2019 से दिनांक 31 अगस्त, 2023 तक कितनी राशि आवंटित हुई व कितनी राशि किस-किस कार्य पर व्यय की गई? आवंटन वर्ष व राशि सहित पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास (श्री ओटा राम देवासी): विधान सभा क्षेत्र मांडल में क्षेत्रीय विधायक निधि कोष के तहत माह जनवरी, 2019 से दिनांक 31 अगस्त, 2023 तक राशि रुपये 19 करोड 50 लाख (1950 लाख) आवंटन हुआ है, जो निम्नानुसार है:-

क्र सं.	वित्तीय वर्ष	आवंटित राशि
1.	2019-20	2 करोड़ 25 लाख (225 लाख)
2.	2020-21	2 करोड़ 25 लाख (225 लाख)
3.	2021-22	5 करोड़ (500 लाख)
4.	2022-23	5 करोड़ (500 लाख)
5.	2023-24	5 करोड़ (500 लाख)
योग		19 करोड़ 50 लाख

आवंटित राशि के विरुद्ध उक्त अवधि में 15 करोड़ 5 लाख 8 हजार रुपये (1505.08 लाख) की स्वीकृति जारी हुई है तथा 8 करोड़ 42 लाख रुपये (842.00 लाख) का व्यय हुआ है तथा कार्यों एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

Bhs/Rtm/30.7.24/11.20/1c

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक छोटा सा सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूं। एम.एल.ए. लैड के स्वीकृत लम्बित कार्यों की क्या कार्य योजना है, निरस्त होंगे या पुन: अनुशंसा होगी या बजट लैप्स होगा? जो पूर्व विधायक ने कर दिये हैं जो कुछ कार्य रुके हुए हैं, तो वो क्या बजट लैप्स होगा या हमारे को अनुशंसा करने की स्वीकृति रहेगी?

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में 2019 से अगस्त, 2023 तक 677 कार्य स्वीकृत किये गये उनमें से 507 कार्य पूर्ण हुए हैं। 163 प्रगतिरत हैं, 7 अप्रारम्भ हैं, जिनकी जगह कोई विवादित होने के कारण ये सात रुके हुए हैं और 89 कार्य स्वीकृत किये गये, उनमें से 15वीं विधान सभा के अन्तर्गत 2019-20 से कुल 677 कार्य स्वीकृत हुए थे और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस 16वीं विधान सभा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु प्रथम किस्त के रूप में

292 करोड़ 50 लाख प्रति विधायक एक करोड़ पचास लाख रुपये रिलीज किये जा चुके हैं और पांच विधायकों के अतिरिक्त जो संसद सदस्य निर्वाचित हुए हैं उनकी वित्त विभाग में फाइल पेंडिंग चल रही है, उसका जल्दी ही निस्तारण कर दिया जायेगा।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न और है। एक तो मैं माण्डल से हूं माण्डलगढ से नहीं और जो मैं निवेदन कर रहा था, जो मान लो, कार्य बच गए हैं, वो क्या लैप्स होंगे या उसकी अनुशंसा हमारे को करने को मिलेगी? यह पूछ रहा था।

श्री अध्यक्ष: सवाल तो यह था।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से 163 कार्यों की प्रगति रिपोर्ट...

श्री अध्यक्ष: ये यह एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैरी ओवर होगा कि नहीं होगा बजट? इनका एक लाइन का उत्तर है।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): जो काम कहा है वो होगा।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इश्यू सब जगह है पूरे दो सौ के दो सौ विधान सभा क्षेत्रों में।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, आपको अनुमति नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको क्लियर करा दो।

श्री अध्यक्ष: साधारणतया जो राशि विधायक कोष की है जिसमें अपन लोग अपने-अपने क्षेत्र में काम कराते हैं वे कैरी ओवर राज्य सरकार के निर्देश के बाद होते हैं, नहीं तो विधान सभा चुनाव तक पांच साल तक तो एक दूसरे में कैरी ओवर होते हैं लेकिन जब सदस्य हार जाता है, जीत जाता है, जो अमाउंट बचता है वह यहां से एक नोटिफिकेशन जाता है उसके बाद ही उसके खाते में जाते हैं।

प्रश्न संख्या 291

(प्रश्न माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया।)

अगला प्रश्न। श्री छगनसिंह।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न जम्प हो गया शायद।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक मिस हो गया प्रश्न।

व्यवस्था

प्रश्न वापस लेने का प्रावधान अपवादस्वरूप होने के कारण माननीय सदस्य भविष्य में प्रश्न लगाने से पूर्व ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष: वह प्रश्न वापस ले लिया गया है, वैसे इस पर चूंकि आपने प्रश्न उठा लिया, मेरा सदस्यों से एक आग्रह है, पिछले दिनों दोनों दलों के ऐसे कई लोगों के प्रस्ताव आये कि

मैं प्रश्न वापस ले रहा हूं। प्रश्न लगने के बाद वापस लेने की उसमें अनुमति का प्रावधान जरूर है लेकिन वो केवल एक्सेप्शनल कैसेज में है साधारणतया नहीं है। इस बार ऐसे 7-8 लोगों के आये प्रश्न वापस किये, तो लगाते ही क्यों हो, लगाने के बाद लॉटरी में निकल जाता है उसके बाद कहते हैं कि मैं वापस लेना चाह रहा हूं। यह उचित नहीं है आगे से इस प्रकार का आयेगा तो मैं उसको वापस लेने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या है कि सदस्य को मंत्री दबा देते हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं। ऐसा नहीं। श्री छगन सिंह राजपुरोहित।

पुलिस चौकी उम्मेदपुर का क्रमोन्नयन

292. श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आहोर में स्थित पुलिस चौकी उम्मेदपुर को थाने में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार ग्राम शंखवाली को थाना भाद्राजुन से हटाकर पुलिस थाना आहोर में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र आहोर में स्थित उम्मेदपुर पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भविष्य में क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस नफरी की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

(2) पूर्व में ग्राम शंखवाली पुलिस थाना आहोर के अन्तर्गत आता था किन्तु दिनांक 24.09.2018 को नवीन पुलिस थाना भाद्राजुन का गठन होने से नवसृजित पुलिस थाने का क्षेत्राधिकार निर्धारित किये जाने हेतु भौगोलिक दृष्टि से आस पास के थानों के विभिन्न ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार पुलिस थाना आहोर के 11 ग्रामों (जिनमें ग्राम शंखवाली भी है) को भौगोलिक दृष्टि से ही पुलिस थाना भाद्राजुन में सम्मिलित किया गया है। जिसमें वर्तमान में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

मैं अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, एक मिनट, जो खंड 2 है उसके अन्दर यह जवाब छपने के बाद में एक लेटेस्ट डवलपमेंट आया है ए.डी.जी. का कि यह जो आपका खंड 2 है उसका हमने हल कर दिया है उसके आदेश जल्दी से राज्य सरकार से आ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: हो गया, और कोई पूरक प्रश्न रह गया क्या?

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): धन्यवाद। बिलकुल माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पूरक प्रश्न पूछना चाहता था कि शंखवाली को आहोर थाने में जोड़ा जाये तो आपने यह कह दिया कि ...

श्री अध्यक्ष: केवल चौकी का है थाने का नहीं है, चौकी का प्रश्न है।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): नहीं, खंड 2 को उन्होंने जवाब दिया है कि शंखवाली गांव को जो ग्रामीणों की और सरपंच की इच्छा थी कि हमारा आहोर थाने में जोड़ा जाये और माननीय मंत्री जी ने इसका कह दिया कि यह जोड़ दिया है, तो इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रतन देवासी।

पशुपालकों को गोपालन हेतु अनुदान

293. श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा जनवरी, 2023 से मई, 2024 तक प्रदेश की कितनी गौशालाओं को विभिन्न श्रेणी में कितना अनुदान दिया गया है? दिए गये अनुदान का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार गौपालन कर रहे पशुपालकों को अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पशुपालकों द्वारा अपनी गायों को प्रदेश व प्रदेश से बाहर ले जाने व लाने पर उनकी सुरक्षा हेतु कोई कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

गोपालन मंत्री (श्री जोराराम कुमावत):(1) माननीय अध्यक्ष महोदय, गोशालाओं/कांजी हाउस में संधारित गौवंश को भरण पोषण हेतु वर्तमान में बड़े गौवंश हेतु 40 रुपये तथा छोटे गौवंश हेतु 20 रुपये प्रति गौवंश प्रति दिन की दर से सहायता राशि 270 दिवस की दिये जाने का प्रावधान है। साथ ही गोशालाओं में अंधे एवं अपाहिज गौवंश तथा नंदीशालाओं में संधारित नर गौवंश को उक्त समान दर पर 12 माह की सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है।

जनवरी 2023 से मई 2024 तक प्रदेश में निधि नियम अंतर्गत गोशालाओं में संधारित गौवंश के भरण पोषण हेतु दिये गये अनुदान का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है ।

(2) जी हां। प्रदेश में गोपालन कर रहे पशुपालकों को निम्नांकित योजनाओं में परोक्ष रूप से अनुदान दिया जा रहा है :-

1. प्रदेश की समस्त पशु चिकित्सा संस्थाओं/पशु चिकित्सा शिविरों में नि:शुल्क उपचार, शल्य चिकित्सा एवं दवा वितरण किया जा रहा है।

2. प्रदेश के पशुपालकों के बीमार पशुओं की नि:शुल्क जांच की जा रही है ।

3. प्रदेश के पशुपालकों को विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से नि:शुल्क प्रशिक्षण

दिया जा रहा है।

4. किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लिये जाने पर ब्याज पर अनुदान।

5. नस्ल सुधार कार्यक्रम अंतर्गत राष्ट्रीय नस्ल सुधार कार्यक्रम अंतर्गत पशुपालकों को नि:शुल्क कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा दी जा रही है।

6. पशुओं में नि:शुल्क टीकाकरण कार्य किया जा रहा है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 10 जुलाई 2024 को वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा अंतर्गत मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजनान्तर्गत अनुदानित दर पर दुधारू गायों का बीमा तथा सेक्स सोर्टेड सीमन के उपयोग पर 75 प्रतिशत का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

(3) राज्य में गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वर्तमान में ''राजस्थान गौ-वंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995'' एवं उक्त अधिनियम के नियम, 1995 तथा ''राजस्थान गौ-वंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018'' प्रचलित है।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया है मेरे पास में मैं इसमें सप्लीमेंट्री पूछ लेता हूं।

इसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि खंड 1 में गोशालाओं में कितना अनुदान दिया उसके बारे में मैंने पूछा था। अब आपके इसमें डिटेल तो मुझे नहीं दी है आशा करता हूं कि वह डिटेल तो आप भेज दें मगर पिछले नौ महीने का आपने इसमें शून्य बताया है कि अभी तक कुछ नहीं दिया है। दूसरा जो सप्लीमेंट्री 2 है, खंड 2 इसमें मैंने पूछा था कि सरकार गोपालन कर रहे पशुपालकों को, अब माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो जवाब आया है खंड 2 और खंड 3 में वो बिलकुल विपरीत आये हैं जो मैंने पूछे हैं। मैंने पूछा था कि गोपालन कर रहे पशुपालक, मैंने यह नहीं पूछा कि गोपालन कर रहे गौशालाओं के बारे में। इन्होंने जो जवाब दिया है वह पशुपालकों को गायों में क्या-क्या देते हैं उसके सम्बन्ध में इन्होंने बताया है, जो मेरे प्रश्न का उत्तर है ही नहीं। तो खंड 2 में एक तो, मंत्री जी, मुझे यह बता दें कि जो गोपालन कर रहे पशुपालक हैं जो गायों को लेकर एक जिले से दूसरे जिले, एक खेत से दूसरे खेत और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं उनको आप गौशालाओं के अनुरूप अनुदान देने का विचार रखते हो कि नहीं? एकबात।

दूसरा, इसमें यह था जो मैंने पूछा, मैंने यह पूछा था कि सरकार पशुपालकों द्वारा अपनी गायों को प्रदेश व प्रदेश के बाहर जो जा रहे हैं उनको सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई विचार रखती है कि नहीं? जो गाय लेकर पशुपालक जा रहे हैं, अब जो पशुपालक भेड़-बकरी लेकर जा रहे हैं उनके लिये तो राज्य सरकार में मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक होती है और सुरक्षा और मार्ग तय होता है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें गायों के बारे में पूछा है कि पशुपालकों को आप दोगे कि नहीं दोगे, तो मुझे जो जवाब दिया है...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये न आप तो। आपको अनुमति है पूछो।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): नहीं-नहीं, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि

जवाब क्या दिया है। जवाब मेरे को दे दिया है जो गोवंश की आपने 1995 और 2018-19 में अमेंडमेंट किया था उसके बारे में मुझे दे दिया।

श्री अध्यक्षः आगे का प्रश्न पूछो।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): जो सवाल के बिलकुल विपरीत है इसलिये इन दोनों के बारे में आप बतायें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न तो इनका यह है कि जो अनुदान दिया जा रहा है वो अभी वर्तमान वित्तीय वर्ष है उसका इनको जवाब नहीं मिला है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2022-23 से इन्होंने मांगा है 2023 से 2024 तक तो नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और मार्च ये है वर्ष 2022-23 के इसमें पांच माह का अनुदान दिया जाता है इसमें 2557 गौशालाओं का 11 लाख 75 हजार 73 गोवंश का कुल 596.53 करोड़ अनुदान दिया।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, इन्होंने खंड 2 और 3 के प्रश्न पूछे हैं, पहला वाला तो आ गया है वो संतुष्ट हैं।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): 2 और 3 का पूछा है।

श्री अध्यक्षः 2 में पशुपालकों को अनुदान और तीसरे में उनकी सुरक्षा की बात है।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 2 में इन्होंने जो पूछा है न, क्या सरकार गोपालन कर रहे पशुपालकों को अनुदान देने का विचार रखती है? तो इनमें जो राजस्थान की विभिन्न योजनाएं हैं जो सीधे पशुपालकों को उनका अनुदान देती है किसी न किसी योजना के माध्यम से, वो सारी डिटेल इनको 6 योजनाओं की जानकारी दे दी है और अभी जैसे पशुपालकों को सीधा और कोई नयी योजना हमारे कोई विचाराधीन नहीं है।

Kas/rtm/30.07.2024/11.30/1d

श्री अध्यक्षः सुरक्षा वाला।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): तीसरा प्रश्न सुरक्षा वाला है, इन्होंने पूछा है कि क्या सरकार पशुपालकों द्वारा अपनी गायों को प्रदेश व प्रदेश से बाहर ले जाने व लाने पर उनकी सुरक्षा हेतु कार्ययोजना बनाने पर विचार रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में पशुपालकों को अपने गोवंश को प्रदेश व प्रदेश के बाहर ले जाने व लाने हेतु राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम, 1995 व राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम, 2018 बने हुए हैं, जिसमें गोवंश के परिवहन सम्बन्धी विस्तृत नियम एवं दिशा-निर्देश बने हुए हैं। इन नियमों का पालन करते हुए कोई भी पशुपालक अपना गोवंश प्रदेश व अन्य प्रदेशों में आदान-प्रदान या परिवहन कर सकता है।

इसमें किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। सम्बन्धित जिला कलेक्टर, उप खंड अधिकारी की सक्षम स्वीकृति एवं गोवंश के परिवहन हेत वाहन की परमिशन लेकर करनी होती है, साथ ही गोवंश के ले जाने की उपयोगिता भी बतानी होती है। कृषि कार्य के लिये ले जाने पर कृषि भूमि की जमाबंदी जमा करानी होती है। पशु परिवहन के दौरान किसी तरह की समस्या आने पर प्रशासन पुलिस की मदद के लिये भी अधिकृत है। सूचना मिलते ही प्रशासन तत्काल सुरक्षा मुहैया कराता है।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहते हुए निवेदन करता हूं कि खंड दो में भी मान लिया कि प्रस्तावित नहीं है, तो हम उसके लिये वापस विधान सभा में पूछ लेंगे, मगर खंड 3 में मैंने इतना ही पूछा है कि जो पशुपालक गाय लेकर जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में क्या कहना है? आपका जवाब आया और अभी भी बोला है, वह गोवंश का जो आपने अधिनियम बनाया है, वह जो गोवंश आप कृषि कार्य के लिये ले जाते हैं, मेले के उपयोग के लिये ले जाते हैं या अन्य स्टेट में उसको बेचान में ले जाते हैं, उनके बारे में इन्होंने बताया है। मैंने पूर्व में ही निवेदन किया है कि जिस तरह से पशुपालकों की भेड़-बकरियों के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होकर गृह विभाग के माध्यम से सुरक्षा निर्धारित की जाती है। उसी का मैं पूछ रहा हूं कि अगर नहीं है तो आप मुझे बता दो कि क्या सरकार इस पर प्रस्ताव रखेगी? आपके लिये ईजी हो जायेगा, आपके सवाल का जवाब यह नहीं था।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अधिनियम बने हुए हैं, इनकी कॉपी मैं इनको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कॉपी है। मैंने उसको पढ़ लिया, कौनसे पेज नंबर पर लिखा हुआ है, आप तो वह बता दो?

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): फिर भी माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि इनके कोई सुझाव हैं, तो वह सुझाव मुझे देना। आप सुझाव दीजिए, हम उसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके आगे कोई अच्छा होगा तो करेंगे।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। आप कुछ पूछ रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही पूछना चाहूंगा कि खंड 1 में आपने जवाब दिया है, गोवंश के लिये जो सरकार सहायता देती है, उसमें कल मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि छोटे गोवंश के लिये 2 रुपये और बड़े के लिये 4 रुपये। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि इतने महंगाई के समय में एक दिन में 2 रुपये में कितना चारा आ पायेगा, यह आप बता दें।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने प्रश्न पूछा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अनुदान दिया जा रहा है, उसमें 10 परसेंट बढ़ोतरी की घोषणा की है। निश्चित रूप से मैं..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने कठोरता से कहा है कि प्रश्न काल में कोई मंत्री की

सीट पर नहीं जायेगा, फिर वो ही कर रहे हो। ...(व्यवधान)... यह मेरा काम है, आपके भी गये हैं।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कल अनुदान पर 10 परसेंट बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसमें बड़े गोवंश पर 4 रुपये की बढ़ोतरी होगी, छोटे गोवंश पर 2 रुपये की बढ़ोतरी होगी। माननीय नेता प्रतिपक्ष को आश्वस्त करना चाहूंगा एक साथ में सब कुछ नहीं होता है। धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सीचे सौ घड़ा, ऋतु आये फल होय।

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, प्रश्न का उत्तर आ गया।

मैं अगला प्रश्न पुकारने से पहले कहना चाहूंगा, जिस विभाग के प्रश्न हैं, माननीय संसदीय मंत्री जी सुनिश्चित कर लें कि उसके अधिकारी हैं या नहीं हैं। जो नहीं हैं, उनकी सूची भेजिए, उनके खिलाफ मैं कार्यवाही करूंगा। गोपालन का कोई नहीं दिखाई दे रहा है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। हम सदन के सब सदस्यों ने आपके आदेश की पूर्ण रूप से पालना की है, करेंगे और भविष्य में करते रहेंगे। गैलेरी में हमारे विभाग से सम्बन्धित जो भी अधिकारी हैं, वह हमेशा यहां रहेंगे, आपके आदेश की पालना होगी।

श्री अध्यक्ष: जो नहीं रहेगा, मुझे सूचना दे देना, मैं उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): उसकी सूचना आपको देंगे। आप विश्वास रखिए, हमारे कोई अधिकारी नहीं जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री आदू राम मेघवाल।

चौहटन मुख्यालय में एडीजे कोर्ट की स्थापना

294. श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चौहटन के चौहटन मुख्यालय पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नवीन न्यायालय खोलने हेतु कोई नीति निर्धारित की गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: आप तो बैठो। माननीय सदस्य, आपकी सीट में क्या है? या तो इनकी सीट के नीचे कुछ गड़बड़ हैं, इनकी सीट बदल दें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह आदत बहुत पुरानी है, धीरे-धीरे बदल जायेगी, विश्वास है।

श्री अध्यक्ष: आप अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए।

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री (श्री जोगाराम पटेल): (1) जी हां। "किसी स्थान पर जिला/अपर जिला न्यायालय की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त

होने पर, निर्धारित मानदण्ड के अनुसार उस क्षेत्र के प्रकरण लम्बित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही की जा सकती है।''

चौहटन में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (ए.डी.जे.) सृजन का मामला, लंबित प्रकरणों की संख्या को देखते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की माननीय कमेटी द्वारा दिनांक 26.04.2022 को अस्वीकार कर दिया था।

तत्पश्चात् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नये सिरे से लंबित प्रकरणों की संख्या जिला न्यायालय,बालोतरा से मंगवाई जाकर चौहटन में अपर जिला न्यायालय की सृजन का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की माननीय कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय कमेटी के समक्ष विचारार्थ लंबित है।

भविष्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निर्धारित मानदण्ड के अनुसार चौहटन क्षेत्र के 1000-1200 प्रकरण लम्बित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा नवीन न्यायालयों की स्थापना हेतु निम्नानुसार लंबित प्रकरणों का मानदण्ड निर्धारित किया गया हैः-

01. जिला/अपर जिला न्यायालय हेतु- 1000-1200 प्रकरण

02. सी.जे.एम./ए.सी.जे.एम. न्यायालय हेतुः- 1200-1500 प्रकरण

03. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय हेतुः- 1700-2000 प्रकरण।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र में एडीजे कोर्ट खोलने का प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न का मैं उत्तर पढ़ूं इससे पहले इनकी मांग की पूर्ति हो गई है।

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इसका एक पार्ट रहेगा, वह पूरे राजस्थान के लिये है। इसका एक पार्ट यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में न्यायालय खोलने के साधारणत: नियम क्या हैं, वह सभी के लिये है। एक तो मुकदमों की संख्या है, एडीजे के लिये अलग है, उसके नीचे वाली कोर्ट के लिये अलग है। दूसरा, माननीय उच्च न्यायालय की अनुकंपा है। यह 3-4 बिन्दु हैं, जिनकी पूर्ति होने पर सामान्यत: कोर्ट खोले जाते हैं, चाहे वह सिविल जज कैडर के हो या एडीजे कैडर के हो या डिस्ट्रिक्ट कैडर के हो। साथ ही साथ सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर भी निर्भर है। यहां चौहटन विधान सभा क्षेत्र बहुत दूर सुदूर है, वहां के लिटिगेंट को बालोतरा करीब 150 किलोमीटर से ज्यादा दूर आना पड़ता था। आपकी मांग वाजिब थी और माननीय विधायक का बहुत आग्रह भी था, माननीय विधायक के आग्रह पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल इनकी मांग मान ली है। इसलिए विधायक को बहुत-बहुत धन्यवाद कि इन्होंने अपनी मांग बहुत पुरज़ोर तरीके से रखी।

श्री अध्यक्ष: हो गया, अब मांग पूरी हो गई, उसके बाद क्या प्रश्न रहा।

अगला प्रश्न। श्री पब्बाराम विश्नोई।

फलोदी के विद्यालयों में कक्षा-कक्षों का निर्माण

295. श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फलोदी के कौन-कौनसे विद्यालयों में पर्याप्त कक्षा-कक्ष नहीं है तथा कौन-कौनसे विद्यालयों में कक्षा-कक्ष जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में नये कक्षा-कक्षों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में रमसा एवं सर्व शिक्षा के तहत कितने विद्यालयों के भवन निर्माण प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री मदन दिलावर): (1) विधान सभा क्षेत्र फलोदी में संचालित 543 राजकीय विद्यालयो में से 107 विद्यालयो में 380 कक्षा-कक्षो की कमी (गैप्स) है, जिनका विवरण परिशिष्ट क पर संलग्न है। इसी प्रकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के 84 राजकीय विद्यालयो के 203 कक्षा-कक्ष जर्जर अवस्था में (वृहद मरम्मत योग्य) हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट ख पर संलग्न है।

(2) जी हां। समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों में नवीन कक्षा-कक्ष निर्माण, बृहद मरम्मत कार्य एवं क्षतिग्रस्त भवनों के पुनर्निर्माण किये जाने का प्रावधान है। योजना के प्रावधानानुसार प्रतिवर्ष शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रतिवर्ष विद्यालयों में नवीन कक्षा-कक्ष निर्माण, वृहद मरम्मत कार्य एवं क्षतिग्रस्त विद्यालयों के पुनर्निर्माण कार्यो की स्वीकृति जारी की जाती है। स्वीकृति प्राप्त होने पर विभाग द्वारा निर्माण कार्यो का सम्पादन किया जा सकेगा।

(3) रमसा एवं सर्वशिक्षा (वर्तमान में समग्र शिक्षा) योजनान्तर्गत विगत तीन वर्षो 2022-23 से 2024-25 की वार्षिक कार्य-योजना एवं बजट के प्रस्तावों में उक्त विधान सभा क्षेत्र में 14 नवीन विद्यालय भवन निर्माण के प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को भिजवाये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट ग पर संलग्न है।

उक्त 14 विद्यालयों में से 05 विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 2022-23 व 2023-24 में निम्नानुसार राशि स्वीकृत हो चुकी है, जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है-

1. रा.प्रा.वि. एम.डी. पनारी - 73.93 लाख - छत लेवल
2. रा.प्रा.वि. जाफरी की ढाणी - 73.93 लाख - फिनिशिंग लेवल
3. रा.प्रा.वि. बंदे की ढाणी - 73.93 लाख - कार्य पूर्ण
4. रा.उ.मा.वि. जैसला - 449.00 लाख - डी.पी.सी. लेवल
5. रा.उ.मा.वि. खारा - 449.00 लाख - निविदा प्रक्रियाधीन

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): अध्यक्ष महोदय, मुझे विस्तृत उत्तर मिल गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि आपके उत्तर में बताया कि 107 विद्यालयों में 380 कमरों की आवश्यकता है और 84 विद्यालयों में 203 जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं। अंदाजा

लगाया जा सकता है कि पिछले पांच वर्षों में इन्होंने क्या काम किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी निवेदन करता हूं..

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो, निवेदन नहीं।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): आपने हमसे मांगा था कि आप लिख कर दो, मैंने 30 कक्षा-कक्षों के लिये आपको लिख कर दिया है, क्या उन कक्षा-कक्षों का निर्माण आप करवायेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, साढ़े तीन-चार महीनों में ही हमने इनको साढ़े चार करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये हैं, जिससे कमरों का निर्माण होगा और जब भी हम अगली स्वीकृति निकालेंगे, तब उसमें इनका ध्यान रखेंगे। पिछले पांच वर्षों में कांग्रेस ने बंटाढार कर दिया, स्कूलों को देखा नहीं, पानी टपकता रहा, बच्चे परेशान होते रहे, कमरे टूटते रहे। ...(व्यवधान)... इन्होंने बर्बाद करके रख दिया, शिक्षा का बंटाढार कर दिया। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बैठो, जिसका प्रश्न है, वह पूछ रहा है।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): पूर्ववर्ती सरकार ने शिक्षा का बंटाढार कर दिया है।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है, एक तो अधिकारियों ने गलत जवाब दिया है कि जैसला में डीपीसी लेवल तक काम हो गया है। वह हुआ नहीं है, क्या उनके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे? पिछली सरकार के दौरान हमें जो बिल्डिंग देनी चाहिये थी, मेरे विधान सभा क्षेत्र के साथ डिस्क्रिमिनेशन इन लोगों ने किया। क्या इस बार उसकी क्षतिपूर्ति करके मुझे ज्यादा बजट दिलवायेंगे?

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि पहले विधान सभा क्षेत्र के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि तीन-साढ़े तीन महीने में ही हमने इनको साढ़े चार करोड़ रुपये दिये हैं और जो कि पहले से कई गुना ज्यादा हैं। हमने इनका पूरा ध्यान रखा है, आगे भी कोशिश करेंगे, औरों की अपेक्षा एक लाख रुपये इनको ज्यादा देंगे।

msk/rtm/30.07.2024/11.40/1e

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री कैलाश चन्द वर्मा।

बगरू के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का क्रमोन्नयन

296. श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किए जाने संबंधी क्या नियम निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नगरपालिका, बगरू स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उप जिला

अस्पताल में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की शय्याओं की उपयोगिता दर (बीओआर) 95 प्रतिशत या उससे अधिक होने एवं आवश्यकतानुसार/गुणावगुण के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की शय्या वृद्धि कर न्यूनतम 100 शय्या होने पर उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये जाने का प्रावधान है।

(2) जी हां। परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगरू को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये जाने की घोषणा की जा चुकी है। घोषणा की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

उपरोक्तानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बगरू को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नयन किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सकेगी।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अभी जो उप जिला अस्पताल है, वह जब से बगरू बना, वहां पर सीएचसी चलती थी। लगभग 50 हजार की आबादी में यह सीएचसी चलती है। हमारी पूर्ववर्ती सरकार 2013-18 के बीच में, सैटेलाइट हॉस्पिटल की घोषणा हुई थी। वह सैटेलाइट हॉस्पिटल ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जहां सीएचसी चलती है, उसके पांच किलोमीटर आगे जाकर बना है। बगरू के अन्दर जो सीएचसी चल रही थी, उसी सीएचसी को पूर्ववर्ती सरकार ने उसके अन्दर शिफ्ट किया, न कि कोई नयी सीएचसी बनायी।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से इतना ही निवेदन रहेगा कि बगरू के अन्दर 50 हजार की आबादी है और अगर इस सीएचसी में बगरू कस्बे का व्यक्ति इलाज कराने के लिए आता है तो नेशनल हाई-वे क्रोस करके आना पड़ता है। नेशनल हाई-वे के ऊपर कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, यह आपसे छिपा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि वहां पर बिल्डिंग बनी हुई है। सारी व्यवस्थाएं सुचारु हैं। यह जो सीएचसी बगरू कस्बे के ऊपर स्थित है, वहां पर अभी डॉक्टर्स बैठते हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि इस सीएचसी को भी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पीएचसी की सेवाएं देते हुए, इसको सुचारु रखें, ताकि आने वाले समय के अन्दर बगरू के लोगों को इसका फायदा मिल सके, दुर्घटनाओं से बच सके और स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो सकें।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नयी सीएचसी दहमी कलां में बनी है, नयी बिल्डिंग है और वह बगरू कस्बे से नजदीक ही है। हम वहीं उसको क्रमोन्नत करके, वहां जमीन की भी पूरी उपलब्धता है, एसडीएच वहीं बनायेंगे। क्योंकि बगरू कस्बे की 50 हजार की जनसंख्या है, वहां जो सीएचसी है, जिसमें डॉक्टर्स भी कम हैं, क्योंकि सब फोकस आपके यहां दहमी कलां में शिफ्ट हो गया था, इसको हम शानदार मॉडल सीएचसी, जो 50 हजार लोगों की जनसंख्या का उपचार कर सके, उसको हम

बना देंगे।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न, श्री बाबू सिंह राठौड़।

शेरगढ़ के किसानों को बीमा क्लेम का भुगतान

297. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वर्ष 2022-23 व 2023-24 में फसल बीमा योजनान्तर्गत अतिवृष्टि, अनावृष्टि से हुए खराबे में कुल कितनी बीमा क्लेम की राशि का किसानों को भुगतान कर दिया गया है व कितने किसानों का भुगतान प्रक्रियाधीन है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में बीमा क्लेम से वंचित किसानों को भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या क्रोप कटिंग की सूचना मोबाइल से देने पर बीमा कम्पनी स्वीकार नहीं करती है? यदि हां, तो क्यों? वर्ष 2023-24 में कुल कितनी फसलों का भुगतान सैटेलाइट व क्रोप कटिंग से किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जारी क्लेमों की ऑडिट करवायी गयी है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग) (कृषि मंत्री के स्थान पर): (1) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के लिये वर्ष 2022-23 के खरीफ एवं रबी मौसम सत्रों हेतु 30433 फसल बीमा पॉलिसी धारक पात्र कृषकों को 17.34 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम एवं वर्ष 2023-24 के खरीफ मौसम सत्र के लिये 31829 फसल बीमा पॉलिसी धारक पात्र कृषकों को 13.59 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम का भुगतान अविवादित प्रकरणों के संदर्भ में बीमा कंपनी द्वारा योजना प्रावधानों के अंतर्गत जारी किया गया है। खरीफ 2023 के 2048 फसल बीमा पॉलिसियों पर 1.5 करोड़ का बीमा क्लेम खाता/ आधार सत्यापित ना होने तथा नेफ्ट बाउन्स होने के कारण लंबित है। रबी 2023-24 का बीमा क्लेम राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से गणनाधीन है।

(2) जी हां। भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में वैकल्पिक खातों में बीमा क्लेम वितरित करने हेतु बीमा कंपनियों एवं जिलों को निर्दिष्ट किया गया है। बकाया बीमा क्लेम शीघ्र ही बीमा कंपनियों के माध्यम से वितरित कराये जायेंगे।

(3) जी नहीं। बीमा कंपनी को दूरभाष पर फसल कटाई प्रयोग सह पर्यवेक्षण हेतु दी गई सूचना मान्य हैं। वर्ष 2023-24 के खरीफ मौसम सत्र के लिये राज्य में अधिसूचित की गई 14 फसलों के अंतर्गत बीमा क्लेम का भुगतान सैटेलाइट आधारित उपज परिणाम के आधार पर ना किया जाकर फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज परिणामों के आधार पर किया गया है।

(4) जी हां। राज्य सरकार बीमा कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये बीमा क्लेम के विवरण

का रेण्डम आधार पर परीक्षण करती है। साथ ही, भारत सरकार के महालेखाकार दल द्वारा नियमित रूप से फसल बीमा योजना की ऑडिट की जाती है। वर्ष 2022-23 की ऑडिट रिपोर्ट परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मंत्री महोदय, जवाब आ गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि बीमा कंपनियां कुल प्रीमियम का 5 परसेंट हिस्सा किसानों से लेती हैं और बाकी 95 परसेंट सरकार वहन करती है, उसके बावजूद भी वहां कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र, शेरगढ़ में फसल बीमा योजना वर्ष 2022-23, 2023-24 में खरीफ एवं रबी सीजन में व्यक्तिगत सर्वे की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं, उसमें से कितने किसानों को कितनी राशि के क्लेम का भुगतान किया गया। तहसीलवार स्पष्ट करें, क्वेश्चन नंबर वन।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्ष वार प्राप्त शिकायतें एवं क्लेम का विवरण निम्न प्रकार है:

खरीफ, 2022 शेरगढ़ तहसील में 830 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उसमें पात्र शिकायतें सिर्फ 17 और लगभग 96 हजार इसके मिले।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपनी सीट पर जायें। प्रश्न काल के बाद, नो। माननीय सदस्य, अपनी सीट पर पधारें। प्रश्न काल में किसी को भी अपनी सीट से कहीं जाने की अनुमति नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): बालेसर में 392 शिकायतें प्राप्त हुईं, लेकिन वहां पर पात्र शिकायतें नहीं थीं।

शेखाड़ा तहसील में 620 शिकायतें प्राप्त हुईं, उसमें से 103 पात्र थीं, इनमें कुल 99 लाख 89 हजार। कुल 1842 में से 120 शिकायतें पात्र थीं, 1 करोड़ 85 हजार रुपये का इसका भुगतान किया गया।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा कि जो 5 परसेंट हिस्सा राशि लेते हैं, उसमें कृषि अधिकारी तहसील स्तर पर बैठते हैं और वे इसका निस्तारण करते हैं, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था कहीं नहीं होती है, इसके बारे में मैंने आपसे पूछा था, उसका जवाब नहीं दिया। (मेरा दूसरा सवाल यह है, क्या यह सही है कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बीमा पॉलिसी का वितरण डाक द्वारा ही किसानों तक पहुंचाये जाने का प्रावधान है। यदि हां, तो वर्ष 2022-23, 2023-24 में बीमा कंपनियों द्वारा कितने किसानों को बीमा पॉलिसी का डाक द्वारा वितरण किया गया? स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2021 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत 'मेरी पॉलिसी, मेरे हाथ' कार्यक्रम के अन्तर्गत

शिविर लगाकर फसल बीमा पॉलिसियों का वितरण प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के उक्त अभिनव प्रयोग को पूरे भारत में रबी 2021-22 से लागू किया गया। इस प्रकार भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों की पालना में डाक द्वारा पॉलिसी वितरित न कर, शिविर लगाकर पॉलिसियां वितरित की जा रही हैं।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न, श्री डूंगरराम गेदर।

सूरतगढ़ में भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

298. श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में कितने आंगनबाड़ी केंद्र कहां-कहां स्वीकृत हैं? उक्त केन्द्रों में से ऐसे कितने केन्द्र हैं जिनके स्वयं के भवन नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त भवनविहीन केंद्रों के भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री दिया कुमारी): (1) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ के अंतर्गत एक परियोजना सूरतगढ संचालित है, जिसमें कुल 319 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्त 319 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 69 स्वयं के विभागीय भवन में संचालित हैं, शेष 250 आंगनबाड़ी केन्द्र अन्य राजकीय भवनों, किराये के भवनों एवं निजी निःशुल्क भवनों में संचालित हैं, जिनका आंगनबाड़ी केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) विभागीय भवन के अलावा अन्यत्र संचालित किये जाने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये राज्य सरकार विभागीय भवन निर्माण करने का विचार रखती है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायतीराज/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आंवटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता से क्रमशः किराये के भवनों, नि:शुल्क भवनों, सामुदायिक भवनों एवं अंत में राजकीय विद्यालयों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार करवाया जाता है।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास उत्तर आ गया है, मुझे पूरक प्रश्न पूछना है।

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न पूछो।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार विभागीय भवन निर्माण करने का विचार रखती है? आपने यह उत्तर में कहा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में इस बजट में कितने आंगनबाड़ी भवन बनाने की घोषणा की गयी है?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न

पूछा है, उसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों की स्थिति, सूरतगढ़ में विभागीय भवन में संचालित 69 भवन हैं। विद्यालयों में संचालित 151 हैं। किराये भवनों के भवनों में संचालित..

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): साहब, यह उत्तर तो मेरे पास है। मैं यह कह रहा हूं कि 319 में 250 के पास भवन नहीं हैं। आपने यह कहा है कि हम भवन बनाने का विचार रखते हैं। इस बजट में आपने कितने भवन बनाने की घोषणा की है?

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि इस बजट में हर विधान सभा क्षेत्र में पांच भवनों की घोषणा की है। हर विधान सभा क्षेत्र में पांच नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाएंगे।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): मैं केन्द्र नहीं, भवन पूछ रहा हूं।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): मैं बताना चाहूंगी, वह सब कुछ डिपेंड करता है कि जो वहां से हमारे पास सूची आयेगी कि हमको हमारे ही भवन बनाने हैं या ऑलरेडी गवर्नमेंट बिल्डिंग अवेलेबल है, तो वहां भी भवन चल सकते हैं, किराये से चल सकते हैं या नहीं चल सकते।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, 250 आंगनबाड़ी केन्द्र ऐसे हैं, जिनके पास खुद के भवन नहीं हैं और इस बजट के अन्दर कितने भवन बनाने की घोषणा की है?

श्री अध्यक्ष: पांच का कहा है।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): पांच तो नये केन्द्र खोल रहे हैं, भवन नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक सिंगल भवन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें, आपका प्रश्नकर्ता पूछ रहा है। माननीय मंत्री, बतायें।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): आपने यह प्रश्न पूछा है। यदि पंचायत राज अथवा जिला कलेक्टर द्वारा भवन निर्माण हेतु नि:शुल्क भूमि उपलब्ध करवायी जाने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता के आधार भवन निर्माण हेतु विचार..

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह भी उत्तर है।

श्री अध्यक्ष: जवाब आपके अनुकूल दे रहे हैं। जो आप कह रहे हैं, वह नहीं बोलेंगे, आप बैठें। आपने प्रश्न पूछा है, उसका जवाब दिलावाता हूं।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): जो लिखकर दिया है, वही पढ़ा जा रहा है, मैं और पूछ रहा हूं।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): मैं आपको जवाब दे रही हूं। इसके आधार पर भवन निर्माण हेतु विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष: हो गया, आपका प्रश्न।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय सदस्य, आपके विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में मनरेगा योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के 28 नवीन भवनों के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जिला परिषद्, श्रीगंगानगर द्वारा वर्ष 2017-18 में जारी की गयी।

mdp/rtm/30.07.2024/11:50/1f

जिनका विवरण निम्नानुसार है- निर्माण कार्य पूर्ण 17, निर्माणाधीन भवन 3, कार्य जो नहीं शुरू हुए, वे हैं 8, ...(व्यवधान)... विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 नवीन, मैं जवाब ही दे रही हूं। आपने पांच साल क्या जवाब दिए? आप बताएं आपने 5 साल में कोई भवन ही नहीं बनाए इस क्षेत्र में।

श्री अध्यक्ष: दे रहे हैं। आप अगला प्रश्न लगाना, उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न। श्री अर्जुन लाल जीनगर। आपका हो गया। पर्याप्त हो गया है। दस मिनट दे दिए।

अवैध खनन की रोकथाम

299. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा खनन नीति बनाई गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा प्रदेश में अवैध खनन की रोकथाम हेतु क्या-क्या उपाय किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में खनन विभाग द्वारा निजी खातेदारों व सरकारी भूमियों पर खनन पट्टे आवंटन की अलग-अलग पॉलिसी बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार क्वार्टज पत्थर मिनरल के लिए अलग से खनन पॉलिसी बनाकर अल्प अवधि परमिट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान खनिज नीति, 2015 बनाई जाकर इसमें समय-समय पर संशोधन किये गये हैं। राजस्थान खनिज नीति, 2015 की प्रति परिशिष्ट-1 पर एवं इसमें किये गये संशोधनों की प्रतियां परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध हैं।

(2) सरकार द्वारा प्रदेश में अवैध खनन की रोकथाम हेतु जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एस.आई.टी. तथा उप-खण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में उप-खण्ड स्तरीय समिति गठित की हुई है। अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही हेतु समय-समय पर आदेश/निर्देश जारी किये गये हैं, आदेश/निर्देश की प्रतियां परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध हैं। राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध समय-समय पर राजस्व, पुलिस, परिवहन एवं वन विभाग के साथ संयुक्त अभियान भी चलाये गये हैं। दिनांक 15.01.2024 से 31.01.2024 के मध्य चलाये गये संयुक्त अभियान के दौरान की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है। खनिज बजरी एवं अन्य खनिजों के अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही हेतु दिनांक 11.06.2024 से संयुक्त अभियान चलाया गया है।

(3) प्रदेश में खातेदारी एवं सरकारी भूमि में अप्रधान खनिज के खनन पट्टों के आवंटन

के प्रावधान राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 में किये गये हैं। उक्त नियमों में सरकारी भूमि में खनन पट्टा आवंटन के प्रावधान निम्न हैः-

1- नियम 16 के उप-नियम 7 के क्लॉज (i) में अधिसूचित अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में खनिज मेसेनरी स्टोन के डेलिनियेट किये गये कुल प्लॉट्स में से एक तिहाई प्लॉट अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्थानीय निवासियों (डोमिसाईल) के लिये आरक्षित रखे जाने के प्रावधान हैं। इसी उप-नियम के क्लॉज (ii) में नदी क्षेत्र में खनिज बजरी के खनन पट्टे अनुसूचित जनजाति के स्थानीय निवासियों (डोमिसाईल) की पंजीकृत सोसाइटी को प्राथमिकता के आधार पर दिये जाने के प्रावधान है, नियम के सम्बन्धित भाग की प्रति परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है।

2- नियम 84 के उप-नियम (6) के अन्तर्गत राज्य सरकार की कम्पनी अथवा निगम को भी खनन पट्टा आवंटित किये जा सकते है, नियम के सम्बन्धित भाग की प्रति परिशिष्ट-6 पर उपलब्ध है।

3- नियम 16(7) व 84(6) के उपरोक्त प्रावधान के अतिरिक्त सरकारी भूमि में खनन पट्टों का आवंटन नीलामी से किये जाने के प्रावधान हैं।

उक्त नियमों के नियम 17ए में खातेदारी भूमि में सम्बन्धित खातेदार अथवा खातेदार की पंजीकृत सहमतिधारक को खनन पट्टा आवंटित किये जाने के प्रावधान हैं, नियम 17ए की प्रति परिशिष्ट-7 पर उपलब्ध है।

(4) प्रदेश में खनिज क्वार्टज की उपलब्धता सतह के साथ-साथ गहराई में भी होने के कारण वर्तमान में उक्त खनिज के अल्पावधि अनुमति पत्र जारी करने हेतु नीति बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया है, मैं पूरक प्रश्न पूछ लेता हूं।

श्री अध्यक्षः आप पहले ही बता देते। चलिए प्रश्न पूछिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि क्या सरकार द्वारा अवैध खनन को रोकने के समय-समय पर आदेश जारी किए हैं, फिर भी अवैध खनन रोका नहीं जा रहा है। क्या सरकार खनन नीति को संशोधित कर, अवैध खनन को रोकने की मंशा रखती है? यह नंबर एक, दूसरा भी पूछ लेता हूं।

श्री अध्यक्षः पूछ लीजिए। दो ही हैं, दोनों एक साथ पूछ लीजिए आप।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या यह सही है कि कपासन विधान सभा क्षेत्र व प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में क्वार्टज पत्थर मिनरल अधिकांशतः जमीन की ऊपरी सतह पर ही मिलता है? यदि हां, तो क्या सरकार क्वार्टज खनिज पत्थर के अवैध खनन को रोकने एवं सरकार की आय बढ़ाने के लिए जिप्सत खनिज की तरह ही शार्ट टर्म परमिट सरकार देने की मंशा रखती है? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय,

क्वार्टज के लिए कोई शार्ट टर्म पॉलिसी नहीं है। जो इल्लिगल माइनिंग है, उसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलक्टर की चैयरमेनशिप में कमेटी बनी है। उसके मेम्बर्स एसआईटी, माइंस, फोरेस्ट, रेवेन्यू, पुलिस और ट्रांसपोर्ट, इन विभागों के अधिकारी इसके अन्दर मीटिंग में हैं, जो टाइमली होती है। ऐसे ही सब-डिवीजन में एक कमेटी है, एसडीएम उसको चैयर करते हैं और ये ही विभिन्न विभाग, जिनकी मैंने चर्चा की, इनकी ही कमेटी रहती है।

अभी हमारी सरकार ने पहली बार बहुत ही तगड़े अभियान किए। एक तो 15/01/24 से लेकर 31/01/24 तक सब माइंस का किया। उस अभियान के तहत 2234 टोटल केसेज इल्लिगल माइनिंग के पकड़े गये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपनी सीट पर। नियम सबके लिए हैं। माननीय, आपके पीछे बैठे हैं। चार सीट थोड़े ही हैं। बार-बार कहना नहीं पड़े, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ये इंदिरा जी इधर-उधर आती जाती रहती हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 15/01/2024 से 31/01/2024 तक पहला अभियान चलाया गया, सब माइंस के ऊपर। 2234 केसेज इल्लिगल माइनिंग के पकड़े गये। 1.48 लाख टन मिनरल्स सीज किये गये। पेनल्टी जो रिकवर हुई, वह 35.59 करोड़, व्हीकल्स जो सीज किए, जिसके अन्दर जेसीबी, एक्सकेवेटर्स, पोकलेन, वह 129, अन्य मशीनरी डम्पर्स, ट्रेक्टर्स 1902, एफआईआर रजिस्टर हुई 564 और 264 लोग अरेस्ट हुए, ऑल राजस्थान सब मिनरल्स पर। दूसरा, जो अभियान था वह बनास और चम्बल की बजरी माइनिंग पर था। 1 मई, 2024 से 15 मई, 2024, कुल केस।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): यह अभियान तो चल रहा है, मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने इल्लिगल माइनिंग के बारे में बोला कि क्या किया जा रहा है? उसी का तो जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आपने प्रश्न पूछा कि क्या किया जा रहा है, वह बता रहे हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप दो मिनट रुकिये, अभी पांच मिनट है। चिंता मत कीजिए।

श्री अध्यक्ष: दूसरा प्रश्न आ जाएगा।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विधायक जी को भी ये मालूम होना चाहिए कि हमारी सरकार ने कितने कड़े कदम उठाए हैं।

श्री अध्यक्ष: संख्या में दे दीजिए। दूसरा प्रश्न।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): दूसरे प्रश्न का जवाब दे दिया, क्वार्ट्ज के बारे में कोई शार्ट टर्म माइनिंग नहीं है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मंत्री जी, मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि इस अवैध खनन को रोकने के लिए जिप्सम में शार्ट टर्म होता है। आप कह रहे हैं कि क्वार्टज में नहीं है। इसको कीजिए तो अवैध खनन रुक जाएगा। मैं यही तो कह रहा हूं।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी जो नयी पॉलिसी

बन रही है, उसके अन्दर कई प्रस्ताव है, विचारधारा है, क्वाट्र्ज के अन्दर देख लेंगे। अभी आज की तारीख में अभी तक क्वाट्र्ज को शाट टर्म माइनिंग की परमिशन नहीं है। जो नई पॉलिसी अभी तैयार हो रही है, हम कोशिश करेंगे उसके लिए भी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, मैंने स्थगन के माध्यम से भी तकरीबन 15 जिलों में अवैध खनन के बारे में यहां सदन में बात रखी थी। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने अभी अभियान के बारे में बात की, तो आपने अभियान बंद क्यों कर दिया? क्या अवैध खनन बंद हो गया? क्या माफियाओं पर रोक लग गयी? आपने क्यों बंद किया। हालात ये हैं कि एसडीएम पुलिस जाप्ता मांगती है, एसएचओ आने से मना कर देता है। अकेली खुद एसडीएम को बिना जाप्ते के जाना पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यही पूछना चाहता हूं कि क्या प्रदेश में अवैध खनन पर रोक लग गयी, जो आपने ये अभियान बंद कर दिया। यह अभियान एक सेटिंग कराने के लिए चलाया गया था और सेटिंग होते ही अभियान को बंद कर दिया गया। ...(व्यवधान)... आज जवाब दे दीजिए, मंत्री जी।

श्री अध्यक्ष: ये प्रश्न में है ही नहीं। ...(व्यवधान)... अगला प्रश्न।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ये गलत आरोप लगा रहे हैं। ...(व्यवधान)... गलत आरोप है।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। आप सब क्यों खड़े हो गये? ये प्रश्न काल है। अशोक जी, बैठिए। ...(व्यवधान)... सब लोग बैठिए। मिस्टर रोहित, ये आखिरी बार कह रहा हूं। ये हॉस्टल है क्या, या कॉलेज है। मैं उधर भी कह रहा हूं। आप क्यों खड़े हो रहे हैं? आप अपनी सीमा में रहिए। एक सीमा होती है। आपका नेता पूछ रह है, उत्तर मैं दिलवा रहा हूं और खड़े हो जाते हैं। एक मिनट रुकिए, अंशुमान जी। सब बैठिए। अपनी सीट पर सब लोग रहेंगे।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी अभियान जब चलता है तो दो-दो, तीन-तीन साल तक थोड़े ही चलता है, शार्ट टर्म चलता है। जो मैंने फिगर्स दिए, जो बीच में हमारे माननीय प्रश्नकर्ता ने इंटरवीन कर दिया, आप फिगर्स तो देखिए कि कितना एक्शन लिया गया। 15-15 दिन के अन्दर इतने सीजर्स हुए, इतने ट्रेक्टर्स पकड़े, इतनी वसूली हुई, क्या वह गलत था? रोका क्या गया? अभियान कोई तीन-तीन साल तक चलता रहता है। शार्ट टर्म है। कलक्टर की जब एसआईटी बनाई हुई है, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, आपके एसडीएम लेवल पर, ये लोग मीटिंग्स नहीं करते, सब डिपार्टमेंट्स, ट्रांसपोर्ट, माइंस, आप ये सराहना नहीं कर रहे हैं कि माइंस के ऊपर हमने इतना कड़ा कदम लिया। आपकी सरकार ने तो कभी लिया हीं नहीं। ...(व्यवधान)... ये हमने लिया है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, अभियान हमने चलाया। कोई

अभियान लम्बे नहीं चलते हैं, ...(व्यवधान)... कैसे नहीं चलते हैं, प्रदेश में और देश के अन्दर ऐसे-ऐसे अभियान चले हैं कि जब तक उस व्यवस्था को पूरी रोक नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, प्रश्न पूछिए।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, उसके पश्चात आचार संहिता भी लग गयी थी। ...(व्यवधान)... आचार संहिता लग गयी थी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री भाटी।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): प्रश्न संख्या 3957

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं दे रहे हैं। ...(व्यवधान)... जवाब नहीं आ रहे।

श्री अध्यक्ष: यह आपका कहना है। जवाब आ रहे हैं, आप सुनिए। ...(व्यवधान)... बैठिए। माननीय, आपका नेता खड़ा है। विपक्ष के नेता जी खड़े हैं। जब विपक्ष के नेता खड़े हैं, तब तो कम से कम बैठिए। प्रश्न काल समाप्त।

Ans/rtm 12.00 1g 30.07.2024

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री गणेशराज बंसल, सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ तहसील में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत जमीनों का रिकॉर्ड ऑनलाईन किये जाने से किसानों को आ रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री रोहित बौहरा, सदस्य की ओर से प्रदेश में जुलाई माह से प्रारम्भ शैक्षणिक सत्र में आवश्यक शिक्षण व्यवस्थाओं एवं अन्य संसाधनों की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री गणेश घोगरा, सदस्य की ओर से उदयपुर के गांव पोपल्टी में दूषित जल के सेवन से हुई मौतों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बूंदी के मुख्यालय पर मिनी सचिवालय के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के प्रधान एवं उप प्रधान के वार्ड नगर पालिका क्षेत्र में आने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) डॉ. प्रियंका चौधरी, सदस्य की ओर से बाड़मेर स्थित चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सकों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ की ग्राम पंचायत जोगणिया बिदावतान का नवीन भवन निर्माण हेतु भूमि गांव से बाहर चिह्नित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

(8) श्री अमित चाचाण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोहर एवं भादरा के काश्तकारों को विगत तीन वर्षों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत क्लेम नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री ललित यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश में स्टेट हाईवे पर अतिक्रमण एवं अवैध टोल वसूली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री मनीष यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों को दिये जाने वाले अनुदान की बकाया राशि का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से पचपदरा स्थित रिफाइनरी में अधिकारियों की लापरवाही से हो रही दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री अमित चाचाण, श्री ललित यादव, श्री मनीष यादव एवं श्री रविन्द्र सिंह भाटी को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनिट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएँ

(1) श्री लालाराम बैरवा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में अवैध रूप से संचालित बजरी एवं पत्थर के खनन पर अंकुश लगाये जाने के संबंध में।

(2) श्री कंवरलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अंता में मांगरोल-सीसवाली-अंता-सागोद सड़क पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(3) श्री रामनिवास गावडिया, सदस्य की ओर से उपखण्ड मुख्यालय परबतसर पर उप जिला अस्पताल का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाये जाने के संबंध में।

(4) श्री बालमुकुन्दाचार्य, सदस्य की ओर से प्रदेश के पुलिस विभाग में कार्यरत पुलिसकर्मियों के वेतन एवं भत्तों में बढ़ोतरी किये जाने के संबंध में।

(5) श्री भागचन्द टांकड़ा, सदस्य की ओर से प्रदेश में विद्युत विभाग की तीनों डिस्कॉम में पदस्थापित कार्मिकों का परस्पर स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में।

(6) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कपासन में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि से वंचित किसानों को राशि का भुगतान किये जाने के संबंध में।

(7) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के कतिपय विद्यालयों के क्षतिग्रस्त भवनों का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(8) श्री गणेश घोगरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के ग्रामदानी ग्रामों के अध्यक्षों का चुनाव करवाये जाने के संबंध में।

(9) श्री कैलाश चन्द वर्मा, सदस्य की ओर से कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय का नाम परिवर्तित कर ए.सी.एम. बगरू किये जाने के संबंध में।

(10) श्री महेन्द्र पाल मीना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जल जीवन मिशन योजना कार्यों से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत नहीं किये जाने से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(11) श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी, सदस्य की ओर से प्रदेश के किसानों एवं आमजन को घरेलू एवं कृषि कनेक्शन हेतु आवश्यक विद्युत उपकरण शीघ्र उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

(12) श्री नरेन्द्र बुडानियां, सदस्य की ओर से नगर पालिका तारानगर के वार्ड संख्या 01 में बारिश के पानी की निकासी के संबंध में।

(13) श्री अर्जुन लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान किये जाने के संबंध में।

(14 श्री लक्ष्मण, सदस्य की ओर से प्रदेश में उच्च गुणवत्ता की सड़कों तथा पुलियाओं का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(15) श्री सुरेश मोदी, सदस्य की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र की प्रशासन की लापरवाही से हुई असामयिक मृत्यु की जांच करवाकर कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 30/07/2024 को शून्यकाल में बोलने हेतु 52 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गई, जो निम्नानुसार है:-

(1) श्री कालूराम, सुकेत से डग 103 किलोमीटर सड़क का निर्माण करवाया जाए वह इस सड़क पर टोल को फ्री किया जाए के संबंध में चर्चा

(2) श्री पब्बाराम विश्नोई, फलोदी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल संबंधी समस्या पर व्यापक चर्चा के संबंध में।

(3) श्री राजेन्द्र, विधान सभा क्षेत्र महवा में बिजली की जबरदस्त कटौती से ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न समस्या पर चर्चा।

(4) श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल, विगत 5 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र खंडार में केंद्र सरकार की आर.डी.एस.एस. स्कीम के द्वारा कोई कार्य नहीं होने से विद्युत संबंधी समस्याओं के संबंध में चर्चा।

श्री अमित चाचाण।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे रोज निवेदन कर रहा हूं। धारीवाल जी भी आज बैठे हैं सदन में।

श्री अध्यक्ष: अभी बाद में। जीरो आवर के बाद कहा था।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा
नोहर एवं भादरा के काश्तकारों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम का भुगतान

श्री अमित चाचाण (नोहर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विधान सभा की प्रक्रिया नियम 50, स्थगन के तहत बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत काश्तकार, राज्य सरकार, केन्द्र व सरकार द्वारा फसल बीमा क्लेम का बीमा व प्रिमियम राशि भरी जाती है। हज़ारों-करोड़ों रूपये बीमा कम्पनियों द्वारा लेने के बावजूद भी, जब काश्तकार को क्लेम देने की बात आती है तो तरह-तरह के आक्षेप लगाकर बीमा कम्पनियों द्वारा काश्तकारों को क्लेम नहीं दिया जाता है। काश्तकारों को समय-समय पर आंदोलन भी करने पड़ रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि रबी 2021-22 ख़रीफ़ 2022 तथा रबी 2022-23 में राजस्व मंडल फसल कटाई प्रयोगों पर बीमा कंपनी द्वारा मिथक आक्षेप लगाकर फसल बीमा क्लेम भुगतान को रोक रखा है, आक्षेपों के सक्षम स्तर से निस्तारण के बावजूद भी हज़ारों कृषकों का फसल बीमा क्लेम भुगतान आज दिनांक तक लंबित है।

(समयः बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

खरीफ 2020 से रबी 2022-23 तक सैकड़ों कृषकों के बैंक खाता नंबर बंद होने/खाता नंबर बदल जाने के कारण फसल बीमा क्लेम के बाउंस पेमेंट को उस कृषक की फार्मर आईडी पर अगले सीजन में कृषक करवाएं गए फसल बीमा की एनसीआइपी पोर्टल पर उपलब्ध अल्टरनेट अकाउंट, बैंक खाते में कृषक के बीमा क्लेम शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करावे।

ख़रीफ़ 2022 एवं रबी 2022-23 में 10 हेक्टेयर से अधिक फसल बीमा करवाने वाले समस्त कृषकों की फसल बीमा पॉलिसियों को बीमा कंपनी द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए, बिना कारण स्पष्ट किए निरस्त कर दिया गया है एवं कृषकों को फसल बीमा का भुगतान नहीं किया गया है। कृपया फसल बीमा कंपनी को पाबंद करें कि वह उन समस्त फसल बीमा पॉलिसियों को बहाल करें एवं कृषकों के लम्बित फसल बीमा क्लेम का अविलंब ब्याज सहित भुगतान करे।

मृत कृषकों के फसल बीमा क्लेम का सेटलमेंट उनके उत्तराधिकारीयों को सरलतम पद्धति से शीघ्र भुगतान की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

राजस्व मंडल फसल कटाई प्रयोगों का आयोजन स्मार्ट सैंपलिंग के स्थान पर राजस्व मंडल की अधिसूचना में वर्णित प्रावधान के अनुसार रैंडम कॉलम नंबर के आधार पर करवाया जाए, क्योंकि यह अनुभव किया गया है कि स्मार्ट सैंपलिंग में जहां फसल बहुत अच्छी होती है उसी स्थान के जियो को-ऑर्डिनेट्स आवंटित किए जाते हैं और उस क्षेत्र की फसल का

संपूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जारी अधिसूचना में खड़ी फसल में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति पूर्ति हेतु इंडिविजुअल लेवल एप्लीकेशन के प्रावधान को हटा दिया गया है।

हमारे बड़े-बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं, उनके अनुसार यह बीमा पॉलिसी की दुबारा अधिसूचना जारी की गई है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि 2016-17 में जो अधिसूचना जारी की गई थी, वही की जाए।

माननीय सभापति महोदय, जब ओलावृष्टि होती है तो वह पूरे राजस्व गांव में, पूरे खसरे में नहीं होती, वह एक पट्टी के रूप में लम्बी चलती है और उसका बीमा कम्पनी द्वारा क्लेम नहीं दिया जा रहा। आज भी मेरे नोहर विधान सभा क्षेत्र के एवं भादरा विधान सभा क्षेत्र के हज़ारों किसानों का बीमा क्लेम अटका हुआ है। समय-समय पर आंदोलन किया जा रहा है।

श्री सभापतिः विराजिए।

श्री अमित चाचाण (नोहर): आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि बीमा कम्पनियों के अधिकारियों की मीटिंग ली जाए, उन्हें सख्ती के साथ कहे कि आपने प्रिमियम राशि हज़ारों-करोड़ रूपये ली है, उसके एवज में हमारे कृषकों के जो भी वंचित बीमा क्लेम हैं उनको करें।

श्री सभापतिः विराजिए।

श्री अमित चाचाण (नोहर): पटवार मण्डलों पर आक्षेप लगा रखे हैं, उस आक्षेप को भी हटाने का काम करे और तमाम पॉलिसी को मानते हुए बीमा क्लेम दिलाए। आपका धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापतिः श्री रोहित बौहरा। श्री गणेश घोघरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, धन्यवाद। राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया....

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, एक सैकण्ड विराजिए। श्री मनीष यादव।

VPS-RTM-30.07.2024-12.10-1h

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, जब आपने खड़ा कर दिया तो दो मिनट बोलने दो।

श्री सभापतिः विराजिये-विराजिये। श्री मनीष यादव। इनका अंकित नहीं होगा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री सभापतिः श्री ललित यादव। ललित यादव, आप बोलिये। माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा, श्री ललित यादव। अंकित नहीं होगा आपका। श्री ललित यादव, आप बोलिये। आप विराजिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

स्टेट हाईवे पर अतिक्रमण एवं अवैध टोल वसूली

श्री ललित यादव (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि प्रदेश में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर जिस प्रकार से टोल नीति बनाई है, उसके अलावा भी अलग से टोल वसूली की जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मोटर व्हिकल एक्ट और एन.एच. एक्ट के अनुसार 60 किलोमीटर से कम दूरी पर टोल नहीं लगाया जा सकता है लेकिन दौलतपुरा से मनोहपुर टोल की दूरी महज 35 किलोमीटर ही है और संसद में माननीय केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरीजी ने भी यह बात कही है कि 60 किलोमीटर से कम की दूरी पर कोई टोल होगा तो तुरंत प्रभाव से हटा दिया जायेगा। उन्होंने आधार कार्ड के हिसाब से छूट देने की बात कही है तो मेरा यह निवेदन है कि इसको जो 60 किलोमीटर से कम की दूरी पर है, इसको हटाने का काम किया जाये और आधार कार्ड से छूट देने का काम किया जाये। राजस्थान स्टेट मोटर एक्ट के अनुसार 40 किलोमीटर दूरी पर टोल की बात की है, लेकिन अलवर से भरतपुर पर चार-चार टोल लगाये हुए हैं तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप इस ओर भी ध्यान दें जिससे कि जनता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर से लेकर सोड़ावास, सोड़ावास से लेकर अजरका पर एक सड़क बनी जो सड़क 55 करोड़ रुपये की लागत से बनी है और उस सड़क में रास्ते में एक भानोत बाईपास आता है, जहां पर एक मकान की वजह से वह सड़क रुकी हुई है तो मेरा सरकार से यह निवेदन है कि उस सड़क को भी पूरी करे जिससे आमजन को राहत मिल सके, चाहे आप भले ही वहां पर ओवरब्रिज बनायें या भले ही दुबारा जमीन अधिग्रहण करें लेकिन जनता को रास्ता तो उपलब्ध करायें। जनता को बड़ी परेशानी हो रही है तो इसका भी आप लोग काम करें।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जयपुर से लेकर शहाजहांपुर तक जो हाईवे है, उस पर भी बहुत सारा अतिक्रमण हो रहा है जिससे आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।

श्री सभापति: विराजिये। आपका विषय आ गया है। श्री मनीष यादव। आप विराजिये।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): उस पर भी आप लोग ध्यान देने का काम करें, जिससे कि राजस्थान की जनता को लाभ मिल सके। इस ओर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

पशुपालकों को देय अनुदान की बकाया राशि का भुगतान

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने के लिए मौका देने के लिए आपको धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में पशुपालन व्यवसाय का

बड़ा महत्व है। प्रदेश में पशुपालन न केवल जीविकोपार्जन का आधार है बल्कि रोजगार और सामान्य आय का भी एक विशेष स्रोत है। प्रदेश में पशुपालकों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के उद्देश्य से तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बजट वर्ष 2013-14 में मुख्य मंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के तहत सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों में दूध की सप्लाई करने वाले पशुपालकों को 2 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जाता था जो बाद में भारतीय जनता पार्टी की उस समय तत्कालीन सरकार ने बंद कर दिया लेकिन 01 फरवरी, 2019 से वापस कांग्रेस सरकार ने इसको शुरू किया और बजट वर्ष 2022-23 में यह जो राशि थी इसको 2 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये कर दी। पिछले सात महीनों से प्रदेश के पांच लाख पशुपालकों का जो अनुदान था, जिसकी अनुमानित राशि 250 करोड़ रुपये है, वह बकाया चल रही है। प्रदेश के पशुपालक का आर्थिक सम्बल टूट चुका है। जिस तरीके से आज प्रदेश में किसानों की स्थिति है, किसान पशुपालन करके अपनी अर्थव्यवस्था चलाता है पर आप देखेंगे कि चारा का भाव 320 रुपये प्रति मन है, काकड़ा खल 55 रुपये प्रति किलोग्राम है, पानी का टेंकर 450 रुपये में आता है। मैं यह मांग करना चाहता हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खाद्यान्न की तरह दूध में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य चार रुपये प्रति फेट के हिसाब से मिनिमम 50 रुपये करने की आप कृपा करें।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, यह आवश्यक है क्योंकि सात महीने से हमारे पशुपालकों का संयम टूटा हुआ है। प्रदेश की भाजपा सरकार उनके संयम की परीक्षा ले रही है तो मैं सदन से यह मांग करना चाहता हूं कि प्रदेश के पशुपालकों की तरफ ध्यान दें।

श्री सभापति: विराजिये। श्री रविन्द्र सिंह भाटी। आप विराजिये। आपकी बात आ गयी।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): उन पशुपालकों को न्याय दिलाने का काम करें। उनको अनुदान देने का काम करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

पचपदरा स्थित रिफाइनरी में अधिकारियों की लापरवाही से घटित दुर्घटनाएं

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा इस प्रदेश की सरकार से कि बाड़मेर जैसलमेर में कई सारी मल्टी-नेशनल कम्पनीज हैं, उनके अन्दर कई सारे मजदूर वहां पर काम करते हैं। कल की घटना की एक बात करूं तो रिफाइनरी के अन्दर एक मजदूर की मौत होती है। मौत का मुख्य कारण किसी भी तरीके की कोई सुरक्षा व्यवस्था उन्हें उपलब्ध नहीं करवायी गयी थी, जिसके कारण यह घटना घटित हुई। मैं यह बताना चाहूंगा कि आये दिन ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं, मजदूरों की मौत हो रही है। ज्यादातर जो मजदूर हैं, वे यू.पी. और बिहार के हैं, उनकी कोई बात करने तक नहीं आता है और न ही कोई उनके दु:ख-दर्द को आगे तक ही रख पाता है तो मेरा यह निवेदन है आपके माध्यम से कि यह जो तमाम मजदूर हैं, उनको प्रोपर तरीके से, इनकी सिक्योरिटी के लिए, इनकी

सेफ्टी के लिए सभी तरह के उपकरण उपलब्ध करवाने चाहिए।

साथ ही साथ, एक मजदूर की पीड़ा को हमें समझने की जरूरत है। वह भी किसी का पिता है, किसी का पति है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है तो वह बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहा है। आज के समय में उनकी कोई बात नहीं कर रहा है तो मुझे यह लगता है कि विशेष रूप से आपको इस तरफ देखना होगा।

साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, माइनिंग और कई सारी जो तमाम कम्पनीज वहां पर काम कर रही हैं, उनके अन्दर कई सारे मजदूर काम कर रहे हैं। उनकी जब दुर्घटना में कोई मृत्यु होती है तो उन्हें किसी भी तरीके का कोई पी.एफ., कोई गारंटी, कोई भी तरीके का बीमा परिलाभ नहीं मिलता है तो मेरा यह निवेदन है कि इस हेतु भी तमाम कम्पनीज को आप पाबंद करें।

साथ ही साथ, वे जो श्रमिक हैं उनको भी जागरूक करने का भी हम सबको काम करना चाहिए, ताकि उनको बीमे का और तमाम चीजों का फायदा मिल सके। मेरा निवेदन है कि यह सेफ्टी रिलेटेड जो भी समस्या आ रही है, वे मजदूर हैं, उनकी आवाज को मजबूत हम सबको मिलकर करना होगा। मेरा निवेदन है कि इस मामले को आप देखें और राजस्थान में तमाम जो भी उद्योग हैं, उनके अन्दर काम करने वाले मजदूरों की जो सुरक्षा है, उसको लेकर हमें गम्भीर होना होगा और संवेदनशीलता दिखाते हुए इस पर काम करने की जरूरत है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः विशेष उल्लेख की सूचनाओं के तहत श्री लालाराम बैरवा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

शाहपुरा में बजरी व पत्थर के खनन पर अंकुश

श्री लालाराम बैरवा (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, आपने 295 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः इसमें जो लिखा है वह ही पढ़िये माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, 295 में लिखा है विशेष उल्लेख में, वह ही पढ़ना है।

श्री लालाराम बैरवा (शाहपुरा): वह ही पढ़ रहा हूं।

विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा में बजरी व पत्थर माइनिंग के अवैध कारोबार के सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा में बजरी व पत्थर माइनिंग का अवैध कारोबार चरम सीमा पर चल रहा है, जिसमें मुख्यतः बजरी, गारनेट, पत्थर आदि का अवैध रूप से खनन हो रहा है। लगातार खातेदारों की शिकायत होने पर भी प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से पूछना है कि क्या सरकार अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करने की मंशा रखती है एवं उनके विरुद्ध कब तक कार्यवाही हो जाएगी? इसकी वजह से क्षेत्र के लोगों में काफी

रोष व्याप्त है।

श्री सभापति: आप विराजिये। 295 में विशेष उल्लेख के तहत जो हम लिखकर देते हैं वे ही बिलकुल शब्द आने चाहिए। श्री कंवर लाल।

मांगरोल-सीसवाली-अंता सांगोद सड़क पर आर.ओ.बी.का निर्माण

श्री कंवरलाल (अंता): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत मांगरोल-सीसवाली-अंता सागोद सड़क (एस.एच.-51) किलोमीटर 37/111 (LC No. 21ASPL) पर आर.ओ.बी. के निर्माण में शामिल करने के सन्दर्भ में निवेदन।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अंता मांगरोल अंता में मांगरोल-सीसवाली-अंता सागोद सड़क (एस.एच.-51) किलोमीटर 37/111 (LC No. 21ASPL) पर रेलवे फाटक है जिस पर रेलगाड़ी/मालगाड़ी आ जाने के कारण घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है जिससे विधान सभा क्षेत्र के वासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अत: माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अंता में मांगरोल-सीसवाली-अंता सागोद सड़क (एस.एच.-51) किलोमीटर 37/111 (LC No. 21ASPL) पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य किया जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। धन्यवाद।

SSY/RTM/30.07.2024/12:20/1j

श्री सभापति: श्री रामनिवास गावड़िया।

परबतसर उप जिला अस्पताल का भवन निर्माण

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियम 295 के तहत निवेदन है कि परबतसर उपखंड मुख्यालय पर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 41 करोड़ रुपये की लागत से उप जिला अस्पताल ट्रोमा सेंटर की स्वीकृति हुई। उसके तत्पश्चात् 09 सितम्बर 2023 को शिलान्यास कर भवन निर्माण के कार्य को शुरू किया गया।

माननीय सभापति महोदय, राजस्व विभाग द्वारा 2.83 हैक्टेयर भूमि आवंटित की गयी थी जिसमें 04 खसरा हैं, उसके कुछ महीनों पश्चात् वन विभाग द्वारा उसमें आपत्ति लगाई गयी कि उक्त भूमि वन विभाग के नाम है, जबकि भूमि राजस्व विभाग के नाम है। राजस्व विभाग का मानना है कि यह भूमि सिवाय चक भूमि है। इस विरोधाभास की वजह से उक्त भवन निर्माण के कार्य को रोक दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान लेकर इस भवन निर्माण को शुरू करें, ताकि इसका लाभ आमजन को मिल सके।

श्री सभापतिः श्री बालमुकुन्दाचार्य।

पुलिस विभाग में कार्यरत पुलिसकर्मियों के वेतन एवं भत्तों में बढ़ोतरी

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये मैं एक महत्वपूर्ण मसले पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश में अगर कठिन ड्यूटी देने की बात आती है तो स्वाभाविक रूप से पुलिसकर्मी का चेहरा नजर आता है। पुलिसकर्मी रात-दिन, गर्मी सर्दी, बरसात में, खुले में अपनी ड्यूटी को मुस्तैदी से करते हुए पाये जायेंगे।

जब भी कोई घटना होती है, धार्मिक जुलूस, प्रदर्शन, प्राकृतिक आपदा, वी.आई.पी. का मूवमेंट होता है तो पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाता है और ये कार्मिक बिना खाये-पीये लगातार मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। गर्मी में 50-55 डिग्री के तापमान में भी यातायात पुलिसकर्मी तेज धूप में अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी के साथ निभाते हैं।

कोरोनाकाल की विषम परिस्थिति में भी अगर कोई खड़ा था तो उनमें स्वास्थ्य विभाग, समाज सेवियों के साथ पुलिस के जवान ही थे जिन्होंने जान की भी परवाह नहीं कर काम किया था। परन्तु इतनी कठिन ड्यूटी होने के उपरान्त भी उनको वही सुविधाएं मिलती हैं जो अन्य विभागों के कार्मिकों को मिलती है।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि पुलिसकर्मियों की पदोन्नति के अधिक अवसर दिये जाएं। इनका कैडर रिव्यू कर ऊपर के पद बढाकर इनको पदोन्नति दी जाए। इसके अलावा इन्हें अतिरिक्त वेतन वृद्धि भी दी जाए। साथ ही इनके साइकिल/मोटर साइकिल भत्ते, मैस भत्ते, वर्दी भत्ते में भी बढ़ोतरी की जाए। इसके अतिरिक्त इनके ड्यूटी के घंटे भी फिक्स कर इन्हें अवकाश की भी सुविधा बढ़ायी जाए।

अतः प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत यह विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि जो पुलिसकर्मी दिन-रात आम जनता की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं उनके लिए सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर इन्हें सुविधाएं देने की कृपा करें।

श्री सभापतिः विराजिये आप। आपका आ गया। आपने जो लिखा था, वह आ गया। श्री भागचंद टांकड़ा।

विद्युत विभाग के डिस्कॉम्स में पदस्थापित कार्मिकों का परस्पर स्थानान्तरण

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत निवेदन है कि 19 जुलाई, 2000 को तत्कालीन सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को तोड़कर अलग-अलग कंपनिया बना दी थीं। इसमें वितरण की 3 कंपनियां जयपुर डिस्कॉम, अजमेर डिस्कॉम एवं जोधपुर डिस्कॉम बना दीं, जबकि तीनों डिस्कॉम्स में अधिकारी-कार्मिकों के कार्य व वेतनमान समान प्रवृत्ति के हैं।

इसके बावजूद एक डिस्कॉम से दूसरे डिस्कॉम में अधिकारी-कार्मिकों के स्थानांतरण नहीं होने से हजारों बिजली अधिकारी, कार्मिक पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा

रहे हैं और मानसिक तनाव में निगम सेवाएं देने को मजबूर हैं, बेबस हैं।

पिछले चौबीस वर्षों में रिकॉर्ड बिजली हादसों में बिजली कार्मिकों के निधन हुए हैं। दिनांक 2.6.2016 को सरकार द्वारा लाडनूं को अन्तरण स्कीम के तहत जोधपुर डिस्कॉम से अजमेर डिस्कॉम में शामिल किया गया है और वहां कार्यरत कार्मिकों से ऑप्शन फॉर्म लेकर इन्टर-डिस्कॉम तबादले किए हैं।

राज्य सरकार द्वारा लाडनूं और डीडवाना तर्ज पर तीनो डिस्कॉम के कार्मिकों के इन्टर डिस्कॉम स्थानांतरण किये जायें या इसके लिए तीनो डिस्कॉम में कार्यरत सभी कार्मिकों की एक ही वरिष्ठता बनाकर कार्मिकों के टाइम बाउंड 7 साल या 10 साल बाद इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण शुरू करे, जिससे हजारों कार्मिकों को मानसिक तनाव से छुटकारा मिल सके।

मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हजारों अल्प वेतन भोगी बिजली कार्मिकों की इस समस्या का समाधान राज्य सरकार शीघ्र करावे। समान प्रवृत्ति के कार्य होने से यदि इन्टर डिस्कॉम तबादले होते हैं, तो विद्युत निगमों को फायदा भी होगा। इससे कोई वित्तीय भार भी नहीं आयेगा।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

कपासन में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित किसानों को भुगतान

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कपासन में अधिकांश किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि एवं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि दी जा रही है। लेकिन कपासन विधान सभा क्षेत्र के कई किसानों को आज तक किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि नहीं दी जा रही है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम जैतपुरा, तहसील कपासन के किसानों को आज तक किसान सम्मान निधि की 6-6 हजार रुपये की राशि एक बार भी नहीं मिली। मैं पिछले पाँच वर्षों में अधिकारियों व कांग्रेस सरकार से किसानों को सम्मान निधि दिलाने के लिए पत्र लिखता रहा। सरकार से एक ही जवाब आता रहा है कि जैतपुरा गांव का राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं हो रहा है।

कई गांवां के राजस्व रिकॉर्ड आनलाइन किये गये हैं, उनमें भी कई किसानों के नामों में त्रुटियां रह गई हैं, नक्शे में तरमीम भी गलत हो गये हैं। नक्शों में गलत तरमीम होने से किसानों में आपसी झगड़े हो रहे हैं।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द किसानों को किसान सम्मान निधि का भुगतान कराये तथा नक्शे की त्रुटियों को सरकार स्वयं के स्तर पर किसानों को साथ लेकर सही कराने का श्रम कराये।

श्री सभापति: श्री फूलसिंह मीणा।

उदयपुर ग्रामीण के विद्यालयों के क्षतिग्रस्त भवनों का निर्माण

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में भवन बनाने के लिए जमीन नहीं है, जो कि निम्न प्रकार से हैं-

1. देवाली उच्च माध्यमिक, जिसके पास 4 कमरे है, जो दूसरा कक्षा कक्ष बनाने के लिए जमीन नहीं है।

2. सरूपलाया अंग्रेजी उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें भी 4 कमरे है, जमीन अलॉट हो गई है, मगर भवन के लिए बजट चाहिए।

3. बारा पाल अंग्रेजी उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास भी 6 कमरे है, जमीन मिल गई है, मगर वहां पर भी बजट नहीं है।

4. पडूणा में भी उच्च माध्यमिक विद्यालय में 6 कमरे है। वहां पूर्व में विद्यालय का संचालन था, उसको मरम्मत करवाकर प्राइमरी तक के छात्र-छात्रा को वहां बैठाकर चलायेंगे तो बच्चे को अनुकूल वातावरण मिलेगा और पढाई भी अच्छी हो सकेगी।

5. बडी उन्दरी में उच्च माध्यमिक विद्यालय चल रहा है, उसमें भी 6 कक्षा कक्ष हैं, जो दो पारी में चलाए जा रहे हैं। फिर भी छोटे-छोटे कमरे होने से बच्चे परेशानी का सामना कर रहे हैं। वहां जमीन अलॉट हो गई, मगर भवन के लिए बजट नहीं है।

यही नहीं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अनेक स्कूलों में भवन जर्जर हो गये हैं। वर्षा के समय में बच्चों को छुट्टी देनी पड़ती है। क्योंकि पानी तो अंदर पड़ता है ही, मगर वह भवन कहीं गिर ना जाये या कुछ हिस्सा भी गिर जाये तो जनहानि होने का अंदेशा रहता है। सरकार की भी बदनामी होगी। इसलिए जिन-जिन स्कूलों में जमीन नहीं है, तो वहां जमीन उपलब्ध करवाई जाए और भवन बनाने के लिए बजट दिलवाये। जहां जमीन है तो वहां भवन बनाने के लिए बजट दिलाने की कृपा करायें।

यही नहीं जिन-जिन स्कूलों में भवन क्षतिग्रस्त हैं, उन भवनों की मरम्मत करवाकर स्कूलों के भवनों को बचाने की कृपा करायें और भवन बनाने के लिए बजट स्वीकृति करवाने की कृपा करवायें।

Spp/Rtm/30.07.2024/12:30/1k

श्री सभापति: श्री गणेश घोगरा।

डूंगरपुर के ग्रामदानी ग्रामों के अध्यक्षों का चुनाव

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि डूंगरपुर जिले में कुल 41 ग्रामदानी गांव हैं। उक्त ग्रामदानी गांव संत विनोबा भावे के द्वारा ग्राम गणराज्य, ग्रामदान, भूदान बनाये गये। डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत,

धमलात फलां के ग्रामदानी अध्यक्ष द्वारा काफी भ्रष्टाचार किया गया है। उसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि ग्रामदानी गांवों का रिकार्ड एवं राजस्व रिकार्ड खुर्द-बुर्द है, जिसका कोई प्रमाण भी नहीं है। सरकार द्वारा राजस्थान भूदान ग्रामदान बोर्ड भी गठित किया गया है, किन्तु उक्त बोर्ड द्वारा आज दिनांक तक कोई भी कार्य नहीं किये गये हैं। ग्रामदानी गांवों में सरकार की जो योजनाएं मिल रही हैं, उनसे वह वंचित हैं। डूंगरपुर जिले के समस्त ग्रामदानी गांवों को राजस्व गांव घोषित किया जावें। समस्त ग्रामदानी गांवों को राजस्व गांव घोषित किया जावे, जिससे सरकार की योजनाओं का फायदा मिल सके। विगत 20 वर्षो से ग्रामदानी गांवों के अध्यक्षों के चुनाव नहीं होने के कारण जो व्यक्ति अध्यक्ष पद पर काबिज है, वह अपनी मनमर्जी चलाकर अथवा डरा-धमका कर सीधे-साधे किसानों की जमीनें हड़प कर मनमानी कर रहे रहा है।

ग्रामदानी गांवों के कार्यों का अंकेक्षण कराया जाकर ग्रामदानी गांवों के कार्यों का अंकेक्षण कराया जाकर इसकी मासिक व वार्षिक रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जावे तथा काश्तकारों की रक्षा भी की जावे।

मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जो व्यक्ति जिस जमीन पर निवास कर रहा है, खेती-पशुपालन कर रहा है, उनका सर्वे कराकर उनको खातेदारी हक दिया जावे और जल्द ही 41 गांवों के ग्रामदानी अध्यक्षों का चुनाव भी करवाया जावे।

श्री सभापति: श्री कैलाश वर्मा।

कार्यालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय का नाम परिवर्तित कर ए.सी.एम. बगरू किया जाना

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय से उपतहसील कार्यालय बगरू की दूरी, भौगोलिक क्षेत्रफल एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए बगरू मुख्यालय पर ए.सी.एम. कार्यालय स्थापित किया जाना अपेक्षित है।

अतः बगरू की जनता को शीघ्र, सरल व सस्ता न्याय सुलभ कराने के लिए कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय का नाम परिवर्तित कर ए.सी.एम. बगरू एवं मुख्यालय बगरू कर अनुगृहीत करें।

श्री सभापति: श्री महेन्द्रपाल मीना।

जमवारामगढ़ में जल जीवन मिशन कार्यों से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि विगत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यों में घोर लापरवाली करते हुये पाइप लाइन बिछाने के नाम पर सड़कों को तोड़ दिया गया है। जिससे गायों व कस्बों के सभी रास्तो में

बड़े-बड़े खड्डे हो गये एवं आवागमन में जनता को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही हैं। कई बार इन टूटी-फूटी सड़कों के कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं।

मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे लापरवाह संवेदक के खिलाफ कार्यवाही करें एवं साथ ही जल-जीवन मिशन के अन्तर्गत लाइन डालने से टूटी-फूटी सड़कों को ठीक करवाया जाये, जिससे आमजन को राहत मिले तथा उक्त कारण से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगे और आवागमन में सुविधा प्रदान हो सके।

श्री सभापतिः श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी।

किसानों एवं आमजन को घरेलू एवं कृषि कनेक्शन हेतु
आवश्यक विद्युत उपकरण की उपलब्धता

श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी (नोखा): माननीय सभापति महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की सूचना के जरिये निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा के किसानों व आमजन को घरेलू व कृषि विद्युत कनेक्शन के लिए डिमांड राशि जमा कराने के बाद दो-तीन महीनों तक ट्रासंफार्मर, केबल, पोल व अन्य आवश्यक विद्युत सामग्री व उपकरण विद्युत विभाग द्वारा उपलब्ध नही कराये जाते हैं और उनको विद्युत विभाग के दफतरों के बार-बार चक्कर लगाने पडते हैं। यदि किसानों को समय रहते विद्युत सामग्री उपलब्ध करवाने की व्यवस्था नहीं की गई तो उनकी फसल बिजान का समय निकाल जायेगा और किसान बर्बाद हो जाएंगे। पहले से ही कर्ज में डूबा किसान और कर्ज में डूब जाएंगे। देश व प्रदेश के हालात हम देख ही रहे हैं। आये दिन कर्ज से परेशान अन्नदाता किसान के आत्महत्या की खबरें आम हो गयी हैं। सरकार को किसानों के प्रति सवेदनशील होकर उनके उत्थान पर काम करने की नितान्त आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा सहित प्रदेश के किसानों व आमजन को घरेलू व कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु आवश्यक विद्युत उपकरण व सामग्री यथाशीघ्र उपलब्ध करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करवावें।

श्री सभापतिः श्री नरेन्द्र बुडानियां।

तारानगर नगरपालिका के वार्ड संख्या एक में बारिश के पानी की निकासी

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि नगर पालिका, तारानगर में स्थित वार्ड संख्या एक जो दलित बाहुल्य वार्ड है। उक्त वार्ड में पानी इकट्ठा हो जाता है। वर्षा ऋतु के समय में वर्षा का पानी घरों में भी घुस जाता है। इस वर्ष की पिछली वर्षा में उक्त वार्ड में इनता पानी इकट्ठा हो गया है कि यहाँ के निवासियों के घरों में भी पानी घुस गया जिससे यहां के निवासियों के घरों की दीवारें व मकानों में दरार आ गई जो रहने लायक नहीं रहे। उक्त वार्ड में पानी निकासी हेतु 50 लाख रुपये की राशि नगर पालिका से स्वीकृत होकर टेण्डर हो गये, ड्रेनेज का निर्माण हो गया किन्तु उच्चाधिकारियों की लापरवाही से पाइप लाइन नहीं डाली गई व बिजली का कनेक्शन

नहीं हुआ।

अतः मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस कार्य को पूर्ण करावें तथा लापरवाह अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ जांच कराकर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करें।

श्री सभापतिः श्री अर्जुनलाल।

बिलाड़ा की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत उठाये जाने वाले लोक महत्त्व के विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि वर्तमान में जोधपुर शहर में कायलाना व अन्य बांधों में पूर्व निर्मित नहर से इंदिरा गांधी नहर से पानी लाया जा रहा है जिससे जोधपुर शहर के भीतरी भाग में सीपेज के कारण अंडरग्राण्ड एवं तहखाने भर जाते हैं। इसके अलावा हाल ही में बजट वर्ष 2024-25 में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जोधपुर एवं पाली शहर को पेयजल आपूर्ति हेतु जवाई बांध से जोधपुर तक 194 किलोमीटर लम्बी नहर का जीर्णोद्धार कार्य कर जोधपुर को पेयजल उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। इस कारण पानी का सीपेज और बढ़ेगा। इससे निजात पाने के लिए बड़े-बड़े क्षमता के पम्प लगाकर पानी को तहखानों एवं अंडरग्राण्ड से पम्पिंग किया जाता है, जिससे राज्य सरकार को प्रतिवर्ष अनाप-शनाप राशि खर्च करनी पड़ती है एवं बिजली की भी खपत होती है। अतः इसके बचाव हेतु जोधपुर जिले का सबसे बड़ा जसवंत सागर बांध में इंदिरा गांधी नहर से जोधपुर शहर के लिए 2 मीटर व्यास की पाइप लाइन से जोधपुर को पेयजल की आपूर्ति हेतु परियोजना तृतीय चरण में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में स्वीकृत हो चुकी है एवं कार्य प्रगति पर है। इस पाइप लाइन को जोधपुर सीधा ना ले जाकर जसवंत सागर बांध में स्टोरेज कर दिया जावे एवं जसंवत सागर बांध का पुनर्भरण कर दिया जाए तो जोधपुर शहर को ग्रेविटी से पानी पहुँच जायेगा और बिलाड़ा विधान सभा की जनता भी पेयजय से लाभान्वित हो सकेगी। इस योजना के लिए डी पी आर में एक्स्ट्रा 2 मीटर व्यास की पाइप लाइन बिछाने के लिए संशोधित स्वीकृति जारी करावें।

MLS/RTM/30.07.2024/12:40/1I

श्री सभापतिः श्री लक्ष्मण (अनुपस्थित)। श्री सुरेश मोदी।

राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही से मृत छात्र की जांच

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): धन्यवाद सभापति महोदय। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के मांकड़ी गांव के पास नदीवाला की ढाणी का छात्र विकास यादव, जिसकी उम्र 21 साल थी, पुत्र राजमोहन यादव राजस्थान विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान एमएससी प्रीवियस का छात्र था।

श्री सभापतिः आपने 295 पर यह लिखकर नहीं दिया है। जो आपने लिखकर दिया है, वह बोलिये।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): वही बोल रहा हूं साहब।

श्री सभापतिः नहीं, वह नहीं है साहब।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): क्या गलत बोला? बताएं।

श्री सभापतिः आपने नीम का थाना तहसील के, यह वाला बोला है, यह आपने लिखकर नहीं दिया है। गलत पढ़ रहे हैं आप।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सभापति महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का ऐसा ही है साहब। देंगे कुछ, पढ़ेंगे कुछ। फिर एक साथी दौड़कर पकड़ाएंगे, अब क्या करें? यही मामला रहा है अब। अब धारीवाल साहब बैठे हैं तो यही होना है, और क्या होना है? ये बजट भी पुराना पढ़ सकते हैं तो 295 में और कुछ पढ़ लें तो कोई बड़ी बात थोड़ी है साहब।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): बीएससी सत्र 2021-22 में प्राप्तांको के आधार पर छात्र का प्रवेश विश्वविद्यालय के अम्बेडकर छात्रावास में हुआ था। वह कमरा नं. 33 में रहता था। विकास अपने ही एक साथी अविनाश चौधरी के साथ जो छात्रावास के कमरा नं. 32 में रहता है, दो माह से प्रतिदिन सुबह 6 से 7 बजे के बैच में स्विमिंग करने जाता था। 27 जून को सुबह बरसात होने के कारण वे सायं 5 से 6 बजे स्विमिंग करने गये। उस दौरान विकास पानी में डूब गया। जैसा कि वहां उपस्थित छात्र बताते हैं कि उस समय न तो कोई कोच था, न ही लाइफ गार्ड उपस्थित थे, न वहां के सी.सी.टी.वी. कैमरे चालू थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण पानी में डूबना बताया गया है। छात्र के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। पिता के पास खेती ही एकमात्र आय का साधन है। विकास की दो छोटी बहनें हैं। केवल वह ही परिवार का एक मात्र सहारा बनने वाला था, परन्तु विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के कारण एक होनहार छात्र की मृत्यु हो गयी। अतः सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करवा कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे तथा छात्र के परिवार को आर्थिक पैकेज एवं सरकारी नौकरी दे, जिससे परिवार का पालन-पोषण हो सके।

श्री सभापतिः पर्ची पर बोलेंगे श्री कालूराम।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

सुकेत से डग सड़क का निर्माण

श्री कालूराम (डग): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। विधान सभा क्षेत्र डग से सुकेत, जुल्मी, पीपलिया, भुवानीमण्डी डग सड़क का कार्य बीओटी योजना के अन्तर्गत करीब 2015-16 में स्वीकृत हुआ था। उस सड़क का अभी तक नवीनीकरण नहीं किया गया है। सड़क 103 किलोमीटर लम्बी है। यह सड़क बिलकुल टूट चुकी है, जिसका 88 किलोमीटर मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है और 12 किलोमीटर कोटा जिले में आता है। इस सड़क की बिलकुल ही

ऐसी स्थिति हो गयी है कि राहगीर उस पर चल नहीं सकता है। पूरी सड़क पर गड्ढे हो गये हैं। पिछली सरकार ने एक भी बार उसका नवीनीकरण नहीं किया। पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट को 5 साल बीत गये, इसका अभी तक नवीनीकरण नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें 4 टोल लग रहे हैं, इन टोल्स को तुरन्त बन्द किया जाये। जब तक सड़क का नवीनीकरण नहीं होता है, इन टोल्स को बन्द किया जाये। सड़क पर कई जगह पानी बहकर निकल रहा है। ग्राम महूडिया के पास तो दो-दो, तीन-तीन फीट के गड्ढे हो गये हैं। कई लोगों के वहां एक्सीडेंट हो गये हैं। सड़क के दोनों पार नाली बननी थी और इंटरलॉकिंग लगनी थी, वह नहीं लगी। सड़क में जो घटिया सामग्री का पहले संवेदक द्वारा कार्य किया गया था, उसमें बहुत गलत काम हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं, सुकेत 4 लेन से उज्जैन 4 लेन के बीच में मात्र 112 किलोमीटर की दूरी है। अगर यह सड़क 4 लेन हो जाती है तो यहां पर माइंस एरिया पड़ता है और माइंस एरिया में काफी ट्रैफिक चलता है।

माननीय सभापति महोदय, इस सड़क को 4 लेन में किया जाये और डग से चोमेला के बीच भी आरएसआरडीसी की सड़क है, डग से चोमेला के बीच एक बायपास बनना था, वह अभी तक नहीं बना है। वह पिछली सरकार में स्वीकृत है। माननीय मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर जवाब दें आप। यह सड़क बिलकुल टूट चुकी है। इस सड़क का नवीनीकरण कब तक करा दिया जायेगा, वहां के लोग इससे बिलकुल परेशान हो चुके हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पब्बाराम विश्नोई।

फलौदी में पेयजल सम्बन्धी समस्या

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे फलौदी क्षेत्र में पानी की विकट समस्या पर विषद चर्चा करने के लिए मुझे समय दिया, आपका आभार। माननीय सभापति महोदय, मैंने 2023-24 के बजट में फरवरी-मार्च, 2023 में यहां इसी विधान सभा के पटल पर प्रश्न उठाया था कि मेरे क्षेत्र में 80 ट्यूबवैल्स, यानी 80 बस्तियां ऐसी हैं, जिनका पानी के बगैर बुरा हाल है और ट्यूबवैल्स बन्द हैं।

तत्कालीन जलदाय मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया था कि हम इन 80 ट्यूबवैल्स को जल्दी ही ठीक करवा देंगे। पूरा सेशन चला गया। उसके बाद में 2024-25 का सेशन आ गया। तब तक भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में इस सरकार ने कुछ संज्ञान लिया, तब तक 120 ट्यूबवैल्स खराब हो चुके थे। कुछ 30-40 ट्यूबवैल्स जिनमें छोटी-मोटी खराबी थी, उन्हें इस सरकार के आने के बाद ठीक कर दिया गया। कुछ 10 ट्यूबवैल्स के लिए मुझे फंड दिया, उससे कुछ ठीक करवाये गये, परन्तु आज भी 80 ट्यूबवैल्स बिलकुल बन्द पड़े हैं।

मेरा माननीय जलदाय मंत्री से निवेदन है कि कुछ ट्यूबवैल्स गहराई कम होने की वजह से बन्द पड़े हैं। मैंने जीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर से भी निवेदन किया कि हमें आप मशीन

उपलब्ध करा दीजिये ताकि उनकी गहराई को बढ़ाकर हम लोग उन ट्यूबवैल्स को ठीक करा सकें, परन्तु उन्होंने कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे जीडब्ल्यूडी से हमें मशीन दिलवाएं। उनमें आधे ट्यूबवैल्स तो गहराई की कमी के कारण ही बन्द पड़े हैं। वे ठीक हो जाएंगे। बाकी छोटी-मोटी कमियां हैं। बाकी 40 से 50 ट्यूबवैल्स कोलैप्स हो चुके हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उन ट्यूबवैल्स को ठीक करवाएं।

जल जीवन मिशन का जो कार्य चल रहा है, वह कार्य तो लम्बा चलेगा और लगभग दो साल के बाद पानी आना शुरू होगा। तब तक के लिए वहां की जनता के लिए यह पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या बन गयी है। इसके अतिरिक्त पिछली सरकार के कार्यकाल में हमारा जल जीवन मिशन शुरू हुआ। उसमें हमारी योजनाओं का सर्वे किया गया। जियो टैगिंग की गयी, परन्तु उस समय जियो टैगिंग वहीं होती थी, जो इनके नेता कहते थे, वहीं पर उसकी एसआर सुनिश्चित की जा सकती थी। यह नहीं देखा जा सकता था कि बीचों-बीच में है अथवा हाइट पर है। इस प्रकार से जो-जो बस्तियां हैं, इनके हिसाब की जो नहीं थीं, उन्हें इन्होंने वंचित रख दिया।

मेरे क्षेत्र में स्कैटर्ड पॉपूलेशन है। कम से कम 40 प्रतिशत ढाणियां इस नये सर्वे में वंचित हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि उन वंचित ढाणियों को भी जल जीवन मिशन के तहत जोड़ा जाये और साथ ही जल जीवन मिशन में जो-जो अनियमितताएं हुई, गलत तरीके से एसआर स्वीकृत किये गये हैं, उन्हें सही जगह पर किया जाये। 10-10 किलोमीटर पर एक एसआर से पानी की सप्लाई कैसे होगी? अगर ऐसे स्थान हैं तो सर्वे कराकर अतिरिक्त एसआर स्वीकृत करके वहां पर पहुंचाने का काम करें। अन्यथा यही जल जीवन मिशन इनकी कारस्तानी के कारण हमारे गले की हड्डी बन जायेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इनके किये गये कुकृत्यों को ठीक करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, यह 295 था या भाषण था? 295 को पढ़ना पड़ता है।

श्री सभापतिः श्री राजेन्द्र। यह पर्ची के तहत व्यवस्था है। आप विराजिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): पर्ची थी?

श्री सभापतिः हां, आपको बरसों हो गये यहां आते हुए, पर आपने ध्यान ही नहीं दिया कैसे सदन की कार्यवाही होती है। माननीय सदस्य, बड़े दुःख की बात है।

mkd/rtm/30.07.2024/12:50/1m

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह आपकी गलती नहीं है। ये दोनों हमारी सबसे वरिष्ठ सम्माननीय बैठे हैं। दोनों के कान में से वह निकल गई तो इनको नहीं पता 295 पर बोल रहे हैं या पर्ची पर बोल रहे हैं या कौन बोल रहे हैं। इसलिए यह तो ऐसे ही चलेगा।

श्री सभापति: विराजिये। श्री राजेन्द्र।

महवा में बिजली कटौती

श्री राजेन्द्र (महवा): माननीय सभापति महोदय, आज पर्ची के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र महवा में बिजली की समस्या को लेकर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो बिजली का संकट पैदा किया, उसके लिए कल परिवर्तित बजट में आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे महवा विधान सभा क्षेत्र में 400 केवी सब स्टेशन की घोषणा की है। निश्चित रूप से पूर्ववर्ती सरकार के ढीलेपन से जो बिजली का संकट प्रदेश में रहा, उससे काफी हद तक हमारी सरकार ने इन पांच-छः महीनों में उस समस्या को दूर किया है। मैं आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी एक हफ्ते पहले जयपुर सम्भाग के सभी विधायकों के साथ मंथन करके सभी अधिकारियों को साथ बिठाकर विद्युत कटौती, जो कि पहले वाली सरकार ने इस ढांचे को पूरी तरह खराब कर दिया था। उसका समाधान करने का मंत्री जी ने प्रयास किया है।

मैं निश्चित रूप से सदन को कहना चाहूंगा कि धीरे-धीरे पूरे प्रदेश के अन्दर सरकार की सजगता से, मुख्य मंत्री जी की सजगता से और हमारे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री की सजगता से बिजली की समस्या को काफी दूर कर दिया है। आज आपने अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल।

खंडार में केंद्र सरकार की आर.डी.एस.एस. स्कीम का क्रियान्वयन

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): सभापति महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से केन्द्र सरकार की योजना आरडीएसएस पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। सवाई माधोपुर जिले के अन्दर आरडीएसएस के माध्यम से पिछले दिनों 200 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए। उन 200 करोड़ रुपये में हद तो तब हो जाती है, जब आज के समय में 10.25 प्रतिशत अभाव में उसका टेंडर मिलीभगत से डलता है और डलने के बाद, उसकी अप्रूवल होने के बाद, ठेकेदार द्वारा उस क्षेत्र में कोई काम नहीं कराया जा सकता। नये जीएसएस बनाना उस टेंडर के अन्दर सम्मिलित था, नहीं होते हैं। जो ज्यादा बड़े फीडर थे, उनको छोटा फीडर करने का काम उसमें होता, वह नहीं होता है। कृषि कनेक्शन के लिए नये फीडर बनाने का काम करना था, वह नहीं होते हैं। पुरानी केबल को बदलने का काम था, वह नहीं होता है। जिन ट्रांसफार्मरों पर अधिक लोड था, उनके लिए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने का काम भी इस कम्पनी को करना था।

सभापति महोदय, सवाई माधोपुर जिले में 200 करोड़ रुपये और खण्डार विधान सभा क्षेत्र में 67 करोड़ रुपये का काम सैंक्शन हुआ। पिछले एक साल के अन्दर ठेकेदार ने उसमें कोई काम नहीं किये हैं। तीन नये जीएसएस बनने थे, गंडावर, मोरोज, बेकवा, उसमें एक भी

जीएसएस कम्पलीट नहीं हुआ। 39 फीडरों से नये फीडर खींच कर जाने थे, उसमें से मात्र 2 फीडर खींचे हैं। 52 फीडर्स ओवरलोड थे, जिनमें नये ट्रांसफार्मर लगने थे, उनके अन्दर भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ है।

सभापति महोदय, 10 प्रतिशत काम भी यह कम्पनी नहीं कर पाई है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय ऐसे कम्पनी को या तो ब्लैक लिस्ट किया जाये और या फिर इनको कुछ ऐसी कार्यवाही की जाये, जिससे सरकार को कभी गुमराह नहीं करे।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में 132 दो जीएसएस दिये। उसके बाद वहां लोड और अधिक बढ़ जाता है। माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि मेरे यहां पर 220 प्रस्तावित है। अतः जल्दी ही उसका भी काम प्रारम्भ कराने की घोषणा करे।

श्री सभापतिः ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

रतनगढ़ हाईवे के निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

श्री गोरधन (धोद): माननीय सभापति महोदय, नियम 131 के अन्तर्गत मोरडूंगा के खसरा नम्बर 878/583 से 880/583, 893/870, 872/537, 874/537, 875/578 इन खसरों में एनएच 7 के मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

श्री सभापतिः माननीय मंत्री महोदय।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, लोसल-सालासर-रतनगढ़ एस.एच. 7 व एस.एच. 92 सड़क पर उन्नयीकरण, सुदृढ़ीकरण का कार्य दिनांक 29.04.2018 में एशियन विकास बैंक के वित्तीय सहयोग से लम्बाई 78.60 किमी, राशि रुपये 192.39 करोड़ का स्वीकृत किया गया। कार्य दिनांक 23.09.2019 शुरू किया जाकर दिनांक 29.06.2022 को पूर्ण किया गया। कार्य के तहत 7 मीटर चौड़ाई में डामर सड़क, 2.5 मीटर चौड़ाई में दोनों तरफ ग्रेवल बर्मस व 3 मीटर चौड़ाई में एक तरफ पैदल मार्ग (पैवर ब्लॉक) से किमी 0.00 (लोसल) से 32.300 (सीकर जिला सीमा) तक आबादी को छोड़कर किया गया है, आबादी क्षेत्र में 12 मीटर चौड़ाई सीमेन्ट कंक्रीट सड़क एवं दोनों तरफ नालियों का निर्माण किया गया, तथा लोसल कस्बे में किमी 1.550 में किमी 3.950 तक 2.4 किमी में फोर लेन सड़क का निर्माण किया गया है।

यह सड़क परियोजना किमी 0.00 से किमी 1.750 तक लम्बाई 1.750 किमी एस. एच. 92 पर एवं किमी 1.750 से 91.995 तक लम्बाई 90.245 किमी एसएच 7 पर स्वीकृत की गयी है। एस.एच 92 सड़क को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21.08.2015 को एस.एच. घोषित किया गया था।

जबकि एस.एच. 7 प्रारम्भ से ही राज्य मार्ग श्रेणी में था। लोसल-सालासर-रतनगढ सडक परियोजना पर ग्राम मोरडूंगा की सीमा किमी 12.500 से 16.00 तक है, जिसमें मोरडूंगा बाइपास (लम्बाई-1.6 किमी.) निर्मित किया गया है, जिसके तहत 6.9950 हेक्टेयर

आवश्यक भूमि को भूमि अवाप्ति अधिकारी, धोद के द्वारा अधिगृहीत की गई हैं (संलग्न गजट नोटिफिकेशन अन्तर्गत धारा 19, परिशिष्ट-1)। ग्राम मोरड़ूंगा में शेष सड़क का पूर्व से निर्मित सडक पर ही विकास कार्य तत्समय मौजूद संरेखण पर किया गया है, जिसके तहत 7 मीटर चौड़ाई में डामर सड़क, 2.5 मीटर चौड़ाई में दोनों तरफ ग्रेवल बर्मस व 3 मीटर चौड़ाई में एक तरफ पैदल मार्ग पैवर ब्लॉक लगाकर कुल 15-16 मीटर में निर्माण किया गया, जिसमें भूमि अवाप्ति की कार्यवाही आवश्यकता नहीं थी। मोरड़ूंगा ग्राम में 6 संरचनाएं गैर शीर्षक धारी के रूप चयनित की गयी थी, जिनको हटाये जाने हेतु क्षतिपूर्ति राशि के तौर पर 5.89 लाख का प्रावधान था एवं राशि उपखण्ड अधिकारी, धोद के राजकीय खाते में जमा करायी गयी, जो संबंधित लाभार्थियों के असहमति के कारण भुगतान नहीं किया गया और संरचनाओं को भी नहीं हटाया गया है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उल्लेखित खसरों की भूमि-किस्म राजस्व रिकार्ड के अनुसार इस प्रकार है:-

क्र. सं.	**खसरा संख्या**	**किस्म**	**खातेदारी का प्रकार**
1	878@583	बारानी-1	निजी
2	879@583	गै.मु.सड़क	निजी
3	880@583	बारानी-1	निजी
4	893@870	बारानी-1	निजी
5	872@537	गै.मु.सड़क	निजी
6	873@537	बारानी-1	निजी
7	874@537	बारानी-1	निजी
8	875@538	गै. मु. सड़क	निजी
9	876@538	बारानी-1	निजी
10	877@538	बारानी-1	निजी

प्रस्ताव में उल्लेखित खसरा नम्बरों के मूल खसरा नम्बरों के मूल खसरा नम्बर 583, 870, 537 एवं 538 हैं।

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, राज, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज 6/2003/पार्ट-जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार सार्वजनिक रास्ता राजकीय भूमि/निजी खातेदारी की भूमि में से मौके पर स्थाई रूप से चालू परन्तु राजस्व अभिलेख में किसी भी रूप में दर्ज नहीं व कच्ची व पक्की सड़क बनने की स्थिति में राजस्व अभिलेख में अंकन राजस्थान भू राजस्व अधिनियन की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू अभिलेख नियम, 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार किया जाकर राजकीय भूमि पर चालू स्थायी रास्ता राजकीय खातेदारी में गैर मु. रास्ता के रूप में खसरा सहित दर्ज किया जायेगा। निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की

खातेदारी में ही रहेगा, परन्तु नक्शे में व जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जायेगा व रास्ते रकबे सहित किस्म है, गैर मु. रास्ता दर्ज किये जाने का प्रावधान है (परिशिष्ट-2)।

उपरोक्त 4 खसरा नम्बर में से उपखण्ड अधिकारी, धोद के आदेश क्रमांक राजस्व/2020/900 दिनांक 27.02.2020 द्वारा 3 खसरों की किस्म गै. मु. सड़क दर्ज की जा चुकी है। जिनके नये खसरा नम्बर 879/583, 872/537 व 875/538 जारी किये गये हैं। शेष खसरा नम्बर 893/870 की जांच कर तरमीम उपखण्ड अधिकारी, धोद के द्वारा की जानी है (परिशिष्ट-3)। परियोजना में वर्तमान में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा दिया जाना शेष नहीं है।

श्री गोरधन (धोद): सभापति महोदय, मेरे पास में उत्तर आ गया है। माननीय मंत्री महोदय से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं।

श्री सभापति: पूछिये।

श्री गोरधन (धोद): माननीय सभापति, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है। मेरा इसमें यह आग्रह है कि राजस्व नक्शे के अनुसार इस सड़क की चौड़ाई 8 मीटर यानी 27 फीट है, लेकिन वर्तमान में स्टेट हाइवे 7, 1992 के निर्माण के बाद वर्तमान चौड़ाई इसकी 30 मीटर है अर्थात 100 मीटर की चौड़ाई है। जो 100 फीट है, परन्तु किसानों की भूमि सरकार, पीडब्ल्यूडी उपयोग में 100 फीट ले रही है, उसमें रिकॉर्ड के अनुसार 27 फीट है।

मेरा निवेदन है कि जिन किसानों का, जिन किसानों के जमीन या मकान आते हैं। मेरा निवेदन है कि कुछ लोग वहां पर जो गोकी समाज के हैं, कई परिवार ऐसे हैं, जिनमें धमनाराम, घीसाराम, ईश्वर, रूगाराम, बक्साराम, बिछवाल, महेन्द्र, मूला, गुदाराम, अर्जुन, फूलाराम इनके अलावा बहुत सारे ऐसे किसान हैं, बहुत सारी जमीन इसके अन्तर्गत आती हैं तो मंत्री महोदय से मेरा निवेदन यह है कि उक्त प्रकरण की आप जांच करके या दुबारा से मूल्यांकन करवाकर, जिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, उन किसानों को मुआवजा देने की कृपा करें।

श्री सभापति: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मोरडूंगा ग्राम में जहां बाइपास का निर्माण किया गया है, वहां भूमि अवाप्त की जाकर काश्तकारों को मुआवजा दिया गया है। एग्जिस्टिंग स्टेट हाइवे काश्तकारों की सहमति से ही बना हुआ है एवं इस सड़क के शेष भाग जो पूर्व से ही स्टेट हाइवे था, को अपग्रेड एण्ड व्हाइट किया गया है, अतएव मुआवजा नहीं दिया गया है। वैसे भी राजस्व विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार जहां काश्तकारों की भूमि में स्थाई रूप से सार्वजनिक रास्ता है, वहां उसे जमाबन्दी के पृथक नम्बर देकर गैर मुमकिन सड़क घोषित किया जाता है। इस सड़क परियोजना के मोरडूंगा ग्राम में 6 स्ट्रक्चर नॉन-टाइटल होल्डर के रूप में आइडेंटिफाई हुए थे, जिनकी क्षतिपूर्ति हेतु 5.89 लाख रुपये का मुआवजा घोषित किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय विधायक महोदय को आश्वस्त करना चाहती हूं कि इस नॉन टाइटल होल्डर को एवं इसके अलावा अन्य कोई और भी काश्तकार मुआवजे से वंचित रह गया हो तो मैं उसका पुन: परीक्षण करवा लूंगी।

श्री गोरधन (धोद): धन्यवाद, मंत्री महोदय।

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही 2 बजे तक लंच हेतु स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.58 बजे 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

Bhs/Rtm/30.7.24/14.00/2c

(समय: 14.00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन।)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, कोरम का अभाव है अगर हम बाहर चले गये तो।

श्री अध्यक्ष: नहीं, चले जाओगे तो भी कोरम हो जायेगा। बीस लोग हैं, मैं आते ही गिन लेता हूं, बीस इधर के, बीस इधर के और उसके लिए भी घंटी बजती है, आने का दो मिनट देते भी हैं।

ध्यानाकर्षण। श्री हरिसिंह रावत।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

देवगढ थाना क्षेत्र (भीम) में देवनारायण मंदिर के

पुजारी की हत्याकांड की पुनः जांच

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं एक ऐसी हृदय विदारक घटना जो सभ्य समाज को झकझोर कर रख देने वाली घटना है। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम के देवगढ थाना क्षेत्र में देवनारायण मंदिर के पुजारी का हत्याकांड हुआ, उस हत्याकांड की मैं पुन: जांच कराने के सम्बन्ध में याचिका प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र भीम के देवगढ़ थानान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 58 स्थित हीरा की बस्ती में देवनारायण...।

श्री अध्यक्ष: आप तो केवल ध्यान आकर्षित करोगे पहले। आप तो कह दो कि इस विषय पर ध्यान आकर्षित करता हूं फिर मंत्री जी बोलेंगे फिर आपको मौका मिलेगा। माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी के विधानसभा क्षेत्र भीम में एक नवम्बर, 2022 के अन्दर एक बहुत दुखद घटना हुई।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, ट्रेनिंग दे दो इनको एक दिन की।

श्री अध्यक्षः यदि ट्रेनर आपको भेज देंगे ट्रेनिंग देने में तो मेरे लिये सदन चलाना कठिन हो जायेगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): इनकी कोचिंग इंस्टिट्यूट में हम नहीं जायेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः चलिये। बोलिये, माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक पुजारी और उनकी वाइफ के ऊपर हमला हुआ नवम्बर, 2022 में। एफ.आई.आर. नम्बर 450/2022 देवगढ़ पुलिस स्टेशन। एक्चुअली क्या था कि इनका कोई जमीन का विवाद था। इनकी दुकान थी नेशनल हाईवे के ऊपर और इसके अन्दर पुजारी जी की डैथ हो गई, उनकी वाइफ सर्वाइव कर गई। उस समय सिटिंग एम.एल.ए. सुदर्शन सिंह जी के अगेंस्ट एलिगेशन लगाये गये और एफ.आई.आर. फाइल हुई वो चार्जशीट प्रजेंट हो गई कोर्ट में। 12 लोग अरेस्ट हुए, 18.2.24 को यह हुआ और अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है कोर्ट में। अब इसके अन्दर सी.आई.डी. ने भी इन्वेस्टिगेशन कर लिया और अभी कोर्ट में विचाराधीन है तो अभी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है और अभी ट्रायल के समय जो भी सबूत देंगे, जैसे करेंगे, कोर्ट जो निर्णय लेगा तो यह सबजुडिस है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को गुमराह किया गया है इसमें पुलिस ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 22 बीघा जमीन है जो एक पुजारी जहां पूजा करता है उस जमीन पर कब्जा करने की नीयत से यह पूरा कांड हुआ और इसमें उक्त प्रकरण में मृतक पुजारी नवरत्न ने अपनी मृत्युकालीन कथन में तथा मृतक की पत्नी ने घटना के दिन जलाने वालों में पूर्व एम.एल.ए. के नाम का उल्लेख नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरासर असत्य है यह मरने वाले ने उदयपुर हॉस्पिटल में 164 बयान में स्पष्ट कहा है कि मुझे जलाया गया है और विधायक और विधायक के आदमियों द्वारा जलाया गया है पूरा घटनाक्रम और पूरा विवरण इसमें है और इसके बावजूद भी पुलिस कह रही है कि नहीं इनका तो कोई लेना-देना ही नहीं है तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस घटना की पुनः जांच करवा कर, सी.आई.डी. सी.बी. से जांच करा कर, इसे पुनः करायें और जो दोषी है उसको सज़ा दिलायें।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष जी, सी.आई.डी. ने इन्वेस्टिगेशन की है इसमें 12 लोग, एक्यूज्ड पकड़े गये हैं। घटना 2022 की है। अब इसके अन्दर सबके हाथ बंधे हुए हैं। अब जो कोर्ट डिसाइड करेगा, जो दूसरा पक्ष उसमें एविडेंस देगा, अब यह तो सबजुडिस हो गया इसके अन्दर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट लिखा है तो इसमें जांच करा के न्याय दिलायें।

श्री अध्यक्षः हो गया। बहस नहीं।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कुछ नहीं कर सकते। जांच तो कोर्ट

करेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला ध्यानाकर्षण। श्री राजेन्द्र पारीक।

राजमेस के अधीन संचालित मेडिकल कॉलेजों के फैकल्टीज द्वारा अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजमेस संस्था में जो कुछ विसंगतियां उत्पन्न हुईं उससे वहां की फैकल्टीज सामूहिक अवकाश पर हैं उस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजमेस को एक सोसायटी बनाया गया अंडर द गवर्नमेंट ताकि डॉक्टर्स का जो रिक्रूटमेंट है वह आर.पी.एस.सी. के जरिये नहीं होकर, उसमें रिक्रूटमेंट के नॉर्म्स थोड़े इजी होते हैं, तुरन्त डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, यह 2017 के अन्दर राजमेस बनाया गया और जो रिक्रूटमेंट थे, जितने भी एज पर ल्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज जो भी हैं उसके तहत किया गया। इसके अन्दर पहली जो इनकी तनख्वाह थी वह 2017 में फिक्स की गई और यह जो तनख्वाह 2017 में सैट की गई वह इनकी राजमेस के उस बैच की और सरकारी जो गवर्नमेंट के हैं उनकी एट पैरेटी थी तो यह शुरूआत 2017 में हुई उसके पश्चात सेवंथ पे कमीशन ने इम्प्लीमेंट किया 1.1.2018 को और पे इन्क्रीज की गई जो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स और सोसाइटी के एट पैरेटी है। शुरू में इनिशियल पे जो इनकी 2018 में थी उसके बाद में इनको खाली दस प्रतिशत इन्क्रीमेंट मिला। अप टू 2017, 2018 और 2019, तो इनके अन्दर 2018 तक पे पैरेटी थी। यह सही है कि उसके पश्चात आपके 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 वो उन्होंने जो ज्वाइनिंग की जो पहले वाली जो सेलेरी थी वो उसके ऊपर ही लगाया गया जबकि गवर्नमेंट के थ्रू जो डॉक्टर्स आ रहे थे डाइरेक्टली उनकी पे में डिसपैरेटी काफी थी। यह जो 6,050 जो डॉक्टर्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर जो मेडिकल टीचर्स हैं ये लोग छुट्टी पर चले गये विदआउट इन्फोर्मेशन। इनको सबसे पहले चाहे हमारे प्रशासन में ए.सी.एस. हैं, मंत्री से बात करते, अपनी जो समस्या है हमें बताते, हम जरूर इसके ऊपर एक्शन करते पर ये अपने ओन उसके ऊपर बिना इन्फोर्मेशन के बिना अपना मुद्दा उठाये ये लोग इसके अन्दर अपने धरने पर भी बैठ गये, और ये एब्सेंट कर ऑफिस नहीं आये फिर मेरे साथ इन्होंने मीटिंग की, मैंने इनको बोला, इन्होंने कहा कि लिखित में दे दो तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे एक हफ़्ता दे दो, यह बात सही है कि आपकी पे पेरेटी में आपका जो फर्क आ रहा है और उनको सात दिन का टाइम मैंने उनको कहा कि मुझे दे दो। ये फिर भी मिलने के अगले दिन बाद फिर ये चले गये। अब इसके अन्दर क्या है कि अभी कल ही एक मीटिंग हुई है और समझौता यह हुआ है कि जो डाइरेक्टर, राजमेस के अंडर एक कमेटी बनेगी उसके अन्दर एफ.ए., एडिशनल डाइरेक्टर, एडिशनल डाइरेक्टर (एकेडमिक) और चार उनके सदस्य साथ बैठेंगे, और एक मन्थ में वो रिपोर्ट देकर इसका समाधान सरकार

अवश्य निकालेगी।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राजमेस द्वारा संचालित जो कॉलेजेज हैं उनमें कितनी वेकेंसीज हैं? कितनी परसेंट वेकेंसी है?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इस वक्त यहां पर वेकेंसी की डिटेल्स नहीं है माननीय सदस्य को मैं वेकेंसीज भेज दूंगा लेकिन मैं आपको यह आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि यह हम हमारी सरकार इसको डील कर रही है इसको सोर्ट आउट कर रही है पिछली सरकार के अन्दर जो तीन साल थे उसके अन्दर क्या हुआ? इन्होंने अटेंशन नहीं दिया इस पे पेरेटी पर। अब ये 1502 वेकेंसी है। आपको मैं इसमें अलग-अलग लेवल में बता दूंगा, पर आश्चर्य मुझे यह हो रहा है माननीय सदस्य, तीन साल आप लोगों ने कुछ नहीं किया। आपकी सरकार थी। 2020 में आपने कुछ नहीं किया। आपने 2021 में कुछ नहीं किया। आपने 2022 में कुछ नहीं किया। 2023 में नहीं किया। हम करेंगे, हम पे पैरेटी लायेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सेकण्ड। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः नहीं। ध्यानाकर्षण है, चर्चा नहीं है। माननीय सदस्य, अंकित नहीं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां प्रश्न इस बात का नहीं है कि किस सरकार ने क्या किया। यहां प्रश्न इस बात का है कि हमारा उद्देश्य क्या था इन संस्थाओं को खोलने के पीछे। हमें आने वाले भविष्य के अच्छे डॉक्टर्स तैयार करने हैं और प्राइवेट कॉलेजेज में माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की फीस लगती है एक साधारण गरीब आदमी वो शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ है।

Kas/rtm/30.07.2024/14.10/2d

इसलिए सरकार की मंशा थी, भारत सरकार की भी थी, राजस्थान सरकार की भी थी कि हम कोई ऐसी इंस्टीट्युशन खोलें जहां कम फीस में अच्छे डाक्टर्स तैयार हो जायें और इसी उद्देश्य से 2017 से लेकर अब तक के सारे मेडिकल कॉलेजेज खोले गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन कॉलेजों में एज ऑन टू डे सिर्फ 38 परसेंट भर्ती है और करीब 62 परसेंट आज के दिन वैकेंसी है। मंत्री महोदय, क्या आप इस बात से इत्तफाक रखते हैं कि 62 परसेंट वैकेंसीज से हम अच्छे डाक्टर्स तैयार कर पायेंगे?

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, आपने मुझे उत्तर भेजा है, उसमें आपने यह फरमाया है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज में कार्यरत चिकित्सकों के शिक्षक और राजमेस के शिक्षकों में वेतन का अंतर है। आप मुझे बताएं कि कितने वेतन का अंतर है? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर के वेतन में करीब 67000 रुपये का अंतर है। एसोसिएट प्रोफेसर के वेतन में 51000 रुपये से ऊपर का अंतर है।

असिस्टेंट प्रोफेसर के वेतन में 37040 रुपये का अंतर है। विपरीत परिस्थितियों में कम से कम तनख्वाह में काम करने वाले वो लोग, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक बड़ी समस्या हमारे मुल्क में क्या है, ब्रेन ड्रेन की समस्या है। अच्छे-अच्छे हाईली एजुकेटेड सब्जेक्ट के विशेषज्ञ यहां केवल इसलिए आते हैं कि अपने स्टेट में रहें, अपने स्टेट के लोगों को अपने ज्ञान का लाभ लेने दें, इन मेडिकल कॉलेजेज को अच्छा मेडिकल कॉलेजेज बनाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका नमूना सुनिए, माननीय मंत्री महोदय मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, सीकर में जो डेजिग्नेटेड प्रोफेसर थे, वहां जो पदनामित डाक्टर्स थे, चिकित्सा करने वाले डाक्टर्स थे, उनको आपने डेजिग्नेट किया। उन प्रोफेसर्स ने सीकर की बच्ची मनी दत्त मेहता ने राजस्थान मेडिकल यूनिवर्सिटी के एग्जाम में टॉप किया है। आज आपने कितने कैडर बना दिये? एक कैडर डेजिग्नेटेड, एक कैडर राजमेस, जो 31 अगस्त से पहले तक का है। तीसरा कैडर आपने कर दिया 1 अगस्त के बाद का। जो कैडर पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ काम करके आपके इन कॉलेजेज को इस मुकाम तक ले आये, उसको आपने डाईंग डिक्लियर कर दिया। आपने अभी फरमाया कि उन्होंने आपका कहना नहीं माना, आपने कई बार बात की, लेकिन वो नहीं माने।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि कोई भी संस्था इतनी बड़ी वेतन विसंगति के बाद भी यदि वहां पर काम कर रही है, तो आप मुझे यह जानकारी देंगे कि वहां पर जो डेजिग्नेटेड पोस्ट हैं, मेडिकल कॉलेजेज को तत्काल चालू करने के लिये वहां के जो अस्पताल थे, उन अस्पतालों में जो चिकित्सक लगे हुए थे, उनको नामित किया गया, उनको पदनामित किया गया। वह जो पदनामित प्रोफेसर्स हैं, उनके रिटायर्मेंट के बाद क्या राजमेस में वह पुनर्नियुक्ति की योग्यता रखते हैं?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अटेंशन चाहूंगा। माननीय सदस्य ने जो इश्यू रेज किये हैं, एक तो है पे-पैरिटी का और एक है वैकेंसीज का। आपने जो ध्यानाकर्षण किया है, आप इसको अलग-अलग दिशाओं में मत ले जाओ।

श्री अध्यक्ष: हो गई, पर्याप्त चर्चा हो गई।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, फर्स्ट चीज है कि राजमेस सोसाइटी किसने बनाई? 2107 में हमने बनाई और पे-पेरिटी 2018 तक नहीं थी। यह पूरी समस्या 2019 के बाद आई है और अभी शीघ्र ही आर.एस.आर. रूल के तहत हम इनको दुरुस्त करेंगे और इसमें एक्शन लेंगे। आप लोगों ने कुछ नहीं किया। पारीक साहब, 2018 तक कोई पे-पेरिटी नहीं थी। पे-पेरिटी स्टार्टेड ऑफटर 2108, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023, कौन दोषी हैं? भुंड का ठीकरा हमारे पर क्यों फोड़ रहे हो आप? हमने इनको बुला लिया है, हम पे-पेरिटी समझते हैं और आर.एस.आर. रूल के तहत हम इनको वापस लायेंगे और रिकार्ड भर्तियां हमारी सरकार आपको कर के बतायेगी।

श्री अध्यक्ष: हो गया, बहस ज्यादा नहीं होती है। दो बार आप बोल लिये, दो बार ये बोल

लिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): यह प्रश्न राजनीतिक बयान का नहीं था। प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि क्या आप राजमेस में कार्यरत फैकल्टीज को आपकी बजट घोषणा अनुसार 1 अगस्त से जो आप कैडर दे रहे हैं, वह मानदेय देने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह चर्चा हो गई।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एन.एच.एम. हमारे पर पूरी नजर रख कर बैठी हुई है। अगर हमारी एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, वह हमें अनुदान नहीं देगा। हमें करना पड़ेगा, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नार्म्स की पूर्ति हमें करनी पड़ेगी, नहीं तो हमें केन्द्र सरकार से अनुदान नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। प्रमुख सचिव। यह बहस का मुद्दा नहीं है। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ हैं। अब कोई उत्तर नहीं देना है। हो गया, तीन बार दे दिया। ध्यानाकर्षण इतना ही होता है। आप बोलिए। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): 000

श्री अध्यक्ष: यह बहस नहीं है। इस मुद्दे पर आप आधे घंटे की चर्चा में आ जाना। अंकित नहीं होगा। आप बाद में इनसे पूछ लेना। सदन में जितना आना था, आ गया।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): 000

सदन पटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

प्रमुख सचिव: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पन्द्रहवीं राजस्थान विधान सभा के सप्तम सत्र में पारित विधेयक का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिस पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:

1. राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2022।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन। श्री झाबर सिंह खर्रा।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22) एवं 19वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अंतर्गत राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (RUDSICO) का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 व 19वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन में आशिक संशोधन।

समिति प्रतिवेदन: कार्य सलाहकार समिति

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 6)

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति के

छठे प्रतिवेदन में बुधवार दिनांक 31 जुलाई, 2024 को राजस्थान भू-जल संरक्षण एवं प्रबंध प्राधिकरण विधेयक, 2024 पर विचार एवं पारण किया जाना निर्धारित किया गया है। गुरुवार दिनांक 1 अगस्त, 2024 को राज्य में पेयजल की स्थिति पर विचार निर्धारित है। चूंकि दिनांक 31 जुलाई, 2024 को विचार एवं पारण हेतु निर्धारित भू-जल संरक्षण एवं प्रबंध विधेयक की विषय वस्तु पेयजल से सम्बन्धित है, इस कारण सदन में विधेयक एवं राज्य में पेयजल की स्थिति, दोनों पर विचार एक ही दिवस में रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन के आंशिक संशोधन का इस आशय का प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-जल संरक्षण एवं प्रबंध प्राधिकरण विधेयक, 2024 गुरुवार दिनांक 1 अगस्त, 2024 को विचार किया जाकर उसका पारण किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव सरकारी मुख्य सचेतक ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।

माननीय संसदीय मंत्री।

विधायी कार्य : विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2024 व राजस्थान वित्त विधेयक, 2024 पर घोषणाओं का पैरा संख्या 29 सदन पटल पर रखा जाना

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल दिनांक 29 जुलाई, 2024 को राजस्थान विनियोग विधेयक संख्या-3 विधेयक 2024 व राजस्थान वित्त विधेयक, 2024 पर चर्चा पश्चात माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तावित अपनी घोषणाओं के पैरा संख्या 29 में उल्लिखित महत्वपूर्ण घोषणाएं सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्षः कल सदन में जिस पर गतिरोध हुआ था, उस पर सरकार को जवाब प्रस्तुत करना था, जवाब प्रस्तुत कीजिए माननीय मंत्री जी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): दो घंटे बाद में रख लें।

श्री अध्यक्षः दो घंटे बाद देंगे, चलिए। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): जवाब दीजिए। इतना बड़ा गंभीर मुद्दा है। एक मेघवाल की गर्दन काट कर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद भी आप इंतजार कर रहे हैं किसी का।

श्री अध्यक्षः सरकार दो घंटे बाद जवाब देगी, आज ही देगी। श्री श्रीचन्द कृपलानी।

msk/rtm/30.07.2024/14.20/2e

अनुरोध एवं मांग

श्री शान्ती धारीवाल, माननीय सदस्य द्वारा सदन की बैठक 26.7.2024 में आपत्तिजनक शब्द/अभिव्यक्ति के प्रयोग पर कार्यवाही की मांग

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान प्रदेश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था राजस्थान विधान सभा है। उसमें यूडीएच की बहस के दिन जो घटना हुई, जिस तरह से हमारे वरिष्ठ सदस्य, राजस्थान सरकार के गृह मंत्री भी रहे हैं, यूडीएच मंत्री भी रहे हैं, आदरणीय शान्ती धारीवाल साहब। अध्यक्ष महोदय, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं कोटा का सांसद भी रहा हूं। मेरे इनसे अच्छे सम्बन्ध भी रहे हैं। मैं इनका सम्मान भी करता था, इनको आदर्श भी मानता था। अध्यक्ष महोदय, यहां आने के बाद जब मैंने इनके लक्षण देखे तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। जिस तरह की भाषा का उपयोग ये यहां पर करते हैं। अगर मुझे पता होता कि इस तरह की भाषा का उपयोग भी यहां पर होता है तो शायद मैं चुनाव ही नहीं लड़ता। लेकिन यहां पर +++, यहां पर +++ कहना, +++ और वह भी सभापति को कुर्सी को। अध्यक्ष महोदय, यह छोटी-मोटी बात नहीं है। श्री संदीप जी शर्मा उस दिन सभापति की कुर्सी पर बैठे थे। धारीवाल जी उनको +++ कह रहे थे और +++ दे रहे थे। अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान की विधान सभा की जो गरिमा है, हिन्दुस्तान में, उस गरिमा को इन्होंने खतम कर दिया, इनके खिलाफ कोई कार्यवाही होनी चाहिए, नंबर वन।

डोटासरा जी, आप भी सुनना। राहुल गांधी जी ने और आपके खड़गे साहब ने तो शायद इनका टिकट काट दिया था, लेकिन गहलोत साहब जाकर ले आये, पता नहीं उनको इनमें क्या दिखा? इनका इस तरह का व्यवहार, इन्होंने जो कर्म किये, अध्यक्ष महोदय, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि राजस्थान विधान सभा की जो गरिमा है, उस गरिमा को अगर हम बनाये रखना चाहते हैं, इस तरह की पूर्व घटना, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं 1990 से इस विधान सभा का सदस्य रहा हूं, इस तरह की कभी भी घटना हुई, +++ इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो सकती। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इनके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि हम सब जानते हैं कि यूनिवर्सल फैक्ट है कि 25 साल के बाद माइंड और बॉडी का डिके शुरू होता है। तो इसके अन्दर थोड़ा उनको ध्यान रखना चाहिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष जी, मैं कह रहा हूं कि आज कांग्रेस पार्टी में हरिमोहन जी शर्मा बैठे हैं, 84 साल के हैं, इनसे बड़ी उम्र के हैं। कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा व्यवहार करते हैं। तो उनसे यह सठिया गये हैं, यह देखना आपको।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी धारीवाल जी के द्वारा कहा गया, निश्चित रूप से स्लिप ऑफ टंग था, इसके बावजूद भी चूंकि सभापति के आसन पर, आपकी आज्ञा से मैं वहां था, उसको विलोपित करने के निर्देश..

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): यह मर्दों का प्रदेश है, कहा था।

श्री अध्यक्ष: आप विराजो, माननीय सदस्य।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): बलात्कार की घटना पर ये राजस्थान को मर्दों का

प्रदेश बताना ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, निर्णय लेने वाला मैं बैठा हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय सदस्य, लगातार इस तरह से आसन की अवेहलना करते हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): राजस्थान को मर्दों को प्रदेश ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: संज्ञान में आ गया, विराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): यह रोज का काम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रोज आसन की अवहेलना करने की इनकी आदत पड़ी हुई है।

श्री अध्यक्ष: आप विषय पर दो मिनट बोलिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): मैं उसी पर बोल रहा हूं। निर्देश ये दिया था कि शब्द विलोपित किये जाते हैं। एक बार जब शब्द कार्यवाही से विलोपित कर दिये गये, उनका दुबारा सदन में उल्लेख करना, यह परम्पराओं के विपरीत है।

श्री अध्यक्ष: ऐसा नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय धारीवाल जी के समीप मैं बैठा हुआ था। निश्चित रूप से ये गले में खांसी की वजह से काफी परेशान थे और बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे अपना वर्जन रखना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके और संदीप जी के आपसी रिश्तों की मुझे जानकारी है। निश्चित रूप से स्लिप ऑफ टंग थी। कोई भी वैमनस्यता पूर्ण या दुर्भावना से इस तरह की यदि कोई बात की गयी हो तो निश्चित रूप से मैं स्वयं इसकी न केवल निंदा करता हूं, बल्कि इसकी घोर निंदा करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक परेशानी की सी हालत में बार-बार में जब इनको टोक रहे थे, रोजमर्रा में इनका आपसी वाद-विवाद तो चलता रहता है। इस वार्ता को समाप्त करें, माननीय धारीवाल जी का भी वर्जन लेना चाहें तो अध्यक्ष जी वर्जन लेने दें।

श्री अध्यक्ष: इधर से कोई बोलना है, तीन-तीन लोग बोलेंगे, इधर के दो और बस। ज्यादा बहस नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दु:ख के साथ जिस विषय पर अपनी बात कहनी पड़ रही है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बीच में बोलेंगे, कार्यवाही रोककर मैं सीधा डिसिजन ले लूंगा। एक तो गलती है, उसके बाद भी सुन नहीं रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): कौन माननीय सदस्य किस विषय पर क्या टिप्पणी करता है, उससे उसके चरित्र की पहचान होती है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं। विषय क्या है, किस तरह से हंसी-ठिठोली में हम ले रहे हैं, इसे राजस्थान की सात-आठ करोड़ की

जनता देख रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है, उसकी गंभीरता को समझने की आवश्यकता है। हमारे लिए राजस्थान विधान सभा में राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम सर्वोपरि हैं। यह हम सबके लिए सर्वोपरि है। मेरा ऐसा मानना है कि हम सबको इन नियमों की पालना करनी चाहिए। पालना ही नहीं, पूरे मनोयोग से इसकी पालना करनी चाहिए। इसके नियम 269, जिसमें किसी व्यक्ति के विरूद्ध आरोप के बारे में, नियम 269 बोलते समय पालनीय नियम - माननीय सदस्य को, चाहे पक्ष का है, चाहे प्रतिपक्ष का, हर एक को बोलने का अधिकार है, आसन की अनुमति से। आसन की अनुमति से सब बोलें तो नियम 272 में क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, इसके सम्बन्ध में नियम है। इसका सब-नियम (3) कहता है, 'सभा, संसद या किसी राज्य विधान मंडल के व्यवहार या कार्यवाही के विषय में आपत्तिजनक पदावली का उपयोग नहीं करेगा' और आपत्तिजनक क्या है, इसकी व्याख्या कर अलग शब्दों का उल्लेख किया गया है। जिन शब्दों का उपयोग, जिस व्यवहार का उपयोग और जिस-वे में कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो उसका उपयोग किया है, वह इस नियम 272(3) और इसमें दी गयी व्याख्या के पूर्ण रूप से विपरीत ही नहीं है, निंदनीय भी है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई गलती से, हड़बड़ाहट से या अति उत्तेजना से अगर कोई कह दिया जाये, वह भी क्षमा योग्य नहीं है। यहां तो जान-बूझकर ऐसी शब्दावली का उपयोग किया गया है। मैं यह इस आधार पर कहता हूं कि मैंने इस विधान सभा की 15 साल की कार्यवाही प्रक्रिया मंगवाकर देखी तो इस स्थान पर 15वीं विधान सभा के दौरान, इस स्थान पर जहां मैं आज खड़ा हूं, उस स्थान पर माननीय सदस्य खड़े होकर, एक बहुत गंभीर विषय चल रहा था कि राजस्थान में माता-बहनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, यह सभ्य समाज में किसी के लिए सभ्य नहीं है। हम इस पर टीका-टिप्पणी करें, वह भी ठीक नहीं। लेकिन इस स्थान पर खड़े होकर ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना और ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, 'यह तो मर्दों का प्रदेश है, यहां तो सब चलता है'। उसी माननीय सदस्य द्वारा पुनः 16वीं विधान सभा की कार्यवाही के दौरान ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, यह स्पष्ट झलकता है कि वे जान-बूझकर ऐसी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, अपने चरित्र को उजागर कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है, कभी मेरे से भी। जैसा कि अभी वरिष्ठ सदस्य पारीक साहब ने कहा कि स्लिप ऑफ टंग से निकल जाता है।

श्री अध्यक्षः संक्षिप्त में।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): एक लाइन और। मेरा ऐसा निवेदन है कि हम सबको इस विषय को इतनी हंसी-मजाक में नहीं लेना चाहिए। हमारी जनता, हमारे राजस्थान की जनता, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, इन सबको बहुत गंभीरता से देखते हैं कि हम सदन में कैसा व्यवहार कर रहे हैं? आज जब फलौदी से आने वाले हमारे माननीय सदस्य जब पर्ची बोल रहे थे तो आप खड़े होकर बोले कि 295 पढ़ा जाता है। तो इससे पता लगता

है कि माननीय सदस्य जानबूझकर इस सभा में व्यवधान करने, अनावश्यक शब्दावली बोलने और जिस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया जाना, जो इस समाज में सभ्य नहीं है, ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया है, इसलिए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, वास्तव में सदन की गरिमा हम सबके आचरण से संभव है। जब से 16वीं विधान सभा आयी है और माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान हुए हैं, तब से आपने ऐसी-ऐसी व्यवस्थाएं दी हैं, जो हमारे सब के लिए एक प्रेरणादायी हैं और हमें सबको साथ मिलकर राजस्थान की जनता के मुद्दे उठाने में पूरी सहायक होती हैं।

mdp/rtm/30.07.2024/14:30/2f

माननीय कृपलानी साहब ने बात उठाई, उठानी भी चाहिए। अगर सदन में कोई गलत बात हो जाती है तो हम सबका दायित्व बनता है कि उस गलत बात को हम उठाएं और उसका निवारण करें। माननीय सदन की गरिमा को गिरने से बचाएं। वास्तव में जो इनके शब्द थे, वह कैसी परिस्थितियों में निकले, भावावेश में निकले, चाहे ध्यान नहीं रहा, कैसे निकले, अवस्था के कारण से निकले, हम कोई भी उन शब्दों को जायज नहीं ठहरा सकते, नहीं ठहराना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दो बातें हैं, पहली बात तो जब भी सदन में किसी भी तरह की इस तरीके की असंसदीय भाषा का प्रयोग होता है, हजारों बार हुआ होगा, लेकिन उसी वक्त माननीय स्पीकर या जो सभापति होते हैं, वह उसको एक्सपंज कर देते हैं और हाउस को आर्डर में ले आते हैं। चूंकि माननीय संदीप शर्मा जी, जो सभापति की कुर्सी पर थे और उन्हीं के लिए वह बात हो रही थी। वे चाहते, उनके संज्ञान में वह बात आती तो उसी वक्त एक्सपंज करके वह बात समाप्त हो जाती। कृपलानी जी को वह बात दोबारा नहीं उठानी पड़ती, लेकिन हम सब लोक बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे पास में एक से एक बढ़कर अनुभवी और संसदीय परम्पराओं के जानकार लोग बैठे हैं। जब माननीय राजेन्द्र जी पारीक साहब स्पीकर की कुर्सी पर बैठे थे, यहां पर सभापति की कुर्सी पर, तब माननीय कृपलानी जी ने यह बात उठाई कि ये असंसदीय वर्ड हैं और माननीय राजेन्द्र जी पारीक साहब ने स्पीकर की हैसियत से वह सब एक्सपंज कर दिए। चूंकि माननीय स्पीकर, स्पीकर होता है और स्पीकर की यह व्यवस्था बन गयी कि मैं इस पर आज की तारीख में शून्यकाल के बाद में व्यवस्था दूंगा। तो हम सब एक ही बात आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि दो ही वजह हो सकती है कि या तो व्यक्ति जानबूझ कर सनसनी फैलाने के लिए हाउस को डिस्टर्ब करने के लिए कोई बात कहे या फिर उम्र के हिसाब से, भूल के हिसाब से, किसी भी वजह से वह शब्द निकल जाए। उनकी मंशा खराब नहीं हो तो फिर उस हिसाब से यहां पर सदन में निर्णय होता रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कल माननीय मुख्य मंत्री जी, सदन के नेता बात कर रहे थे, विवेक जी को संबोधित कर रहे थे, रोहित जी को पुकारना चाह रहे थे, भूल हो गयी, मानवीय भूल है, उन्होंने सुधार कर लिया। उनकी मंशा खराब नहीं थी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस वक्त जो स्पीच दे रहे थे, उस स्पीच में वह बात गलत निकली, असंसदीय निकली, वह हम कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, लेकिन इन्होंने धारीवाल जी ने जो कहा कि स्पीकर साहब, एक मिनट लगेगा, आप नाराज मत होना। इन्होंने कहा कि जो शब्द निकले, वह कारण ये रहे, मैंने पूछा इनको तो इन्होंने कहा कि पहली बात तो स्पीकर साहब ने मुझे 19 साल का बता दिया तो फिर दिमाग 19 साल की तरह चलने लग गया। ...(व्यवधान)... फिर मेरी अवस्था।

श्री अध्यक्ष: 19 साल के बच्चे को यह अनुमति नहीं है कि वह इस तरह की बात बोले।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कोई बात नहीं है, फिर दूसरा क्या रहा अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा ये क्या बात हुई? तो बोले मेरी उम्र इतनी हो गयी कि मुझे जब संदीप शर्मा जी स्पीकर की कुर्सी पर बैठे दिखे तो मैंने सोचा कि मैं तो कोटा में ही भाषण दे रहा हूं। यह मेरे से उसके भाव प्रति, बच्चे के प्रति, मेरे छोटे भाई के प्रति जो भाव रहते हैं कोटा में, वह कोटा के भाव मेरे निकल गये। इसलिए ये हुई है बाकी मैं मानता हूं, इन्होंने मुझे कहा है और यह खुद भी कह देंगे, मैं भी कहता हूं कि वे जो शब्द थे, वे बिलकुल गलत थे, हमारी संसदीय परम्पराओं के लिए कतई ठीक नहीं हो सकते हैं। हम सब लोग यह मानते हैं कि सदन चलेगा तभी जनता के मुद्दे सदन में आएंगे, इसलिए हम लोग माफी चाहते हैं, अगर इनसे कोई बात हुई है। जानबूझकर नहीं किया गया। जो व्यक्ति पांच बार चुनकर आए, पांच बार मंत्री बने, गृह मंत्री बने, ये संसदीय कार्य मंत्री बने, पूरे हाउस को शानदार तरीक से चलाए, वह आदमी कभी-भी जानबूझकर हाउस को डिस्टर्ब करने के लिए या थोथी वाहवाही लूटने के लिए नहीं कर सकता। इन्होंने तो ऐसे काम किये कि पूरे हिन्दुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में कोटा को जो चमकाने का काम किया, वह कोई नहीं कर सकता। अगर विजन नहीं होता, माननीय स्पीकर साहब, अगर विजन नहीं होता।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष जी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बैठिए, एक बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: एक बात कर लीजिए, लंबा चलाने का मतलब नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं इतना ही कहूंगा कि +++

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: विषय को डायल्यूट मत कीजिए। आप दोनों विराजिए। बैठिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये खड़े होते हैं बीच में। मैं चाहता हूं कि इस बात को यही समाप्त की जाए। हम लोग उनके शब्दों को कतई जायज नहीं ठहराते हैं।

श्री अध्यक्ष: ये राजनीतिक भाषण, ये +++, इस विषय को निकाल दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): धारीवाल साहब भी खुद अपनी बात को कह

देंगे। मैं समझता हूं कि यह सदन जनता के लिए है और जनता के मुद्दों पर अच्छी तरह से चर्चा हो, ऐसा माहौल बनना चाहिए। इनको भी ध्यान रखना चाहिए। ये अभी-भी खड़े हैं।

श्री अध्यक्षः आप तो बैठिए। आपको कुछ कहना है। हां, आप कहिए। ये सदन में थे। माननीय श्रीचन्द जी विराजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैं तो सही कह रहा हूं। धारीवाल साहब की आपने तारीफ की। मैं खुद भी तारीफ कर रहा हूं। लेकिन आप मुझे बताइए ये कह रहे है कि इनका दिमाग थोड़ा।

श्री अध्यक्षः ये आप मुझ पर छोड़िए, इसका उत्तर मैं दूंगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): लेकिन गृह मंत्री रहते हुए इन्होंने राजस्थान की महिलाओं का जो असम्मान किया, जो बलात्कारियों का प्रदेश बताया। उसको क्या मानते हैं आप? उस दिन भी यही स्थिति थी। आप तारीफ कर रहे हैं बैठे-बैठे।

श्री अध्यक्षः आप बैठिए। बहस चलाइए तो चलाइए घंटे भर।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष जी, चूंकि माननीय डोटासरा साहब ने अपने वक्तव्य में यह बात कही।

श्री अध्यक्षः केवल इस विषय तक सीमित रखें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): उन्होंने बताया कि मैं सभापति के रूप में आसन पर बैठा हुआ था और मैंने टोका नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्थाओं से यह सदन चलता है और जिन नीति और परम्पराओं को आपने एक आदर्श रूप में इस सदन में लागू कराया, उसके लिए हम सब आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। परंतु उस दिन जब आपके आसन की शक्तियां आप अपने आसन पर छोड़कर हमें आदेश देकर चले गये थे और सभापति के रूप में मैं वहां पर बैठा हुआ था। इनके दल की जो व्यवस्था थी, उसमें 30 मिनट का समय माननीय धारीवाल साहब को दिया गया था। मैंने 30 मिनट तक बुलवाने के बाद भी 2-3 मिनट तक उनकी बात पूरी होने दी। उनकी बात पूरी होने के बाद मैंने कहा आप विराजें। फिर जब मैं उनको बैठाने के लिए प्रयासरत था, ऐसे में उन्होंने जो अपना कहा वह शब्द, डोटासरा जी भी उस रोज बैठे हुए थे, टीकाराम जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता भी बैठे हुए थे, अभी आप उस गलती को स्वीकार कर रहे हैं। आपका भी तो उस समय दायित्व बनता था कि हमने यह बात सुनी है, हम उस बात के लिए खेद प्रकट करते हैं, उस समय ही आपको यह बात कहनी चाहिए थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं सदन से चला गया और जब शाम को 6 बजे मैंने टीवी चैनल और मीडिया में उस चीज को देखा व सुना, तब मेरी जानकारी में यह विषय आया। मैं समझता हूं कि जिस भाव से, जिस तरह से भी माननीय जो हमारे सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और 82 साल की जिनकी उम्र है, उनके मुंह से जो शब्द निकला है, वह किसी भी भावावेश में निकला हो या उनके किसी भाव के कारण निकला हो, परंतु जो भी उन्होंने कहा है, मैं समझता हूं कि वे खुद अनुभवी हैं और उनको इस विषय में

खुद अपनी बात रखनी चाहिए कि किस प्रकार से वह इस सदन की गरिमा को, जो ऐतिहासिक गरिमा है। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, बहुत सारे नये सदस्य आये हैं जो इस सदन की गरिमा को बना सके, परम्पराओं पर चल सके, नियमों पर चल सके। इतना ही है।

श्री अध्यक्ष: आप कुछ कहेंगे? आप भी बोलेंगे? लास्ट।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सभी साथियों ने अपनी बात रखी। पहली बात, जो माननीय कोटा से आने वाले सदस्य ने भी जो बात कही, उस समय वह चैयर पर विराज रहे थे, क्योंकि उनको भी उस बात का पता नहीं चला, उनके संज्ञान में आयी नहीं। मैं खुद भी सदन में मौजूद था। इससे ये साबित होता है कि सदस्य की जो मंशा थी, वह इस प्रकार की नहीं थी कि वे आसन को इस प्रकार से शब्दों से संबोधित करें। अगर ऐसी होती तो पूरा सदन वहां पर मौजूद था।

Ans/rtm 14.40 2g 30.07.2024

आसन से ही नहीं, पूरे सदन से, किसी भी व्यक्ति द्वारा उस समय नहीं टोका गया और ना ही वह बात किसी के संज्ञान में थी।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा हम कोई ऐसे शब्दों का पक्ष नहीं ले रहे। मैं भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। पूरा सदन इस चीज को लेकर चिंतित है। ऐसी चीज़ें सदन के अन्दर आनी भी नहीं चाहिए। जिस प्रकार से हमारे माननीय सदस्य, जिनकी एज 83 है, उस दिन इनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। बोलते वक्त तीन बार ...(व्यवधान)... इतनी सीरियस घटना हो रही है और आप लोग इस चीज को मजाक समझ रहे हैं। उनके खांसी थी, प्रोबलम थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही माननीय सदस्य कोटा से आते हैं। मैंने पता किया है कि इन दोनों के सम्बन्ध भी बहुत अच्छे है। हो सकता है इस सम्बन्ध वश आपस में कोई बात इनकी निकली हो, लेकिन वह सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, आप कृपानिधान हैं। आपके नेतृत्व में अब की बार पूरा सदन बहुत अच्छे से चला है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इससे पूर्व भी इस प्रकार की घटनाएं इस सदन में हुई है। मैं उनका उदाहरण नहीं देना चाहूंगा, लेकिन मैं आसन से यह उम्मीद करता हूं कि पूर्व में भी आसन ने उस बात को गंभीरता से लेते हुए और माननीय सदस्य के खेद प्रकट करने के बाद उसे माफ किया है। मैं समझता हूं कि किसी भी सदस्य के द्वारा कोई शब्द कहा गया हो और वह उसको रिलाइज कर ले, उसके लिए सदन के अन्दर खेद प्रकट कर दे, तो, अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि क्षमा से बढ़कर कोई दण्ड नहीं है।

मेरे दल के, मेरे पक्ष के सदस्य हैं, हमारा पूरा दल भी इस चीज को लेकर आहत है। मैं स्वयं भी खेद प्रकट करता हूं कि इस प्रकार के शब्दों की इस सदन के अन्दर कोई जगह नहीं है और ना ही होनी चाहिए। इस चीज का मुझे दु:ख है। मैं अध्यक्ष जी से यह निवेदन करूंगा कि आप माननीय सदस्य को माफ करने की कृपा करें, धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः लास्ट। सचेतक महोदय।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। इस सदन का दुर्भाग्य है कि ऐसे विषय पर हमको चर्चा करनी पड़ रही है। हम जिस समाज में आते हैं, वहां कई लोगों को ऐसे अपशब्द बोलने का स्वभाव होता है। आदतन बोलते रहते हैं। वह लोग यदि अपने बाप के सामने खड़े हैं, मां के सामने खड़े हैं, बहन या बेटी या बहु के आसपास खड़े हैं, तो ऐसे शब्दों को बोलने से विचार करते हैं। यह सदन भी वैसा ही स्थान है, जहां हमें एक-एक शब्द बोलने से पहले विचार करना होता है, करना चाहिए और करते भी है। इतने अनुभवी व्यक्ति है और जैसा वर्णन किया जा रहा है, बहुत योग्यतम व्यक्ति, ऐसी बात में चूक कर जाते हैं तो वह एक उचित बात नहीं है।

यह पहली गलती नहीं है। मैं इनके साथ तीसरी बार विधायक हूं। पहले का ट्रैक रिकार्ड भी इनका ऐसा ही रहा है कि यह ऐसे ही गलती से नहीं, जिसका उदाहरण माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने दिया है, मैं वहां सामने बैठा देख रहा था और वह विडियो भी सबने देखा है, वह शब्द बोला गया था, यह मर्दों का प्रदेश है, वह गलती से नहीं, अज्ञानता से नहीं, बिलकुल उनके चेहरे का हाव भाव देखकर कह सकते हैं कि वह एक बहुत अलग मानसिकता के साथ कहा गया था। ऐसा अगर होता है तो फिर चिंता का विषय होता है। उम्र में इतने वयोवृद्ध भी हैं, ज्ञानवृद्ध भी हैं, योग्यवृद्ध भी हैं, अनुभवी भी हैं, उसके बाद सदन में ऐसी बात होती है तो हम सबके लिए, जो नये लोग आए हैं, उनके लिए चिंता का विषय होता है कि वह बच्चे क्या सीखेंगे1

लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 19 साल की उम्र। 19 साल की उम्र में यदि बालक गलती करता है तो फिर उसको सज़ा भी 19 साल के हिसाब से ही दी जाए। सदन का समय समाप्त होने तक के लिए हाथ ऊंचे कराकर खड़े रखो, ऐसी सज़ा दी जाए। मान्यवर, यह आपका एक बचकाना तर्क है, उससे माफी नहीं बनती है। यह बहुत गंभीर विषय है। ना केवल उनके लिए, सबके लिए गंभीर विषय है। यह चर्चा भी विशेष रूप से हम लोग करवाना चाह रहे हैं, ताकि अब तो समझ में आए। अभी हमको इनके साथ और चार साल रहना है। फिर कभी ऐसा ना हो जाए, फिर कभी ऐसा सुनने को ना मिल जाए। यह कृपा यदि आप लोग करवा सकें, पारीक साहब ने बहुत अच्छी पैरवी की है, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बहुत अच्छी पैरवी की है, आप तीनों में से और बाकी भी आपके 70 लोग बैठे हैं, कोई यह गारंटी लेने को तैयार है कि आगे से वापस ऐसा नहीं होगा, तब तो माफी के बारे में विचार किया जा सकता है। फिर वैसी ही बात बार-बार होनी है तो फिर कोई ना कोई उदाहरण हमको सज़ा देकर, कोई कठोर उदाहरण यहां रखना चाहिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्षः माननीय धारीवाल जी। आप बैठो, आपको अनुमति नहीं है। ...(व्यवधान)... माननीय धारीवाल जी, आपको कुछ कहना है, लास्ट। आप बैठो, आपके नेताओं ने बोल दिया। तीन-तीन आ गए फ्रंट में। ...(व्यवधान)... नो, आप बैठिए। बोलिए आपको क्या

कहना है, फिर मैं निर्णय करूँ कहने के अनुसार। यह अपनी ओर से क्या कहते हैं, वह आधार बनेगा निर्णय का।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अध्यक्ष महोदय, मैं करीब चालीस साल से लगातार चाहे वह लोकसभा हो या विधान सभा हो, मैं उसमें जनता के द्वारा भेजा गया हूं। दूसरी बात यह है कि मैं इस आसन को सर्वोच्च मानकर चलता हूं और मेरा ना तो कभी ऐसा अभिप्राय था कि मैं इस आसन की कभी अवहेलना करूं, अपमान करूं या किस प्रकार से इसको नीचे दिखाने की कोशिश करूं। मैं हमेशा इस आसन को सर्वोच्च मानकर ही चला हूं। अपमान करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी का अपमान करूं।

आपको मैं यह भी बता दूं कि जब संदीप शर्मा साहब इस कुर्सी पर पहली बार बैठे तो इस पूरे 200 के सदन में एक मैं ही अकेला आदमी था, जिसने खड़े होकर यह कहा था कि आज मैं सबसे ज्यादा खुश किसी बात पर हूं तो इस बात पर हूं कि संदीप शर्मा आज इस आसन पर विराजमान है।

श्री अध्यक्ष: आप शब्द पर बात करो ज्यादा, यह आसन तो ठीक है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): उसी बात पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: उसी बात पर आइये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): बात तो बोलूंगा ना साहब।

श्री अध्यक्ष: उसी बात पर आइये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): जहां तक कोटा दक्षिण से आने वाले माननीय संदीप जी की बात है, तो वे तो मेरे बेटे के दोस्तों के दोस्त हैं। मैंने हमेशा उनको उसी तरह से रखा है।

श्री अध्यक्ष: मैंने निवेदन किया कि यह संदीप का विषय नहीं है। वह जो शब्द ...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मुझे बोलने तो दीजिए साहब।

श्री अध्यक्ष: आप लंबा मत करो, दो मिनट में बोल दीजिए। बार-बार संदीप-संदीप, वह कोटा में जाकर करिए। भूमिका ज्यादा मत बनाओ।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): उनसे हमेशा मेरी हंसी मजाक रहती है। उन्होंने कभी किसी बात का बुरा नहीं माना और ना मैंने उनकी किसी बात का बुरा माना। मैं जब भी उनसे मिलता हूं, हमेशा इस प्रकार की बातें करते रहते है, हल्की फुल्की बातें करते रहते है। उस दिन उन्होंने मुझे बोलने से रोका। मुझे ऐसा लगा कि संदीप जी उस आसन पर नहीं बैठे हुए, मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, इसलिए मेरे मुंह से इस प्रकार की बात निकल गई। निकल गई, गलत निकल गई। मैं खुद मानकर चलता हूं कि वह मेरी गलती थी, मैं उसको स्वीकार करता हूं। लेकिन वह बात सिर्फ मजाक में थी।

VPS-RTM-30.07.2024-14.50-2h

क्योंकि कई बार इस सदन में उत्तेजना से भी बात होती है और मजाक से भी बात होती है और भावावेश से भी बात होती है। कई बार इस प्रकार की बातें होती हैं तो वह बात, उस तरीके से लिया मैंने कि मेरा संदीपजी की कोई इन्सल्ट करने का या किसी प्रकार से उनको नीचे दिखाने का मेरा कतई कोई इरादा नहीं था और न मेरा इरादा हो सकता है। मेरे और उनके ताल्लुक़ात 30 से हैं लगातार। मैं यह मानकर चलता हूं कि न तो संदीपजी ने इस बात का बुरा माना होगा और अगर बुरा माना उन्होंने तो मैं उनसे एक बार नहीं पचास बार माफी मांगने के लिए तैयार हूं, खेद प्रकट करने के लिए तैयार हूं।

श्री अध्यक्षः सदन के उन शब्दों पर माफी मांगें। संदीपजी से माफी नहीं, जो शब्द असंसदीय हुआ है, उस पर आप बिना शर्त माफी मांगें तो बात आगे बढ़ेगी।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): खेद प्रकट कर दो आप। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप बैठो। मैं बैठा हूं न। ...(व्यवधान)...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): तो मैं इस बात के लिए खेद भी प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्षः किस बात के लिए? वह बोलो।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): इसी बात के लिए कि जो कुछ मेरे द्वारा कहा गया उसको अगर बुरा माना गया तो मैं खेद प्रकट करता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः अगर बुरा माना गया नहीं, यह बुरा है, आप इसको स्वीकार करो। अगर क्या है?

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): हां। अब आप मेरी बात सुन लीजिए। एक नजीर मैं बताता हूं आपको। 1967 की नजीर है जब भैरोंसिंह शेखावतजी ने और सतीशजी ने ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप तो अपनी बात रखिये। भैरोंसिंहजी या उसमें मत जाइये। दो मिनट में आप अपनी बात रखिये। आप माफी मांग रहे हैं सदन से? आप सदन से माफी मांगो, बात खतम।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): साहब, मैं बता रहा हूं न आपको। सदन की ही तो बात बता रहा हूं।

श्री अध्यक्षः वह बात मत बताओ। आप सदन में खुद माफी मांग रहे हो? बताओ। बात खतम।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मान ली मैंने बात को। वह मान ली।

श्री अध्यक्षः उस शब्द पर।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): वह मान ली। मान ली। अब मेरी बात तो सुनो आप।

श्री अध्यक्षः बैठिये। नहीं, अब क्या सुने? हो गया, बैठिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): भैरोंसिंहजी शेखावत ने और सतीश जी अग्रवाल ने चेयर के लिए यह कह दिया कि- `quit the Chair, यह बदमाशी मत करो।` यहां तक शब्द

कहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः मैं यह बात कह रहा हूं कि इसका मतलब आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो? ...(व्यवधान)...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मोहन लाल सुखाड़िया जी के खिलाफ ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, इसका मतलब आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो? आप तमाशा कर रहे हो? बिना शर्त माफी मांगो तो बात है दो लाइन में। ...(व्यवधान)...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आप बात ही सुन रहे हो।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः क्या आप संदीपजी से मांगी मांग रहे हो? संदीपजी से माफी नहीं मांगनी है। सदन से माफी मांगनी है, आसन से माफी मांगनी है। ...(व्यवधान)...

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अभी तक आपने माफी नहीं मांगी।

श्री अध्यक्षः अभी नहीं मांगी। अभी आपने माफी नहीं मांगी। आप खड़े होकर दो लाइन कह दो। ...(व्यवधान)...

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): नहीं मांगी, रिकार्ड देख लो आप। सदन से माफी अब भी नहीं मांगी है। अब भी नीयत खराब है इनकी। अब भी ये सुधरने का तैयार नहीं हैं, इस उम्र में भी। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप दो लाइन में माफी मांग लो। ...(व्यवधान)...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मैं कह चुका कि खेद प्रकट करता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः और सदन से माफी मांगता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): हां। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः मेरे से नहीं, सदन से। ...(व्यवधान)...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): हां, सदन में। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः बैठिये। ...(व्यवधान)...

व्यवस्था

श्री शान्ती धारीवाल, माननीय सदस्य, द्वारा सदन में आपत्तिजनक भाषा/अभिव्यक्ति के प्रयोग पर उनके व उनके दल द्वारा खेद व माफी को उदारतापूर्वक स्वीकार करते हुए 2 दिवस सदन में आने की छूट, परन्तु कार्यवाही में भाग नहीं लेने के प्रतिबंध तक सीमित करते हुए प्रकरण समाप्त

मैंने सबकी चर्चा सुनी। इस सदन में मैं भी लगभग बीस साल से ऊपर ज्यादा समय से आ रहा हूं। मैंने इतने दिनों में इस प्रकार का दृश्य नहीं देखा। जब इस बार मुझे अध्यक्ष का दायित्व दिया तो अध्यक्ष होने के नाते, बाकी दायित्वों के साथ एक कार्य मेरे को सदन की मर्यादा भी बनाये रखना है, यह मेरा दायित्व बनता है। मुझे बहुत पीड़ा है, इस सदन में सदन के वरिष्ठ माननीय सदस्य जो पांचवीं बार विधायक निर्वाचित हुए हैं और सदन की प्रक्रियाओं, परम्पराओं का आपको ज्ञान है। आप इस सदन में संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं और नगर विकास, स्वायत्त शासन मंत्री भी रहे हैं। आपका काम सदन को मर्यादित,

व्यवस्थित और अनुकरणीय बनाना है ताकि नये सदस्य उनसे प्रेरणा ले सके, ऐसे माननीय सदस्य जब सदन की मान-मर्यादा भूलकर अमर्यादित अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं यह हम सबके लिए और लोकतंत्र के लिए शर्मनाक भी है, चिंतनीय भी है और बड़ी पीड़ादायक भी है, यह हम सबको सोचना पड़ेगा।

यह कहा जाये कि परेशान होकर शब्द बोले, परेशान है तो घर पर बैठिये। यहां सदन में परेशानी में बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से आकर बैठिये। यदि ये कहते हैं कि साहब, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो आवश्यक नहीं है कि ऐसे शब्द मुंह से निकले।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था।

श्री अध्यक्ष: यह आपके सदस्यों ने कहा है, मैं तब ही कह रहा हूं। जो कहा है, मैं उन शब्दों को ही दोहरा रहा हूं, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ रहा हूं और यह तो जब सारे सदन की मर्यादाएं, जब टीवी चैनल पर यह चला, केवल आपकी ही नहीं, आपकी तो बेइज्जती हुई होगी बल्कि पूरे सदन की और राजस्थान विधान सभा की जो इज्जत दाव पर लगी है, जो प्रतिष्ठा का हनन हुआ है, उसकी भरपाई शायद माफ करने से या दु:ख प्रकट करने से या माफी मांगने से खतम नहीं होती इसलिए नये विधायक क्या प्रेरणा लेंगे? अभी जब बात चली 19 साल की तो बड़े जोर से बोलने लगे पीछे से और मैं कई बार सदन में भी देखता हूं कि पुराने माननीय सदस्य तो फिर भी मर्यादाएं रख रहे हैं, नये माननीय सदस्यों को मर्यादाएं सीखने की आवश्यकता है। यह न तो छात्रावास है, न हॉस्टल है, न कहीं कॉलेज है, न वी.सी. का चैम्बर है, न कोई यहां पर यूनिवर्सिटी का बाहर का गेट है जो हम इस ढंग का व्यवहार करते हैं। यह सदन है। बड़े वरिष्ठ लोगों से, आपकी पार्टी से ही सही, आप सब पुरानी परम्पराओं को जरा पढ़िये। हम सदन के सदस्य हैं, दो-तीन लाख लोगों से चुनकर यहां पर आये हैं, आप उनके प्रतिनिधि हैं तो आपको उनके प्रतिनिधि के नाते जो व्यवहार अपने घर में बड़ों के साथ करते हो, वैसे व्यवहार की यहां पर अपेक्षा है। ठीक है, सदन है, पक्ष-विपक्ष चलेगा, बहस भी होगी, इसमें नाराजगी भी होगी, लेकिन नाराजगी का यह अर्थ नहीं है कि हम ऐसे अपशब्दों का का प्रयोग करे। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो हम हमारी मां, बहन, महिलाओं के सामने, बहनों के सामने, माताओं के सामने ऐसे शब्दों प्रयोग कर सकें।

इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा हमारे लिए यह बड़ी शर्म की बात है, यह सम्पूर्ण राजस्थान ही नहीं, इस पवित्र विधान सभा की कार्यवाही सम्पूर्ण देश जो देख रहा है, मान-मर्यादा वाले प्रदेश की छवि पर बहुत गम्भीर विपरीत प्रभाव पडा है, इस पर आप विचार करें।

इसलिए आज मेरी यह अंतिम चेतावनी है, स्पष्ट सुन लें तथा भविष्य में मुझे इस प्रकार के आचरण के लिए कठोरतम कार्यवाही करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा यदि इसको अपन ने नहीं रोका तो चाहे कोई भी हो, फिर यह कहीं भी माफी की बात न तो मेरे कार्यकाल में मैं सुनूंगा और न कहीं उसको मैं करूंगा। मैं यह बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, कोई भी हो। आप

अभी तो इस घटना का सुन लें।

मैं अध्यक्ष रहते हुए ऐसे असंसदीय आचरण को बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा इसलिए आज मेरी यह व्यवस्था है कि आज और ज्यादा मेरी जिस तरह की भावनाएं आईं, उनका आदर करते हुए, बाकी तो मेरी यह इच्छा थी कि कम से कम ऐसे आचरण के बाद उसको शायद अगले चार साल तक भी इस सदन के सदस्य बने रहने का कोई हक नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों के आग्रह, आपकी पार्टी के इधर भी सबसे बातचीत करते हुए, मैं इतना ही कहूंगा कि आज और कल आप आयेंगे, आपको निलंबित नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां पर कार्यवाही में आप भाग नहीं ले सकेंगे। इतना ही मैं कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

अब दूसरे विषय पर आगे बढ़िये। हां, आप बोलिये।

सूचना

चिकलवास ग्राम (नाथद्वारा) में छत गिरने से व्यक्तियों की मृत्यु

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा में ग्राम चिकलवास, ग्राम पंचायत सायों का खेड़ा में कल रात को दस बजे के लगभग रामदेवरा जाने वाले यात्रियों के लिए मेघवाल समाज एक कोई भवन बना रहा था, छत डली हुई थी, रात को दस बजे के लगभग दस पन्द्रह लोग उसमें गये और वह छत अचानक गिर गयी और उसकी वजह से चार लोगों की मौके पर मौत हो गयी और छह लोग गम्भीर रूप से घायल हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि इनके जो मृतक परिवार हैं, उनको तुरंत सहायता दी जाये और जो गम्भीर रूप से घायल है, उनका पूरा इलाज करवाया जाये और उनको भी आर्थिक सहायता प्रदान करने की कृपा सरकार करे। अगर इनके पास में कोई जानकारी है, ये जवाब देंगे तो बात सदन के सामने आयेगी। चार एस.सी. समाज के लोगों की मौत हुई है और छह अभी भी गम्भीर रूप से घायल हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: इन्फार्मेशन आ गयी। श्रीमती गीता बरवड़ को भी कोई इन्फार्मेशन देनी है, क्या वे सदन में हैं? क्या? आप इस पर बोलना चाहते हैं? राजसमन्द का क्षेत्र है तो आप दो मिनट बोल लीजिए। राजसमन्द के वे हैं। वैसे तो होता नहीं है इसमें। ...(व्यवधान)...

श्री विश्वराज सिंह मेवाड़ (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समाचार आये तो मैंने मुख्य मंत्रीजी से बात की है और जो सहायता हो सकती है, वह हो जायेगी और मुख्य मंत्रीजी की पूरी नॉलेज में है और इसी सन्दर्भ में कलेक्टर साहब से भी बात हो गयी थी और उन्होंने भी जो भी एक्सीडेंट हुआ था, वे उस समय मौके पर थे और पूरा जायजा भी किया था। आज सुबह और कल रात भी बात हुई है और आगे कार्यवाही जो उचित है, वह जरूर की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। हो गया। माननीय सदस्य, बैठिये। हो गया।

विधायी कार्य। राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024, श्री जोगाराम पटेल।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करता हूं। धन्यवाद।

SSY/RTM/30.07.2024/15:00/2j

श्री अध्यक्ष: श्री सुमित गोदारा।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

गांधी वाटिका न्यास, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2024

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि गांधी वाटिका न्यास, जयपुर (निरसन) अधिनियम, 2024 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गांधी वाटिका न्यास, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2024 को जनमत जानने के लिए प्रस्ताव किया है।

मेरा निवेदन है कि जिस उद्देश्य से गांधी जी का जो जीवन दर्शन है, गांधी जी की जो दिशा है, गांधी जी का जो सोच है और जो गांधी जी का प्रभुत्व अंतरराष्ट्रीय जगत पर है, उन भावनाओं को देखते हुए तत्कालीन मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने यह बिल, एक्ट रखा था।

उसके उद्देश्य था कि महात्मा गांधी का दर्शन, उनके विचार अत्यधिक महत्व रखते हैं तथापि वर्तमान में राजस्थान में ऐसी कोई संस्था या निकाय नहीं है, जो उनकी विरासत को परिलक्षित कर, प्रसारित करने के लिए करो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): अत: इस उद्देश्य की पूर्ति करने की दृष्टि से गांधी वाटिका न्यास, जयपुर के नाम से एक न्यास संस्थापित किया जाना प्रस्तावित है और राज्य सरकार

ने इस आशय की घोषणा अपने बजट प्रावधानों में की।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक पर माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो चर्चा शुरू की है, उस सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: एक सेकण्ड। एक सेकण्ड माननीय, व्यवस्था तो दी जा सकती है ना। कोई प्रश्न संसदीय मंत्री कहे तो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह विधेयक के निरसन का प्रस्ताव है। संशोधन के लिए राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 72 में नियम दिये हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिये, हां।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप व्यस्त हैं इसलिए मैंने आपकी व्यस्तता के बीच में दखल करना ठीक नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष जी अभी जवान हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): व्यस्तता और जवानी का तालमेल नहीं है। कोई और दूसरा लाओ।

श्री अध्यक्ष: हां, बोलिये माननीय मंत्री जी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरा निवेदन यह था कि यह जो जनमत जानने का, आपका जो प्रस्ताव है, वह नियम 72 के किसी भी प्रस्ताव में नहीं आता है। जनमत जानने का प्रस्ताव ना इस स्टेज पर रखा जा सकता है। वह तो अंतिम चरण में जब भी हो, पास करना या नहीं करना, रखना या नहीं रखना, उस स्टेज पर आता है। इसलिए यह संशोधन का प्रस्ताव नियम 72 के किसी भी नियम के क्लॉज में आता नहीं है। संशोधन इसलिए ना तो आप रख सकते हैं और ना संशोधन के बारे में बोल सकते हैं ...(व्यवधान)... वह जो स्टेज आयेगी जनमत जानने की प्रक्रिया वाली, वह अंतिम स्टेज पर जब आती है, सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आता है।

श्री अध्यक्ष: हां, तब आयेगा। वह तो बाद में आयेगा। वह तो जब पारित होने से पहले पूछा जायेगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आपने खुद ने एजेंडा तय किया है। आपने खुद ने इसमें कॉल किया है।

श्री अध्यक्ष: आपने जनमत जानने के लिए कॉल किया है, उस पर बोलेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आपने खुद ने जनमत जानने के लिए यहां बुलाया है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरी इस पर व्यवस्था दे दें।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): यह व्यवस्था तो आपने दी है।

श्री अध्यक्ष: यह 6 लोगों ने, माननीय सदस्य, यह 7 लोगों ने इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अब अपन यह प्रस्ताव करेंगे। फिर हां, ना, सदन स्वीकार करेगा, अस्वीकार करेगा, वह फिर करायेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री)ः वह तो तब आयेगी, जब अंतिम चरण में आयेगा यह विधेयक।

श्री अध्यक्षः उसके बाद अंतिम चरण, तीसरे चरण में कोई भी बोल सकता है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री)ः वह नियम उलटा हो रहा है।

श्री अध्यक्षः ऐसा नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी)ः आ गई समझ में आपके?

(समयः बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री)ः हां तो यह मत बोलो ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी)ः यह जो प्रस्तावित है, गांधी दर्शन के आदर्शों को और शिक्षा को प्रसारित करने के लिए यह शांति, अहिंसा, सामाजिक न्याय के मूल्यों को अंगीकार करने हेतु व्यक्तियों और समुदायों को प्रेरित करने के प्रयास करने हेतु यह पास किया गया था।

मान्यवर, आपने जो इसके निरसन का प्रस्ताव रखा है, उसमें आपने जो उद्देश्यों में लिखा है, उन उद्देश्यों में लिखा है कि सम्बन्धित विभाग के निदेशक या अन्य पदाधिकारियों द्वारा राज्य में अन्य संग्रहालयों के संचालन को दृष्टिगत रखते हुए गांधी दर्शन के संग्रहालय के संचालन के लिए गांधी वाटिका न्यास अनिवार्यतः और आवश्यक रूप से अपेक्षित नहीं है। जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह विधेयक रखा गया और यह एक्ट बना, यह ट्रस्ट बना, आपने उन उद्देश्यों पर तो एक चरण भी इसमें नहीं लिखा।

आपने तो यह कह दिया कि एक अधिकारी ने यह कह दिया कि अब ट्रस्ट की आवश्यकता नहीं है। इसको चलाने की, गांधी जी के विचारों को प्रसारित करने की, गांधीवादी सोच के लोगों की जिनको इस ट्रस्ट में रखा, उनके विचार सुनने की और जनमत को जानकारी देने की, अच्छा होता कि आप अपने इस निरसन विधेयक के लिए जो आपने बिल प्रस्तावित किया, उसमें आप इन कारणों को भी लिखते कि हम नहीं चाहते कि अब गांधीवाद का प्रचार-प्रसार राजस्थान में हो। आपको यह भी लिखना चाहिए था।

श्री सभापतिः संक्षिप्त में ही अपनी बात कहें, माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी)ः आपका यह जो सोच है, इसी आधार पर लगभग 80 करोड़ रुपये का प्रावधान करके यह गांधी वाटिका बननी थी। लेकिन आपका सोच क्या है? मूल रूप में परेशानी यह है कि आप अधिकारियों के माध्यम से यह ट्रस्ट को भंग करके, इसको चलाना चाहते हैं, यह संभव नहीं है।

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी)ः क्या?

श्री सभापतिः शॉर्ट में, संक्षिप्त।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी)ः बोलूं ही नहीं आप कहो तो, यह लो।

श्री सभापतिः श्री भीमराज भाटी।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): बंद कर देता हूं।

श्री सभापतिः 2-2 मिनट में अपनी बात कहो।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मैं बंद कर देता हूं।

श्री सभापतिः आप नाराज मत होइये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): नहीं, बंद कर दिया मैंने। मुझे नहीं बोलना है।

श्री सभापतिः इसमें बहुत संक्षिप्त में अपनी बात, इसमें बहुत लंबा वक्तव्य नहीं दिया जाता है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मुझे नहीं बोलना है।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप वर्षों पुराने वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): यह आप नहीं दे सकते कि मुझे क्या बोलना है। आपका काम नहीं है।

श्री सभापतिः आप संक्षिप्त में बात कहें जिसमें आपका, समय सबको ही इतना मिलेगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): यह शिक्षा आप मुझे नहीं दे सकते।

श्री सभापतिः इसमें सभी को इतना ही समय मिलेगा ...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आप मुझे नहीं दे सकते। मुझे क्या बोलना है, मैं जानता हूं। मैं जानता हूं क्या बोलना है। आपसे ज्यादा जानता हूं ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, इसमें इतना ही समय मिलता है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): क्या बोलना है? इधर नहीं बोल सकते।

श्री सभापतिः आप बोलिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): नहीं बोलना।

श्री सभापतिः आप बोलें माननीय सदस्य। संक्षिप्त में अपनी बात कहें।

श्री भीम राज भाटी (पाली): माननीय सभापति महोदय, अनुभवी सदस्य को सभापति द्वारा अनुमति नहीं दी गई। कोई बात नहीं। मुझे अनुमति दी है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय सभापति महोदय, यह ट्रस्ट पिछले साल 2023 में कला, संस्कृति और ...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बोलने नहीं देना चाहते।

श्री सभापतिः ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। श्री भीमराज भाटी, आप बोलिये ...(व्यवधान)...संक्षिप्त में अपनी बात कहिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): समर्थक नहीं हो ...(व्यवधान)...

श्री भीम राज भाटी (पाली): के माध्यम से महात्मा गांधी के संदेशों की अभिवृद्धि करना ...(व्यवधान)...चलो, आप इनको ही नहीं बोलने देना चाहते तो मेरे बोलने से क्या फायदा है। मुझे भी बोलने से कोई फायदा नहीं है। मुझे समझ आ गई कि यह सरकार इस संशोधन को निरस्त करके दूसरा एक्ट लाना चाहती है। 2024 का, इसका मतलब यह है कि आपका

गांधीवादी विचारों में कोई विश्वास नहीं है। सारी दुनिया महात्मा गांधी को मानती है। अगर आप नहीं मानते, यह सरकार नहीं मानती तो यह बड़े खेद का विषय है। मैं माफी चाहता हूं आपसे।

श्री सभापतिः श्री घनश्याम। (अनुपस्थित) ...(व्यवधान)... श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापतिः संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सभापति महोदय, खड़े हुए हैं उससे पहले ही आप अगर रोकोगे तो फिर बोलेंगे क्या? 5 आदमी बोलने के लिए, आप 5-10 मिनट।

श्री सभापतिः बोलिये, बोलिये। अपनी बात, अपनी विषय वस्तु रखिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): कानून का मामला है ...(व्यवधान)... इस पर अपनी बात कहनी है।

श्री सभापतिः यह लंबा कहने वाला विषय नहीं है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, लंबा नहीं, 5-10 मिनट तो कोई बोलेगा।

श्री सभापतिः हां, बोलें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, आज का गांधी वाटिका न्यास, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2024 ...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): +++ ...(व्यवधान)...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): जो निरसन के लिए यहां माननीय सदन के सामने आया। इसमें मैं सबसे पहले तो एक बात पर कहना चाहता हूं कि हमारा यह सदन कानून बनाने का काम करता है। यह गांधी वाटिका न्यास, जयपुर विधेयक, 2023 में आया।

Spp/Rtm/30.07.2024/15:10/2k

श्री सभापतिः एक सेकण्ड, बिराजें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, बिल पर व्यवस्था यह होती है कि कोई सदस्य कितना भी बोल सकता है, विषय-वस्तु से बाहर नहीं जाये। यह क्या बात हुई कि आप एक मिनट में ही बिठा रहे हो?

श्री सभापतिः देखिये, मैंने एक मिनट में नहीं बिठाया, विपक्ष के नेता महोदय।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, जो गांधी वाटिका विषय है, गंभीर विषय है, हम इसमें अपनी बात रखना चाह रहे हैं। ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः लेकिन यह भाषणबाजी का विषय नहीं है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, भाषण का नहीं है। ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः विषय-वस्तु पर अपनी बात रखिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): विषय वस्तु पर ही अपनी बात बोल रहे हैं।

..(व्यवधान).. विषय-वस्तु पर ही बोल रहे हैं।

श्री सभापतिः तीन से चार मिनट में अपनी बात समाप्त करिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा कोई नहीं होता। विषय वस्तु से अगर बाहर जा रहे हैं तो आप रोक सकते हो।

श्री सभापतिः यह सदन व्यवस्थाओं से चलता है। ..(व्यवधान)..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह कोई पहला बिल नहीं आ रहा है। ..(व्यवधान).. माननीय सभापति महोदय, यह पहला बिल नहीं आ रहा है।

श्री सभापतिः और भी कार्यवाही हमारी है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा नहीं होता। आज पांच आदमी सारे बोलने वाले हैं। 20-20 आदमी बिलों पर बोलेंगे। ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः आगे की भी व्यवस्था है। ..(व्यवधान)..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, आगे भी कोई इतना बिजनस नहीं है। अपना पूरे दिन का बहुत ज्यादा बिजनस सबका डिस्टर्ब हो रहा हो, कितना बिजनैस है, बता दीजिये।

श्री सभापतिः आपको बोलने से नहीं रोका जा रहा। आपको पर्याप्त समय दिया जा रहा है। ..(व्यवधान).. विषय वस्तु पर ही बोला जाये। ..(व्यवधान)..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): विषय से बाहर जायें तो आप टोको। ..(व्यवधान).. विषय-वस्तु से बाहर जायें तो रोको। ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः समय सीमा का भी ध्यान रखा जाये। ..(व्यवधान).. देखिये यह व्यवस्था है और इस व्यवस्था को आप नहीं टोक सकते। ..(व्यवधान)..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): विषय वस्तु पर तो आप बोलने दो।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): माननीय सभापति महोदय, आप टाइम बताओ। दस मिनट, पन्द्रह मिनट।

श्री सभापतिः सिर्फ यह बोलना है क्यों परिचालित किया जाना है, इस पर भाषण नहीं कर सकते। ..(व्यवधान)..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वही तो बोल रहे हैं। ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः आप बताइये न।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वही तो बोल रहे हैं। ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः उस पर थोड़े ही बोल रहे हैं। ..(व्यवधान).. हम आपको बोलने दे रहे हैं न। ..(व्यवधान)..आपसे यह नहीं कह रहे कि मत बोलिये। ..(व्यवधान).. आपको पूरा समय दिया जा रहा है। पर समय पर बोलिये और क्यों परिचालित किया जाना है, इस विषय पर बोलिये। आप इतने वरिष्ठ सदस्य होकर .. ..(व्यवधान)..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, इससे पहले मैंने बताया एक-एक बिल पर 20-20 आदमी बोले हैं और कोई ज्यादा नहीं बोलेगा, विषय वस्तु पर तो

अपनी बात बोलेगा। दो मिनट में क्या बात हो सकती है, यह बताओ आप।..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः आसन की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, बोलो आप।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जो विषय वस्तु पर बोलना चाहते हैं, उन्हें बोलने दीजिये, क्या दिक्कत है? ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः आप समय खराब मत करिये। श्री घनश्याम।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मुझे कुछ कहना है। हरिमोहन जी, एक मिनट। मेरा निवेदन यह है बिल कोई भी प्रस्तुत होता है विधान सभा में पास होने के लिये, तो उस पर जनमत जानने के लिये या प्रवर समिति को भेजने के लिये जो संशोधन लगते हैं, उस पर वह क्यों जनमत जानने के लिये भेजना चाह रहा है, यह बोलने का माननीय सदस्य को अधिकार होता है। वह दो-चार मिनट, पांच मिनट, जितना जरूरत लगे बोलना चाहिये, इस पर आपके अधिकार का कोई हनन नहीं करेगा। लेकिन मेरा निवेदन यह था कि यह बिल पास नहीं हो रहा है, बिल वापस लिया जा रहा है और वापस लेने में बहस की कोई ज्यादा गुंजाइश होती नहीं है। फिर भी यदि आपको कोई आपत्ति है तो वह रिकार्ड पर आ जाये। बिल तो वापस होना है, लेकिन इस पर घंटों बहस की कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बिना चर्चा कराये लेना है तो वैसे लेलो। आप तो मालिक हो, आपकी सत्ता है, राज है, जो मर्जी हो, वो करो। यहां क्यों लेकर आये हो, विधान सभा में? अगर बोलने की ही जरूरत नहीं है तो विधान सभा में क्यों लेकर आये? खुद ही कर लेते, क्या बात हो गयी?

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सचेतक महोदय, हर चीज को बन्द करने का प्रयास मत करो, सदन को चलने दो। ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः श्री मनोज कुमार। ..(व्यवधान).. आपकी कोई बात रह गयी तो इनके बाद बुलवा देंगे। बिराजें आप। ..(व्यवधान)..

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के बारे में यह गांधी वाटिका न्यास अधिनियम, 2023 , 22 अगस्त, 2023 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। अगस्त का महीना वापस आया नहीं, उससे पहले ही इस सदन में इसका निरसन विधेयक आ गया। मैं इस कानून बनाने की हमारी जो प्रक्रिया है, इस सदन के 200 माननीय सदस्य जब कोई भी कानून आये, उस कानून की प्रक्रिया में हम सब लोग उस कानून को पास करने के लिये टेबल पीटने और ठोकने का काम करते हैं। इस कानून को बनाने वाले और लिखने वाले, जो हमारे इस राजस्थान प्रदेश के प्रशासनिक और विधिक अधिकारी हैं, वह लिखते हैं। माननीय सदस्य इतना अनभिज्ञ रहते हैं इस कानून में, कि यह कानून क्यों बनाया गया, क्यों बनाना आवश्यक था?

आज भी निरसन के लिये जब यह विधेयक हमारे इस सदन में आया तो आज भी हमारे माननीय सदस्य, सब लोग इसको निरसन करने के लिये तालिया ठोककर इसको पास करने

का काम करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी कानून बने, इस प्रदेश में कानून की जो वैधता है, कानून का जब भी किसी स्थान पर इसका उपयोग करते हैं, एग्जीक्यूट करने वाली जो एजेंसियां हैं, वह एजेंसियां किसी भी कानून को एग्जीक्यूट करते समय हमारे 200 माननीय सदस्यों में से कोई भी सदस्य अगर उनसे बात करता है तो एक शब्द मिलता है कि कानून पास करने वाले आप लोग हो।

इसलिये मैं किसी भी कानून को यहां पास करने से पहले यह चाहता हूं कि हमारा सदन जिस भी कानून को पास करे, हमारे कानून के जानकार, सब्जैक्ट के विषय विशेषज्ञ, विशेषज्ञों की एक टीम हमारा सदन बनाये और हर कानून के बारे में जब भी इस सदन में बनाया जाये तब उसका अध्ययन किया जाये। अच्छी तरह से हम उसका अध्ययन करके जनता पर उस का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जनता को उससे लाभ मिलने वाला क्या है, इस कानून के बारे में हमें ज्ञान करना चाहिये और फिर कानून को सदन में लाकर हमको पास करने की व्यवस्था में घुसना चाहिये।

आज अधिकारियों की इसमें एक लाइन लिखी कि गांधी न्यास वाटिका को हम निरसन इसलिये कर रहे हैं कि हमारे निदेशक महोदय ने या हमारे अधिकारियों ने हमको यह कहा है कि इस बिल की आवश्यकता नहीं है। मान लिया कि आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या हमारा सदन, यह इतना बड़ा सदन हर बार नये कानून यहां प्रस्तुत करेगा और एक साल-छह महीने में हर कानून को अगर वापस लाकर इस सदन का समय जाया करेंगे? क्या हम इन अधिकारियों के बेस पर हमारा कानून चलायेंगे? इसलिये, माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी कानून अगर वापस लिया जाये तो भी जनमत जानकर, जनता के हित को जानकर, जनता की बात को जानकर इस प्रवर समिति को भेजकर हमें इसका अध्ययन जरूर करना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा कानून को सिर्फ जनहित में बनाने की जरूरत रहती है। आम आदमी तक कानूनों की संख्या, निरसन का तो मैं दूसरी तरफ यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में कानूनों की संख्या हजारों की है, जिसका हमारी आम जनता को और हमारे विधायकों को यह पता नहीं कि इस राजस्थान में कितने कानून हैं, कानूनों का नाम क्या है और फिर हम चाहते हैं कि जनता उन कानूनों का पालन करे। मैं कहता हूं कानूनों की संख्या इस राजस्थान प्रदेश में कम की जाये और कानूनों का अध्ययन किया जाये। हर एक शब्द के लिये कानून बनाना, यह भी हमारे लिये एक दुर्भाग्य की बात होगी। जिस कानून का उपयोग करने वाला जो भी अधिकारी बैठा है, हर चीज को वह जानता है, उसके रूल को जानता है, उसके परिपत्र को जानता है। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, दो मिनट और लूंगा। उनके रूल को जानता है, चालीस साल तक उपयोग करता है और हम लोगों को उस कानून की जानकारी नहीं रहती। हमने इस सदन में क्या पास किया, उसमें रूल्स क्या थे, उसकी धारा क्या थी, उसका उपयोग कहां होना था, हम भूल जाते हैं इस सदन में बिल को पास करने के बाद में। इसलिये हमको इस

प्रदेश में छोटी-छोटी बातों पर लाकर जब भी कानून बनाये जायें तो बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है।

इन कानूनों में हमारे पास आई.पी.सी. का बहुत बड़ा था, उसको संशोधन कर दिया। भारतीय न्याय संहिता किया। कभी कभी मैं सोचता हूं बाल न्यायालय, बालक संरक्षण अधिनियम, आपका हर प्रकार से हर शब्द पर हम एक अलग कानून लेकर आना चाहते हैं। पशु क्रूरता अधिनियम, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी भारतीय न्याय संहिता, जिसको अभी केन्द्र सरकार ने संशोधित किया है। कानून बनाने की तीन तरह की प्रक्रिया हमारे पास है। केन्द्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में हम कानून को बनाते हैं। केन्द्र सरकार ने जिस कानून को बना दिया, राज्य सरकार के उस कानून में शामिल होने का राइट राज्य सरकार के पास रहता है। इसलिये राज्य सरकार अपने प्रदेश में किसी प्रकार का उसमें संशोधन करके अपने प्रदेश में अगर लागू करना चाहती है तो कर सकती है। इसलिये जब भी राज्य सूची का कोई शब्द हो और समवर्ती सूची में किसी कानून को हमको बनाना है, हमने बना दिया तो केन्द्र सरकार का जब कानून बन जाता है तो हमारे कानून को लैप्स कर दिया जाता है।

इसलिये, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं इस सदन का समय जब भी कानून बनाया जाये, इस सदन के पूरे सदस्यों में से जो विद्वान हैं, जो जानकार है, जो अच्छे तरीके से ज्ञान रखते हैं, उनको शामिल करते हुए इनको जानना चाहिये और निरसन करने के लिये हम किसी अधिकारियों की बात को या किसी अधिकारी ने इस पर कोई बात लिख दी, उसके लिये हम निरसन करने जायें तो उसको भी हमको अध्ययन करना चाहिये, हमारी टीम को अध्ययन कराना चाहिये और मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कानून को जनमत जानने हेतु जो मेरा प्रस्ताव है, वह भेजा जाये। तीन महीने से पहले इसको निरसन नहीं किया जाये। मेरा यही निवेदन है।

श्री सभापतिः श्री हरिमोहन जी।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): पुनः आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिये आपका आभार और धन्यवाद।

श्री सभापतिः आप नाराज मत हुआ करो बस।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): जो उद्देश्य आपने इसको निरसन करने का लिया है और..(व्यवधान)..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपकी नाराज होने की उम्र नहीं है। ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः हम तो आपकी प्रशंसा करते हैं, माननीय सदस्य, 84 साल की उम्र में आपका हंसता हुआ चेहरा देखकर आनन्द आता है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आप तो, माननीय सभापति महोदय, बोलने की कृपा बनाये रखो। बाकी तो मैं कर लूंगा। ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः खूब बोलो आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): लगता यह है कि जिन उददेश्यों के कारण यह ट्रस्ट बनाया गया था, वह उद्देश्य अलग है और जिन उद्देश्यों के कारण आप इस ट्रस्ट एक्ट को निरसन करना चाहते हो, वह उद्देश्य दूसरा है।

MLS/RTM/30.07.2024/15:20/2l

हमारा उद्देश्य तो व्यापक था और आपका उद्देश्य संकुचित था। एक अधिकारी के निर्णय के हिसाब से आप लेना चाहते हैं। मूल रूप में इसके पीछे जो बात छिपी हुई है, इस सरकार का नेतृत्व करने वालों का गांधीवाद में मन से कोई विश्वास एवं विचार ही नहीं है। अगर गांधीवाद का मन में विश्वास और उनके सिद्धान्तों के प्रति समर्पित भाव होता तो यह निरसन का विधेयक वापस लेने के लिए आप नहीं लाते। मन में कुछ और है। मजबूरी है गांधी का नाम लेना आपके और आपके नेतृत्व के लिए। गांधी जी के नेतृत्व को आप मन से स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

मन में तो आपके असल में गोडसे का विचार बना हुआ है। विचारों की लड़ाई है। हम गांधीवादी विचारों के प्रचार-प्रसार के लिए यह ट्रस्ट बना रहे हैं। आप मूल रूप में छद्म वेश में गोडसे की मानसिकता को अपने दिमाग में रखकर उस गांधीवादी विचार को आगे प्रेषित करना चाहते हैं। गांधीवादी विचारों को लोगों के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाना चाहते हैं। आपको वह अच्छा नहीं लग रहा है। यह तो एक बहाना है अधिकारी का कि आवश्यकता नहीं है इस ट्रस्ट की। साफ प्रमाण है कि +++ अख़बार में छपा है।

श्री सभापतिः इस तरह की टिप्पणी ठीक नहीं है, माननीय।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सभापति महोदय, यह ऑब्जेक्शनेबल है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा आपसे अनुरोध है, कोई भी डिबेट करें, हमें एतराज नहीं है, लेकिन +++ ये इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): यह तो अख़बार में छपा है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अख़बार वाले से पूछें, +++ अख़बार में छपी हुई बात का बयान नहीं किया जा सकता। यह नियमों में, प्रक्रियाओं में है, इन्हें सीखना पड़ेगा आपको। अख़बार में कुछ भी छपा होगा। हमने यह किया है, इसका प्रमाण दे दीजिये आप। यहां लाइये प्रमाण, नहीं तो माफी मांगिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): बात सुनें मेरी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मैंने सद्भावना से प्रतिपक्ष के नेता को निवेदन किया है। ऐसी बातें नहीं करें। नहीं तो लाइये प्रमाण। अगर आप प्रमाण नहीं देंगे तो हम आपको बोलने भी नहीं देंगे। लाइये प्रमाण यहां पर कि +++ लाइये यहां प्रमाण पहले। पहले प्रमाण लाइये यहां। +++ प्रमाण लाइये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मैं सदन में मंत्री जी का नाम नहीं लेना चाहता, मुझसे नाम

मत बुलवाएं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपको जो नाम लेना है, लीजिये। जिसका नाम लेना है, लीजिये, लेकिन यह असत्य नहीं कहिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): फ्रंट पेज पर फोटो आया है, फ्रंट पेज पर फोटो आया है, फ्रंट पेज पर फोटो आया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। आपके जो विचार हैं न, यह विचारों की लड़ाई है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इन्होंने +++ के बारे में जो अपशब्द कहे हैं, इनको विलोपित कीजिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका हो गया।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): अगर आप 400 पार हो जाते न तो इन +++ को भी यहां से निकाल देते। आपकी नीयत गांधीवादी नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह दुर्भावना हमारी नहीं है। यह दुर्भावना आपकी है। आपकी आत्मा बोल रही है। यह आपकी मंशा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आपकी नीयत गांधीवादी नहीं है, इसीलिये आप इसे लाये हैं।

श्री सभापति: आप बिल पर बोलिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, विषय गम्भीर है। विषय राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर का है। परेशानी यह है, आप एक बात का जवाब दे दीजियेगा, गांधी जी के विचारों को प्रसारित करने के लिए जो ट्रस्ट बना है, उसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है? क्या आपके अधिकारी उस ट्रस्ट को चलाते हैं? गांधीवादी विचारों के लोग, गांधी के विचारों से सहमत लोग, गांधी जी की विचारधारा को पूरे राष्ट्र में पहुंचाने वाले लोग, गांधी जी की बात करने वाले लोग, वे तो इस ट्रस्ट को नहीं चला सकते?

एक माननीय सदस्य: गोडसे का नाम भी लिया है।

श्री सभापति: कुछ भी अमर्यादित होगा, विलोपित किया जायेगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): गांधी जी के विचारों को प्रसारित करने के लिए जिन लोगों ने अपना जीवन होम दिया, वे तो इस ट्रस्ट को नहीं चला सकते और वे सरकारी अधिकारी चला देंगे ट्रस्ट, वे इस सम्पत्ति का कर लेंगे? यह जो मानसिक सोच है, आपकी इस सोच की मैं कड़े शब्दों में निन्दा करता हूं। गांधीवाद को अपनाना है तो मन से अपनाएं, मन से अपनाएं। मेरा आरोप है कि आप लोग गोडसे की विचारधारा से प्रभावित होकर गांधीवाद के विचारों को प्रसारित करने से रोक रहे हैं। इसको जनमत जानने के लिए भेजा जाना चाहिये। धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मिर्च जितनी छोटी होती है, उतनी तीखी होती है।

श्री सभापति: श्री कालूराम। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, विराजिये। श्री जुबेर खां।

...(व्यवधान)... बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे गांधी वाटिका न्यास, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2024 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। यह बात सही है कि जितनी जल्दी इस बिल को निरसन करने के लिए विधेयक लाया गया है, यह दर्शाता है कि जो मौजूदा सरकार है राजस्थान में, वह गांधी की विचारधारा में विश्वास नहीं रखती है। एक माननीय सदस्य गोडसे के नाम से उछल रहे थे, क्या इतिहास यह झुठला देगा कि गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी? क्या इतिहास यह झुठला देगा कि आपके लोग जगह-जगह गोडसे का मन्दिर बना रहे हैं? इसलिए जो सच्चाई है, उसे मानिये। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सभापति महोदय, एक तरफ तो दुनिया में गांधी जी पर रिसर्च हो रही है, विश्वविद्यालय बन रहे हैं कि वे कौन-से व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रितानिया हुकूमत जिनके यहां सूरज नहीं डूबता था, उन्हें सत्याग्रह से, नॉन वॉयलेंस से भगा दिया और देश को आजादी दिला दी। दूसरी तरफ गांधी जी थे। क्या फर्क पड़ रहा है, आप इतने ट्रस्ट बना रहे हैं, इतने भवन बना रहे हैं, इतने डिपार्टमेंट बना रहे हैं, अगर गांधी जी के नाम से कोई ट्रस्ट चलेगा तो उसमें आपको आपत्ति कहां है?

यह बात सही है कि आपने 2014 में सत्ता में आते ही गांधी जी को यह पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि गांधी बस सफाई के लिए सिम्बोलाइज करते हैं। यह तो विदेशों में जब गांधी जी के बगैर कोई रेकग्निशन ही नहीं होता, हिन्दुस्तान के किसी भी नेता का या उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों का गांधी जी के बगैर कोई महत्त्व ही नहीं है, तब जाकर आप गांधी जी का नाम लेते हैं।

विदेशों से कोई भी राष्ट्राध्यक्ष या प्रधान मंत्री आता है, सबसे पहले राजघाट जाता है गांधी जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने। हरिमोहन शर्मा जी यह बात सही कह रहे थे, आपकी मजबूरी है, गांधी जी की विचारधारा में आप विश्वास नहीं रखते। सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, सब नोटों पर उनका फोटो है, आप इतनी आसानी से इतनी बड़ी शख्सियत का यहां थोड़ी-सी 15-20 वोटों की मेजोरिटी से लाकर इस बिल को मत हटाइये। इसे जनमत जानने हेतु भेजिये कि जनमत क्या कहता है गांधी जी के बारे में। जनमत आने के बाद में फिर फैसला लीजिये कि इस बिल को चालू रखना है कि निरसन करना है।

मैं लम्बी बात नहीं कहूंगा, यही कहना चाहूंगा कि गांधी जी आपने यहां टांग रखे हैं। कितने ही बिल ऐसे हैं, कितने ही ट्रस्ट ऐसे हैं राजस्थान में, गांधी जी के ट्रस्ट को आप तुरन्त वापस लेना चाहते हैं, यह आपकी नीयत दर्शाता है, लेकिन माफ करना, आपने 400 पार की कोशिश की थी, गांधी जी और अम्बेडकर जी के कामों पर आप जब-जब हमला करने की कोशिश करेंगे, आपको जनता मुंह के बल गिरायेगी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने अभी कहा कि गांधी जी को टांग रखा है। इस शब्द को हटाइये। गलत शब्द है। गांधी जी का अपमान है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नहीं तो क्या बताएं, लगा रखा है न।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): यहां स्थापित किया हुआ है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): तो वही तो कह रहे हैं।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): आपने कहा, टांग रखा है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अच्छा चलें, मैं यह कहता हूं, आप अपने दिल में इन्हें जगह दे दें। अपने दिल पर लगा लें और जो आपके अन्दर धीरे-धीरे गोडसे का अंकुर फूट रहा है, इसे निकाल दें, इसे जनमत जानने के लिए भेज दें। सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

mkd/rtm/30.07.2024/15:30/2m

श्री सभापति: श्री कालीचरण सर्राफ जी।

प्रश्न यह है कि गांधी वाटिका न्यास, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2024 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि गांधी वाटिका न्यास, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2024 को विचारार्थ लाया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लाया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2. कोई संशोधन नहीं?

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

सुमित गोदारा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि गांधी वाटिका न्यास, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2024 को पारित किया जाये।

श्री सभापति: श्री गोपाल शर्मा। पहले, मंत्री जी, आप बोलिये। माननीय सदस्य, आप पहले बैठिये।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सभापति जी, गांधी वाटिका न्यास, जो राज्य सरकार द्वारा गांधी दर्शन संग्रहालय के संचालन हेतु गांधी वाटिका न्यास, जयपुर अधिनियम, 2023 विधान सभा में पारित किया गया था, 22.08.2023 को, उक्त अधिनियम की जो धाराएं थीं, उसमें ट्रस्ट के सदस्यों को असीमित वित्तीय शक्तियां प्रदान की गईं तथा अधिनियम की धारा 15 (ख) के अनुसार न्यास से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का स्थावर सम्पत्तियों को विक्रय, बंधक या निपटान करना तथा अधिनियम धारा 15 (च) के अनुसार साधारणतया न्यास की निधि में वृद्धि के मद या न्यास में..

श्री सभापति: माननीय मंत्री, आप उत्तर बाद में देना, पारित।

विधेयक का पारण

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि गांधी वाटिका न्यास, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2024 को पारित किया जाये।

श्री सभापति: विराजिये। श्री गोपाल शर्मा।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): माननीय सभापति महोदय, मैं पहली बार निर्वाचित होकर के आया हूं और किसी की भावना को आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं इस हकीकत से सबको वाकिफ करवाना चाहता हूं कि यह एक जमीन से जुड़ा विषय है। उस जमीन पर श्रीमती इन्दिरा गांधी जी भी आई थीं, सोनिया जी भी आई थीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आये थे, वहां से भैरोंसिंह जी शेखावत जी ने भी टिकटें बांटी हैं और अशोक गहलोत जी ने भी टिकटें बांटी हैं।

जब वे टिकटें बंट रही थीं, तब से उस जगह के ऊपर एक निगाह थी। महात्मा गांधी जी का जब डेढ़ सौ वां साल आया तो उस समय सरकार की स्थिति यह थी कि बिडला ऑडोटोरियम के अन्दर राजस्थान के सभी स्वतंत्रता सेनानी बैठे हुए थे, जलियावाला बाग़ के सभी स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार बैठे हुए थे, तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष श्री सी.पी. जोशी जी अध्यक्षता कर रहे थे, पद्म भूषण डी.आर. मेहता जी वहां मौजूद थे, लेकिन एक व्यक्ति समय देने के बाद नहीं आये, उनका नाम नहीं लेकर मैं कहूंगा वे तत्कालीन मुख्य मंत्री जी थे। ये है, गांधी जी से लगाव।

मैंने इस बात का निवेदन किया माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों को.. एक मिनट क्या बीच में बोलते हो हमेशा, आदत पड़ गई है क्या। क्या आदत पड़ गई है, हमेशा। मैं कह रहा हूं मैं नाम नहीं ले रहा हूं। आप मेरा समय मत खराब करिये। इनके डाटा लगाइये, इनके डाटा लगाइये। क्या हमेशा खड़े हो जाते हैं, न कोई ज्ञान, न कोई पढ़ाई, न कोई बात। बोल रहा हूं उसी पर। जमीन का मामला है, ये जो बिल है, जमीन का मामला था, आप पहली मेरी बात सुनिये, पहले बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या बैठिये। बिल पर आइये। आप बिल पर आइये।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): पहले 100 करोड़ की योजना अशोक गहलोत जी चाहते थे कि महात्मा गांधी जी के विचारों के लिए लगाये जाये, यह उनके दिल की भावना थी। अगर राजस्थान के अन्दर पहले नम्बर का कोई गांधीवादी है तो श्रीमान अशोक गहलोत जी हैं। इसको मैं जानता हूं, 40 साल से, जब आपका परिचय नहीं रहा होगा।

दूसरी बात, लेकिन कुछ लोगों की निगाहें थीं, जैसे राजीव गांधी फाउंडेशन हुआ, इन्दिरा गांधी मेमोरियल हुआ, उस तरह से इस ट्रस्ट का नाम लाभ कैसे लिया जाये।

सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि 2019 में महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्म जयन्ती आई, फिर 2023 तक इन्तजार किस बात का था? क्यों बनाया गया वाटिका न्याय 2023 में? क्योंकि कुछ लोगों को भविष्य में पैसे की लालच के अन्दर जीभ लपलपा रही थी। मैं कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाया गया, कुमार प्रशान्त को, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है। मैं ट्रस्ट की बात कर रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): रफीक जी, डिस्टर्ब नहीं। जब ऐसा चल रहा हो तो नहीं आना चाहिए। प्रशान्त कुमार जी इस हाउस के सदस्य हैं क्या?

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): माननीय सभापति महोदय, संरक्षण दीजिये, संरक्षण दीजिये। नाम हटा दीजिये, नाम हटा दीजिये। मैं कह रहा हूं नाम हटा दीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये नाम ले रहे हैं, आप एक्सपंज कराइये।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): कुमार प्रशान्त का नाम हटा दीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, नाम एक्सपंज कराइये।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): राजीव फाउंडेशन है, दर्ज है, रिकॉर्ड पर है। इन्दिरा मेमोरियल रिकॉर्ड पर है। आप कहां से मिटा सकते हो। जब हम कहते हैं कि इन्दिरा गांधी की नेतृत्व में पाकिस्तान लड़कर क जीते, तब आपत्ति नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): +++ हाउस को चलाना है क्या।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न भी है, यह पारण की स्टेज है। अब वे बोलेंगे जो इसको पारित नहीं कराना चाहते, अगर ये पारित नहीं कराना चाहते हैं तो इनका अंकित हो और ये इसको पारित, यानी इस बिल को रोकना चाहते हैं तो फिर इनका अंकित करवा लो।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): मैं दो मिनट में बात खत्म करूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ये हमारे पक्ष में हैं तो ये बोला जाये। ये विपक्ष में है तो इनका हटा जाये, अंकित नहीं होना चाहिए। पारित की स्टेज पर ये नहीं बोल सकते, अगर आप रूकवाना चाहते हैं तो बोलिये, नो प्रोब्लम।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): दो मिनट में शांतिपूर्वक बात खत्म कर दूंगा, कोई आपत्ति नहीं होगी। सिर्फ दो मिनट, बस खत्म कर दूंगा। प्रतिपक्ष के माननीय विद्वान सदस्यों की भावना को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): संसदीय कार्य मंत्री महोदय, क्यों इस विधान सभा की गरिमा को आप कहां पहुंचाना चाहते हो।

श्री सभापति: श्री टीकाराम जूली।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, गांधी वाटिका म्यूजियम को लेकर जिस प्रकार से सरकार इस बिल को वापस लेना चाहती है, वापस ही चाह रही है। मैं मंशा जानना चाहता हूं कि आप लोग गांधी वाटिका ट्रस्ट को चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते हैं? गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बढ़ाना चाहते हैं?

अभी जो माननीय सदस्य जिस प्रकार से इस पूरे सदन में सनसनी लेकर आये ना कि जमीन का मामला है, उस ट्रस्ट के अध्यक्ष मुख्य मंत्री जी हैं, जो आज की तारीख में है। यह आपकी जानकारी में आ जाना चाहिए। ये ट्रस्ट गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, आज पूरी दुनिया के लोग, देश के लोग जयपुर के अन्दर आते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, इतनी अच्छी खूबसूरत जगह, ऐतिहासिक पूरे देश का पहला गांधी म्यूजियम जो बना।

Bhs/Rtm/30.7.24/15.40/2n

हमें गर्व होना चाहिये इस चीज का और आप लोग उसको भंग करके क्या चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार यह बतायें कि आप इस ट्रस्ट को जारी रखना चाहते हैं या इसको भंग करना चाहते हैं? गांधी जी के नाम पर पूरे देश में सबसे पहले शान्ति एवं अहिंसा निदेशालय विभाग जो बनाया गया वह राजस्थान में बनाया उसको आप जारी रखना चाहते हैं या बन्द करना चाहते हैं? यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, गांधी जी की जो अवधारणा थी कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो और अगर आपने यह किया कि कोई आपकी एक आँख फोड़े तो आप उसकी दोनों फोड़ तो फिर यह संसार अंधा हो जायेगा। यह धारणा गांधी जी की थी। आज अहिंसा का क्या स्थान पूरे समाज में आ रहा है, हमने कभी अपने अन्दर झांक कर नहीं देखा होगा। आज कई देशों में लड़ाइयां चल रही हैं। आज की तारीख में भी दुनिया के अन्दर बम गोले गिराये जा रहे हैं। दुनिया देख रही है गांधी जी की विचारधारा को, उन गांधी जी को देख रही है जो गांधी जी जब इंग्लैंड में गये तो वहां के राजा पंचम थे उन्होंने कहा कि एक इंडिया का इतना बड़ा नेता धोती पहन कर आया है, तो गांधी जी ने कहा था कि हमारे कपड़े तो आप चुरा लाये, हमारे चुराये हुए पैसे से यह सूट-बूट लगा कर आप बैठो हो इसलिये मुझे धोती पहननी पड़ रही है। एक वह विचारधारा... ।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाइंस): पंचम से गांधीजी कभी मिले ही नहीं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप बैठो। मिले। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। आप मेरे बाद बोलो तब जवाब दे देना। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजिये। आप भी विराजें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): क्या आप लोगों ने..., 1931 के अन्दर, यह अपना ज्ञान आप दुरुस्त कर लेना 1931 के अन्दर जार्ज पंचम से मिलने गये गांधी जी, आप अपना ज्ञान दुरुस्त कर लेना। आप यह यहां पर इस प्रकार से जो ज्यादा ज्ञान का भंडार है न उसको अपने पास ही रखो। कई बार कोई ज्यादा चीजें गलत भी निकल जाती हैं इसलिये ...(व्यवधान)...

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाइंस): चिट्ठी लिखी है उसका जवाब दीजिये। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं दे दूंगा जवाब। आपकी विचारधारा, आप गांधी जी से पैर छुआ रहे हो, जिसके चरणों में पूरी दुनिया नमन करती है आप कहते हो कि गांधी जी ने पैर छुए थे। शर्म आती है, घिन आती है आपकी सोच के ऊपर कि आज गांधी जी को जिस प्रकार से आप लोग झाड़ू पर गांधी जी को चाहते हैं और गांधी जी की विचारधारा को मारना चाहते हैं।

मैं कहना चाहूंगा, माननीय सभापति जी, आज यह बात साबित होनी चाहिये इस सदन में कि सरकार की मंशा क्या है, गांधी जी के विचारों को चाहते हैं या गोडसे के विचारों को चाहते हैं? यह बात यह सदन और पूरा राजस्थान जानना चाहता है और अगर आप लोग इस बात से नहीं जुड़ते तो भेज दीजिये न जनमत जानने के लिए। भेजिये राजस्थान के अन्दर जनता के बीच में, आपको पता चल जायेगा कि जनता इस ट्रस्ट को, इस बिल को जारी रखना चाहती है या बन्द करना चाहती है। राजस्थान सरकार बनने के बाद में इस सदन में पहला बिल आया है और पहला बिल गांधी वाटिका को निरस्त करने का। कोई बिल लेकर आते इस प्रदेश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए तो समझ में आता, आज आपकी जो मंशा है वो आपकी साफ झलक रही है। मैं पुरजोर शब्दों में इसकी निन्दा करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि इसको पारित नहीं किया जाये और इसको वापस किया जाये। यही कहता हूं। धन्यवाद।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इसको जनमत के लिए वापस भेज दो। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप विराजिये। श्री रफीक खान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे गांधी वाटिका न्यास, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2024 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, 'वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीड़ पराई जाणे रे।' महात्मा गांधी आपकी कुर्सी के पीछे, हम सब जब इस सदन में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहली नजर अगर किसी पर जाती है तो महात्मा गांधी की तस्वीर जो आपके पीछे लगी हुई है उस पर जाती है और यह प्रेरणा देती है कि जिनसे देश को आजादी मिली, हम सब जब सदन में घुसें तो यह प्रेरणा लेकर घुसें और वहां आपके पीछे लिखा है कि यहां न बोलना भी पाप है और असत्य बोलना भी पाप है। तो ऐसे सदन के अन्दर जहां हम महात्मा गांधी को एक विचारक के रूप में, एक आदर्श के रूप में देखते हैं और उन्हीं के लिए बनाई गई उन्हीं की बात को फैलाने

के लिए एक ऐसा म्यूजियम बनाया मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने जो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाये।

मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि करीब बीस साल पहले मैं लैटिन अमेरिका की एक छोटी सी कंट्री है उरुग्वे, मांटी विडियो शहर के अन्दर मैं बीच पर टहल रहा था और बीच के चारों तरफ किनारे के ऊपर हर सौ-सौ मीटर के ऊपर महापुरुषों की फोटो लगी हुई थी और मेरे को दूर से लगा कि यह एक प्रतिमा ऐसी लगती है जो महात्मा गांधी जैसी है। सभापति महोदय, मैं नजदीक गया तो मुझे बेहद खुशी हुई कि महात्मा गांधी की तस्वीर यहां ही नहीं लैटिन अमेरिका की एक कंट्री के बीच पर लगी हुई है, ऐसी शख्सीयत को हम मिटा देना चाहते हैं।

अभी ये सवाल कर रहे थे बहुत जोर-जोर से, मैं संसदीय कार्य मंत्री और सीनियर विधायकों से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपने विधायकों को, जब हम पहली बार आये थे तो हम अपने सीनियर से तो सबक लेते ही लेते थे हम राजेन्द्र राठौड़ जी से भी सबके लेते थे, उनको समझाओ कि जब नेता, प्रतिपक्ष बोलते हैं तो बीच में नहीं बोला जाता।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने सवाल तो बहुत खड़े कर दिये, एक सवाल का जवाब दे देना कि आप गांधीज्म को फॉलो करते हो या नाथूराम गोडसे की विचारधारा को फॉलो करते हो? वह बता देना आपका नम्बर आये तब। यह बता देना दोनों में से कौनसी विचारधारा को फॉलो करते हो? दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाओगे। ...(व्यवधान)...

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाइंस): आप मेरे सवाल का जवाब दो ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आपका नम्बर आये तब बता देना। आपने नम्बर का चांस खो दिया। अभी आप जब बोल रहे थे तो हमारी तरफ से बोलना था आपको। आपको अंदाजा नहीं था कि कब बोलना है। आपको इस बात का अंदाजा नहीं था कि कब बोलना है। आप बोलते पहले लेकिन पहले आप बोले नहीं। आपसे चूक हो गई और बाद में आप बोल रहे हो और उलटा बोल रहे हो। आप बाद में बोल रहे हो तो इसका मतलब हमारी तरफ से बोल रहे हो। तो बहरहाल मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो भी शख्स बोल रहे हैं और जितने भी बोले हैं और पूरे सत्ता पक्ष के साथी यह बता दें कि ये नाथू राम गोडसे की विचारधारा को फॉलो करते हैं या महात्मा गांधी की विचारधारा को फॉलो करते हैं? ...(व्यवधान)... आप बता देना इन दोनों बातों में से।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, आई एम ऑन ए पाइंट ऑफ ऑर्डर। विराजिये। इस सदन को मिसलीड किया जा रहा है। विचाराधीन है गांधी वाटिका न्यास, गाँधी जी नहीं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): उसी पर आ रहे हैं, गांधी विचारधारा पर ही बात कर रहे हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): और गांधी जी के नाम पर किसी ने एक जो

न्यास बनाया है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): गांधी जी की विचारधारा पर ही बात कर रहे हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): आप बीच में मत बोलिये। मैं आसन को सम्बोधित कर रहा हूं आप बैठिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): एक मिनट मेरी बात सुनो। क्या आप अपने साथी को बोले थे जब नेता, प्रतिपक्ष बोल रहे थे? क्या आप अपने साथी को बोल पाये? मैं तो बैठूंगा। मैं बैठूंगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): प्रश्न यह है कि एक कोई ट्रस्ट बना था ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: एक सेकंड, आप अपनी बात कहना। आप विराजिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, प्रश्न यह विचाराधीन नहीं है कि गांधी जी के नाम पर कोई स्मारक बनाया जाये या उसको रोका जाये प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि कुछ लोगों ने मिल कर एक गांधी वाटिका न्यास बनाया होगा, उसके लिए उन्होंने उसको चलाने के लिए कोई बेशकीमती जमीन मांग ली होगी और उस सबको लेकर आगे क्या-क्या उनका प्लानिंग था वो ईश्वर जाने लेकिन विचार सिर्फ गांधी वाटिका न्यास पर हो रहा है गांधी जी पर नहीं हो रहा है, आप गांधी और गोडसे को बीच में लाकर सदन को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान की जनता की को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी मैं निन्दा करता हूं। सभापति महोदय, इस सबको रोका जाये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपको पूरी जानकारी नहीं है यह न्यास वही है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सब पता है मुझे, आप ही ज्ञान के भण्डार नहीं हो। हमको भी पता है। मैं भी वाकिफ हूं मुझे भी पता है आप क्या कर रहे हो इतना मुझे पता है।

श्री सभापति: आप ट्रस्ट पर बात करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): यह न्यास क्या करने वाला था वो भी हमको पता है।

श्री सभापति: विराजिये। माननीय सदस्य, अपनी बात आप ट्रस्ट पर करें न कि विचारधारा वाला विषय नहीं है अभी यहां।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, मैं तो सिर्फ गांधी जी से बाहर आ ही नहीं रहा हूं और अफसोस की बात यह है कि कोई भी विधेयक पढ़ कर नहीं आये और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं कि जयपुर में यह जो म्युजियम बना और अभी हमारे साथी बोल रहे थे और यह कह रहे थे बूंदी से आने वाले साथी कि गांधी की विचारधारा और गांधी के बारे में बताने के लिए जब आप किसी अधिकारी को बीच में इन्वोल्व कर लोगे तो अधिकारी उस पर नहीं कर पायेगा, जो गांधी विचारधारा के आदमी हैं जो गांधीज्म को फॉलो करने वाले आदमी हैं वो ही उनकी विचारधारा को आगे लेकर जा सकते हैं।

Kas/rtm/30.07.2024/15.50/2o

मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह कर अपनी बात खतम करना चाहता हूं कि आप लोग कोई भी समाज को दिशा देने से पहले, जिस आदमी ने खाली हिन्दुस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया को मैसेज दिया और यह मैसेज दिया कि जंग के बगैर भी आजादी ली जा सकती है, लड़ाई के बगैर भी आजादी ली जा सकती है। ...(व्यवधान)... वाटिका की ही बात कर रहा हूं। उनके मैसेज हैं वाटिका में। ...(व्यवधान)... मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सभापति महोदय, गांधी वाटिका न्यास, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2024 पर काफी वक्ताओं ने बात रखी। मुझे सबसे पहले तो यह बताते हुए गर्व होता है, सारे भारतीयों को होता हैं कि दुनिया में कहीं भी अहिंसा की बात चलती है, अहिंसा के पुजारी के रूप में किसी को पूजा जाता है, तो वह महात्मा गांधी को पूजा जाता है, पूरे भारत देश को पूजा जाता है। उसमें भारत देश के पूरे 140 करोड़ लोगों की पूरे विश्व में प्रशंसा होती है, तो हम सबकी प्रशंसा होती है। यह बात कुछ वक्ताओं ने कहा कि गांधी जी की बात का हमारे ऊपर या आपके ऊपर नहीं, गांधी जी पूरे देश के थे, पूरे विश्व के थे, पूरा विश्व गांधी जी को मानता है, हर भारतीय मानता है। हम तो और ज्यादा मानते हैं, क्योंकि गांधी जी ने जब कहा कि देश में स्वच्छता लाओ, आजादी के बाद अगर स्वच्छता मिशन किसी ने चलाया, तो वह भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने चलाया। गांधी जी ने कहा कि देश से गरीबी हटाओ, मैं देखना चाहता हूं भारत गरीबी से मुक्त हो। दूसरे लोग ऐसे थे, जिन्होंने 40 साल तक नारा दिया देश का हाथ गरीब के साथ, गरीबी हटाओ, देश बचाओ। नारे दिये, लेकिन काम कुछ नहीं किया। इस देश में जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी बने तो उन्होंने गरीबी हटाने का काम शुरू किया और अब प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी बने, वह विकसित भारत की तरफ लेकर जा रहे हैं। गांधी जी ने जो सपना दिया कि भारत विकसित बनेगा, वह सपना साकार नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं।

अभी कुछ साथी गांधी जी की प्रशंसा कर रहे थे, हम भी सब गर्व से करते हैं, पर जब गांधी जी ने कहा कि देश आजाद हो चुका है, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को डिजॉल्व कर देना चाहिये, आपमें से कितनों ने वह बात मानी? वोटों की खातिर आज भी कांग्रेस करते गये। यदि गांधी जी के सच्चे अनुयायी होते तो गांधी जी ने आजादी पर जो बात कही थी, उस बात का अनुसरण करते और राजनीति नहीं करके उनका वास्तव में मान-सम्मान करते। यह भारतीय जनता पार्टी है, जिसने हमेशा आजादी के लिये संघर्ष किया। सरदार पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाई तो वह भारतीय जनता पार्टी ने बनाकर महापुरुषों को याद किया।

माननीय सभापति महोदय, हम जो यह गांधी वाटिका न्यास का निरसन कर रहे हैं, इसमें जिन्होंने बोला है, ज्यादातर ने इसको पढ़ा ही नहीं। नेता, प्रतिपक्ष बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े

विद्वान हैं, पर वह इसके बारे में कुछ बोले ही नहीं। वह कह रहे हैं कि हम गांधी जी के विचारों को रोकना चाह रहे हैं। साहब, हम तो वह पार्टी हैं, जो इतने लार्ज स्केल पर काम करते हैं कि दुनिया याद करती है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लोग दर्शन करने जा रहे हैं। हम जयपुर में इतना शानदार प्रबंधन करेंगे कि जो भी जयपुर आयेगा, वह उस गांधी वाटिका को देखने जायेगा, इसीलिए हम यह अधिनियम लेकर आये हैं।

आप यह अधिनियम लेकर आये, आपने क्या किया? नेता, प्रतिपक्ष महोदय, अधिनियम में उपाध्यक्ष को आपने असीमित शक्तियां दे दीं कि अध्यक्ष भी किसी को हटायेगा तो उपाध्यक्ष के परामर्श से। यह कहां का नियम है कि अध्यक्ष भी किसी को हटायेगा तो उपाध्यक्ष के परामर्श से? ...(व्यवधान)... आप सुनिए। माननीय सभापति महोदय, धारा 7 (2) में यह है।

सभापति महोदय, दूसरा, 15 (ख) के तहत सम्पत्ति को डिस्पोज करने का भी ट्रस्ट को पावर है। इस ट्रस्ट को पावर दिया गया कि वह गिरवी भी रख सकता है, बेच भी सकता है 15 (ख) के अनुसार। आप गांधी जी के विचारों के प्रसार की बात रख रहे हो। यह अधिनियम बनने से यह म्यूजियम इतना प्रचार में जायेगा कि आप भी मानोगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम किया है। इस एक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि उपाध्यक्ष यदि किसी डिसक्वालिफिकेशन से ग्रस्त हो जाता है, दोष सिद्ध हो जाता है तो उसे हटाया जा सके, उपाध्यक्ष को आप नहीं हटा सकते, ऐसे अधिनियम आप लेकर आये।

3 अक्टूबर, 2023 को न्यास बना और मुझे बताते हुए अफसोस होता है कि आपने न्यास की एक भी बैठक आयोजित नहीं की। न्यास को बैठक आयोजित करने से किसने रोका था? आपने बनाया तो आप बैठक आयोजित करते जिसमें आपके द्वारा मनोनयन था। कहीं रुचि नहीं थी।

मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि गांधी वाटिका म्यूजियम में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया। 85 करोड़ से जेडीए ने बनाया और अभी भी जेडीए ही इसका रख-रखाव कर रहा है। आपने बनाया, इतना समय ट्रस्ट रहा, जयपुर में आने वाले लोग जाकर उस ट्रस्ट को देखते, उस वाटिका को, गांधी जी के विचारों को जानते, प्रचार-प्रसार होता, पर आपने उस वाटिका को खोला ही नहीं, कौन दोषी हैं बताओ? हमारा प्रयास है कि यह बेहतरीन चले, इसके लिये ही हम यह निरसन का लेकर आये हैं, ताकि यह ट्रस्ट हटे। जितने भी वाटिका संग्राहलय हैं, उनका राज्य में कहीं भी न्यास का गठन नहीं किया गया, तो ऐसे न्यास के गठन की क्या आवश्यकता थी? पूरे भारत में कहीं न्यास गठन नहीं किया गया। न्यास द्वारा गांधी म्यूजियम के संचालन के लिये भी कोई कार्य नहीं किया गया। इसलिए गांधी वाटिका न्यास की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। 3 अक्टूबर को नामित करने के बावजूद भी ट्रस्ट के किसी सदस्य ने ज्वाइन नहीं किया। महात्मा गांधी जी की शिक्षा और दर्शन के प्रचार-प्रसार में यह विलंब उचित नहीं है। इसको जनमत जानने के लिये भेजने का अर्थ है कि म्यूजियम का रख-रखाव व शिक्षा और प्रसार में और देरी। अत: जनमत जानने

के लिये भेजने का प्रस्ताव अस्वीकार करें।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि गांधी वाटिका न्यास, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2024 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

गांधी वाटिका न्यास, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2024 पारित किया जाता है।

श्री गजेन्द्र सिंह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 पर विचार हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

विभिन्न विषयों पर विचार

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन

(वर्ष2023-24) पर विचार

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 पर विचार किया जाये।

श्री सभापति: श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): गुरुदेव नाराज मत होना, लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल रखना।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मेरी इच्छा यह है कि जन सेवा करते-करते अगर यहां भी मेरे 100 वर्ष पूरे हो जाये तो मेरा सौभाग्य होगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सौ वर्ष नहीं, 105 वर्ष।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मैं तो मेरी इच्छा बता रहा हूं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): हरिमोहन जी, जो तनख्वाह बढ़ी है, वह इलाज में नहीं डालनी पड़ जाये।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, मैं इनको बहुत पुराने समय से जानता हूं, यह ऊपर से नाराज होते हैं, अन्दर से नाराज नहीं होते।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हरिमोहन जी, यह आप इसलिए कह रहे हो कि 100 वर्ष पूरे हो जाये, 15 वर्ष एमएलए और रहना चाह रहे हो आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): यह समय है, न पैदा होने की जानकारी है, न मरने की जानकारी है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सभापति महोदय, मुझे दो घंटे का समय दिया गया था, थोड़ा समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं पहले स्टेटमैंट दे दूं फिर आप बोल लेना।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अभी हमारे माननीय सदस्य आ जाये फिर दे देना।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ठीक है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): सभापति महोदय, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान में हर नागरिक को कुछ अधिकार

दिये हुए हैं और उन मूल अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो, उन अधिकारों पर कोई चोट पहुंचाये, अधिकारों को कोई नुकसान पहुंचाये, अनधिकृत चेष्टा करके संविधान द्वारा दिये गये हमारे अधिकारों को कोई छीने, उसके लिये 1993 में पार्लियामेंट ने एक विधेयक पेश किया और उसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 बनाया गया। इसके बाद राजस्थान में पहला मानव अधिकार आयोग 2000 में बना और अशोक जी गहलोत की सरकार में यह बना कि राजस्थान के लोगों की राजस्थान के हाई कोर्ट में भी इस प्रकार के अधिकारों की सुरक्षा की जाये।

msk/rtm/30.07.2024/16.00/2p

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हालात इतने खराब हैं कि हम हमारे अधिकारों की रक्षा करने में भी विफल हो जाते हैं। जो सबसे बड़ा काम है, मानव अधिकार आयोग को 2023 में लगभग 5 हजार के आसपास शिकायतें प्राप्त हुईं, उनमें से लगभग 3 हजार के आसपास की शिकायतों का उन्होंने निराकरण किया। सबसे अधिक आयी हैं गृह विभाग की, पुलिस की जो प्रताड़ना की जा रही है, जिस प्रकार के हालात हैं, आप इसको उस दृष्टिकोण से मत लेना, मिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर कि मैं मेरे टाइम की बात कर रहा हूं या आपके टाइम की बात कर रहा हूं। मैं वह बात कर रहा हूं, जिससे आप वकील होने के नाते आप खुद भी प्रताडित हो कि पुलिस किस प्रकार के कारनामे करती है। चाहे राज आपका हो, चाहे राज हमारा हो, चाहे चार्ज गजेन्द्र सिंह जी के पास हो, चाहे चार्ज धारीवाल जी के पास हो। पुलिस की अपनी कार्यशैली है। अपने काम करने का तरीका है। मैं प्रतिशोध की जो भावना है। आपस में, आपके और हमारे जो प्रतिशोध की भावना है, वह भी मानव अधिकारों का हनन करती है। मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण बून्दी का देना चाहता हूं। बून्दी में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष +++ हैं। +++ के यहां परसों के दिन उनके होटल में, क्योंकि इस चुनाव में थोड़ा-सा राजनीतिक वातावरण था, परिप्रेक्ष्य कोटा में बदल गया है।

श्री सभापतिः देखिये, माननीय सदस्य, आप विषय-वस्तु पर अपनी बात रखें। ऐसी बातों पर न जायें कि किसके ऊपर क्या मुकदमा है और पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है, वह अलग विषय है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मेरी बात सुनो, आप मुझे बोलने से नहीं रोक सकते।

श्री सभापतिः मैं रोक नहीं रहा, पर इन मर्यादाओं का भी ध्यान रखा जाये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मैं प्रमाण दूंगा। यह नहीं। माफ करना।...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः देखिये, यह गलत है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माफ करना। आप बात सुनो। उस आदमी के साथ में ज्यादती हुई है। उसके मानव अधिकारों का हनन हुआ है और मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री सभापतिः नहीं, यह गलत है। ये नहीं है। आप मानवाधिकार पर अपनी बात रखिये। आप व्यक्तिगत कोई चीज नहीं लेकर आयेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आप बात सुनिये। मानव अधिकारों का हनन हुआ है। मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं।?

श्री सभापतिः इस तरह से आप व्यक्तिगत मुकदमे बता रहे हैं, क्या आप उनकी पुष्टि कर सकेंगे? पुष्टि करेंगे आप? आपको यहां पुष्टि करनी पड़ेगी।...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): हां, पुष्टि, पुष्टि करनी पड़ेगी। यह पहला अवसर है, जब कोई सभापति किसी के बोलने पर पुष्टि मांग रहा है।...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः नहीं, आप किसी व्यक्तिगत के मुकदमे की बात कर रहे हैं। आप मानवाधिकार का विषय रखिये।...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): यह पहला अवसर है, क्योंकि आप कोटा के हैं और आप जानते हैं कि इस राजनीति की परिस्थिति में कोटा का जानते हैं। यह क्या बात हुई?

श्री सभापतिः यह आप मानवाधिकार पर बोल रहे हैं? व्यक्तिगत मुकदमे में आप क्या गिना रहे हैं? आप फिर पुष्टि करके लाइये। यहां सदन पर रखिये, टेबल पर करिये। ऐसे नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): यह क्या बात हुई? ऐसे थोड़े ही होता है।

श्री सभापतिः ऐसे ही होता है।...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आपका इंटरेस्ट है क्या? इस न्यूज में आपका इंटरेस्ट है, बोलो।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप मानवाधिकार पर अपनी बात कहिये, आप वरिष्ठ सदस्य हैं।...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मेरा इंटरेस्ट है, आप मत बोलो। आपका बोलो। हमारा स्तर कहां तक पहुंच गया। होटल में कि छोटी उम्र के बच्चे काम करते हैं। इसकी रिपोर्ट लेने के लिए अपना जो अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, उसके पास पुलिस वाले गये। जाकर कहा कि हमको यह कागज बना दें कि इस होटल में नाबालिग बच्चों से काम लिया जा रहा है और पुलिस की मदद चाहिए। जबकि वह खुद, वह डिपार्टमेंट खुद, जहां नाबालिग बच्चे काम करते हैं, वह डिपार्टमेंट खुद एक्शन लेता है। उनसे रिपोर्ट बनवायी। आप किस्सा सुनिये। उस होटल पर नाबालिग बच्चों की तलाश करने के लिए सिटी कोतवाल बून्दी, दमाना का थानेदार, तालेड़ा का थानेदार, चार-चार थानेदार बीस-बीस आदमी लेकर उस नाबालिग बच्चे को वहां होटल में तलाश करने के लिए गये। फिर नहीं मिले, बाहर आये, फिर फोन आया कि फलां कमरा देखो, फिर आये, फिर फलां कमरा देखा, फिर वापस आये, फिर कहा कि ऊपर का कमरा देखा। पुलिस के चार-चार थानेदार, पुलिस कांस्टेबल के 20 आदमी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष +++ के यहां केवल इसलिए गये कि इस चुनाव में राजनीतिक मतभेद पैदा हो गये।

श्री सभापतिः ये मानव अधिकार पर चर्चा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं?

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आप मानव अधिकार की बात करते हैं, आपका मानव अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व है। जो सरकार और जो राजनीतिक दल थोड़ी-सी

भिन्नता होते ही अपने कार्यकर्ता, अपने जिला अध्यक्ष के साथ, अपने जिम्मेदार लोगों के साथ इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही करे तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। मेरा निवेदन है कि आप और हम भाई हैं। प्रतिशोध की भावना नहीं चलेंगे। प्रतिशोध की भावना, आप और हम यहां बैठे हैं। मान्यवर, आप प्रतिशोध की भावना कर रहे हैं, मानव अधिकारों के आधार पर।

श्री सभापतिः यह कोई विषय नहीं है, आप पर्ची पर इसे लायें, अभी आप मानवाधिकार पर बोलिये कि इसमें क्या संशोधन हो सकता है, क्या किया जा सकता है?

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मानव अधिकारों के आधार पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी का चार्ज आपके पास है। कम से कम हमारी रक्षा नहीं कर सको, हमारे साथ प्रतिशोध करो, तो अपने आदमियों के लिए, जिनके लिए कुर्बानी की है, खाली एक ही दोष है कि वह वसुंधरा जी के साथ रहा है। उस आदमी का एक दोष है। मैं यह रिकॉर्ड पर कह रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिशोध से भावना से यह किया गया है। यह मानव अधिकारों की रक्षा करने का.. ...(व्यवधान)...

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य विषय से भटक रहे हैं। हरिमोहन जी, आप जैसे वरिष्ठ सदस्य..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इसे डिलीट किया जाये।

श्री सभापतिः डिलीट किया जाये। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप विवाद का विषय नहीं बनायें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): आप विषय पर आइये ना। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, व्यक्तिगत नहीं, आप मानव अधिकार की बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान)... आपको मानव अधिकार के विषय में अपने जो भी विचार रखने हैं, आप वह विचार रखिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः इस तरीके से नहीं, आप मुकदमे बता रहे हैं।...(व्यवधान)... आप इधर-उधर न भटकें, यह तरीका गलत है। आप मानवाधिकार पर बोलिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आप कोटा से हैं, इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): इससे क्या फर्क पड़ता है? बार-बार आसन पर क्यों अंगुली अटैक कर रहे हैं।

श्री सभापतिः सदन में चाहे वह सीकर का विषय हो, आपके लिए कोई कहेगा तो भी मैं टोकूंगा। मानव अधिकार आयोग पर कहें ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या वसुंधरा जी इस हाउस की मेम्बर नहीं हैं?

श्री सभापतिः हैं तो, मानव अधिकार आयोग पर अपने विचार रखिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): यह मानव अधिकार है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): प्रतिवेदन से इसका क्या सम्बन्ध है?

श्री सभापति: कोई अंकित नहीं होगा, श्री अतुल भंसाली।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हम हाउस में मानव आधिकार आयोग रिपोर्ट 2023-24 पर डिसकस कर रहे हैं। रिपोर्ट में जो कुछ भी है, उसके बारे में आप अपना वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सदस्य, प्लीज आप विराजिये। मेरा अधिकार है, आसन ने मुझे इजाजत दी है, आपकी इजाजत की जरूरत नहीं।

श्री सभापति: आप विराजिये। माननीय सदस्य।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरा निवेदन है कि जो वार्षिक प्रतिवेदन है, उस वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 के बारे में जो कुछ भी कहना है, वह कह सकते हैं। इस वार्षिक प्रतिवेदन से बाहर जाकर आपको कहने का अधिकार नहीं है, यह कोई दूसरी डिबेट नहीं है, प्रतिवेदन पर डिबेट है। इसलिए वसुंधरा जी का नाम लेना या किसी और का नाम लेना, अनर्गल बातें करना, अपनी पीड़ा को बाहर बताना, आपसी झगड़े को बताना, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए आप बार-बाप उत्तेजना पैदा करते हैं, आपको कंडेम किया जाता है, अनावश्यक बातें हटायी जाएं।

श्री सभापति: इसको विलोपित किया जाए, जो भी देखकर।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री सभापति: आप विराजिये। विराजिये माननीय सदस्य। श्री अतुल भंसाली।

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, जब हमारी संविधान सभा बनी थी और हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष माननीय..

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान)... कुछ मामला तो चल रहा है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ...(व्यवधान)... कल आपने कहा था कि जूली साहब की जगह मैं बन रहा हूं, वह सही है। बन गये, मेरे बड़े भाई उधर बन गये, आपका नंबर नहीं लगा तो नहीं लगा। इसलिए हमारी क्या पीड़ा है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जूली साहब ने तो सरकार की बैंड बजा रखी है।

mdp/rtm/30.07.2024/16:10/2q

श्री सभापति: ये यहां पर कह रहे हैं आप। विराजिए। माननीय सदस्य।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ये जो बार-बार, आप लोगों के बीमारी है, ये हमारे नहीं है। हम एकदम परिवार की तरह हैं, भाई की तरह हैं, कोई मतभेद नहीं हैं। सदन में कहलवा लो, सड़क पर कहलवा लो, दिल्ली में कहलवा लो, तुम्हारी मर्जी जहां कहलवा लो, परंतु इस चीज को यहां बार-बार कहने की जरूरत नहीं है। ...(व्यवधान)... लड़ाई आपके चल रही है। आपकी नहीं मिट रही है तो हमारे जबरदस्ती क्यों कराना चाह रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता, हमारी सुन लीजिए। ...(व्यवधान)... भाई साहब, हमारी सुन लीजिए। हम एक है, एक थे, एक रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एकमुखी है, आपकी तरह ये नहीं कहता है कि प्रदेश का अध्यक्ष निकम्मा है, नाकारा है, हम नहीं कहते। ...(व्यवधान)... प्रदेश का मुख्य मंत्री ये नहीं कहता, हम एक हैं और एक रहेंगे।

श्री रामकेश (गंगापुर): अगर आप एक हैं तो किरोडी लाल जी को बुलाइए। ...(व्यवधान)... बुलाइए। एक दिन भी नहीं आए।

श्री सभापति: आप सब विराजिए। श्री अतुल भंसाली।

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): कृपया मेरे बोलने के अधिकारों का हनन मत कीजिए। माननीय सभापति महोदय, आज हम ...(व्यवधान)... राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग।

श्री सभापति: आप सब विराजिए। ...(व्यवधान)... बैठिए, माननीय सदस्य।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, जूली साहब ने हमारी बैंड बजायी या नहीं बजायी, वह तो पता नहीं, पर डोटासरा जी ने जूली साहब की जरूर बैंड बजा रखी है।

श्री सभापति: विराजिए। श्री अतुल भंसाली।

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, आज मुझे राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पर बोलने का जो मौका दिया। भारत के संविधान के निर्माता, संविधान सभा के अध्यक्ष डाक्टर भीमराव अम्बेड़कर जी ने 26 जनवरी, 1950 को जब, संविधान सभा ने संविधान लागू किया, उसमें मूल रूप से भारत के नागरिकों के अधिकार और उन अधिकारों को किसी भी तरह से कहीं भी कुचला न जाए, इसको ध्यान में रखते हुए व्यवस्था रखी।

चूंकि हमारे देश के नागरिक सदियों से गुलामी की वेदना झेल रहे थे और यह सर्व विदित है कि सरकार लोक कल्याणकारी नीति की भावना से नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करेगी, ऐसा संविधान में निहित है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान प्रदेश में भी वर्ष 2000 में सर्वप्रथम राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। उस दिन से अभी तक समय-समय पर इस आयोग में व्यवस्थाओं के हिसाब से सदस्य, अध्यक्ष परिवर्तित होते हैं। जन समस्याएं और जो मानव अधिकार आयोग को आवेदन करता है, उनकी जांच पड़ताल कर जो भी रिपोर्ट होती है, वह देते हैं। उसमें जो भी एक्शन लेना होता है, वह करते हैं।

सभापति जी, पिछले 5 वर्ष में 2019 से लेकर 2023 तक की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है और माननीय सदस्य, मेरे पूर्व हरिमोहन जी जब इसका उल्लेख कर रहे थे तो उन्होंने सबसे बड़ी जो सूची बताई और सबसे ज्यादा कम्प्लेंट जिस विषय में आयी हुई है, वह आयी हुई है पुलिस और प्रशासन के जनता के ऊपर जो दमन है, उसके लिए। चूंकि हम सबने

पिछले 5 वर्ष के अन्दर जो शासन व्यवस्था थी, उस शासन व्यवस्था के अन्दर जिस तरह से हमने मानव अधिकारों का हनन देखा, चाहे वह किसी भी धर्म विशेष के जुलूस आयोजन में डीजे को बंद कराना हो, जुलूस निकालने पर प्रतिबंध हो, कितनी संख्या में लोग जाएंगे, यह भी पुलिस और प्रशासन के द्वारा डरा-धमका कर उन लोगों के बीच में इस तरह से प्रभाव डालने का प्रयास किया गया। मैं समझता हूं कि आजाद हिन्दुस्तान के अन्दर नागरिकों के इस तरह मानव अधिकारों का और उनके धार्मिक अधिकारों का हनन होते हुए हमने कभी नहीं देखा। डीजे कौनसा बजेगा, उसमें भजन कौनसा बजेगा, कितने लोग जाएंगे, किस रास्ते से जाएगा, 20 लोग जाएंगे, 40 लोग जाएंगे, वह भी सरकार तय करेगी। इस तरह जो अधिकारों का हनन हुआ है, वह पिछली सरकार के समय 2019 से 2023 तक हमने देखा है।

सभापति जी, इस पूरे प्रतिवेदन के अन्दर एक भी शब्द, जितनी भी तथ्यात्मक रिपोर्ट और केस इस प्रतिवेदन में दिये गये हैं, उस बारे में एक भी शब्द कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का उल्लेख है कि हमने किस-किस विषय पर कितने-कितने, महिलाओं के ऊपर, बाल अत्याचार के ऊपर, पुलिस के ऊपर, प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर, कहां-कहां, कितने केस दर्ज हुए और कितने केसों का निपटारा हुआ।

मैं मानता हूं कि मानव अधिकार आयोग की संरचना और उनका कार्य उल्लेखनीय है। परंतु 11 हजार से अधिक केस आज भी लंबित हैं। उन पर सुनवाई होकर आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मैं उस जोधपुर से आता हूं, जहां दो वर्ष पूर्व दंगे हुए थे, तब मानव अधिकारों का नंगा नाच और पुलिस का नंगा नाच हमने सहन किया और देखा भी है। आदरणीय गर्ग साहब, उस समय जोधपुर भी पधारे थे। उनके सामने हमने निवेदन भी किया था। जिस तरीके से एक समाज विशेष की तरफ तुष्टिकरण की नीति को अपनाते हुए जिस तरह मानव अधिकारों का हनन हुआ, हमने उसकी शिकायत भी की थी, उसका कोई भी रिकॉर्ड इस प्रतिवेदन में दर्ज नहीं है। किस तरह से लोगों को असत्य केस में फंसाया गया। उन सबकी सूचना होने के बाद में, आयोग के सदस्य भी वहां पधारे थे, उसका संज्ञान लेने के लिए, उसका भी इस प्रतिवेदन में कही जिक्र नहीं किया गया है।

मैं समझता हूं कि ये पूरा प्रतिवेदन और 2023 की प्रतिवेदन रिपोर्ट इसमें लिखी गयी है। ये तुष्टिकरण को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये सरकार केन्द्र में उसी के साथ है, जो इंडी गठबंधन है और वही इंडी गठबंधन है जिसका स्वाति मालीवाल जैसे केस के अन्दर जो चाल और चरित्र था, वह पूरे देश और दुनिया के सामने आया था। मैं इस प्रतिवेदन में ऐसे तथ्यों को समावेश नहीं करने के लिए सदन से गुजारिश करूंगा कि भविष्य में इस तरह के कोई भी तथ्य हो, बिना छिपाए, सरकार के दबाव के बिना प्रतिवेदन में पेश किए जाए। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री श्रवण कुमार।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सभापति महोदय, एक मिनट मुझको पेश करना है।

श्री सभापतिः एक मिनट विराजिए।

शासकीय वक्तव्य

सलूम्बर के जावरमाइंस थाना क्षेत्र में शिक्षक की हत्या

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): शंकरलाल की हत्या के सम्बन्ध में सरकार का स्पष्टीकरण देना था।

माननीय विधायक श्री थावर चंद जी, श्री पितराम जी काला, श्री डूंगरराम जी गेदर ने शिक्षक हत्या के सम्बन्ध में स्थगन के मार्फत उठाया था और हमें निर्देश दिया गया था कि इसकी वस्तुस्थिति से सदन को अवगत कराया जावे।

दिनांक 25/07/2024 को शाम को करीब 5.30 बजे शंकरलाल मकान के बाहर खुली परसार में बैठा था। फतेह सिंह नंगी तलवार लेकर आया और शंकर लाल पर पीछे तलवार से वार किया, जिससे शंकरलाल की मौके पर मृत्यु हो गयी। बीच-बचाव में शंकरलाल का पिता डालचंद घायल हुआ, जिसको उदयपुर इलाज के लिए ले जाया गया और जैर इलाज एमबीएचएस, उदयपुर में भर्ती है। घटना पर प्रकरण संख्या 120/2024 अंतर्गत धारा 332सी, 115(2), 103 (1), भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट एवं धारा 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया है।

दौराने अनुसंधान आरोपी फतेह सिंह ने जिस धारदार हथियार से शंकरलाल मेघवाल की हत्या की थी, उसी हथियार से स्वयं का गला काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। जिसको घायल अवस्था में एमबीएचएस, उदयपुर ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जिस पर फतेह सिंह के पिता की रिपोर्ट पर मर्ग संख्या 8/24 दर्ज कर, फतेह सिंह की लाश का पोस्टमार्टम कर दिनांक 27/07/24 को परिजनों को सुपुर्द किया गया, जिसका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। दिनांक 28/07/24 को मृतक शंकरलाल के परिजनों से वार्ता के बाद शंकरलाल की लाश का पोस्टमार्टम कर लाश को परिजनों को सुपुर्द किया गया। दिनांक 29/07/24 को शंकरलाल का अंतिम संस्कार किया गया है। वर्तमान में कानून व्यवस्था सामान्य बनी हुई है। धन्यवाद।

Ans/rtm 16.20 3a 30.07.2024

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सरकार ने क्या मदद की, क्या मंशा है? हम कह रहे हैं कि उस परिवार को कितना मुआवजा दे रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अभी अनुसंधान प्रारम्भिक स्टेज पर है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मुआवजा तो अनुसंधान से पहले भी दे सकते हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मुआवाज़े की स्टेज आएगी..

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या आएगी?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): क्या आएगी का मतलब? क्या आएगी, का मतलब? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजिए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): क्या आएगी का क्या मतलब है? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। अनुसंधान चल रहा है। अनुसंधान पूर्ण होने के बाद जो कार्यवाही होगी वह होगी, आप विराजिए। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, जब उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या हुई, हमारी सरकार ने उस परिवार को 50 लाख रूपये और उनके दो बच्चों को नौकरी दी। उसमें भी गला कटा था, इसमें भी गला कटा है। यह चूंकि गरीब है, दलित है इसलिए आप इसकी मदद नहीं करना चाहते। ...(व्यवधान)... जब कन्हैयालाल की हत्या हुई और हमने 50 लाख रूपये दिए वह भी आपने कम बताए और पूरे प्रदेश को गुमराह भी आपने किया कि उसको 5 लाख रूपये दिए हैं, जयपुर में 50 लाख रूपये दिए हैं। मैं यह कहना चाहूंगा, यह डिफरेंस मत करिए दलित व अन्य में। जब दलित की मौत हुई है, पहले भी राजस्थान सरकार ने पैसे दिए हैं तो आपको पैसे देने में कहां दिक्कत आ रही है? परिवार को नौकरी देने में कहां दिक्कत आ रही है? आप जवाब दीजिए।

श्री सभापति: विराजिए। ...(व्यवधान)... आप बैठिए। मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं। आप बैठिए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता का बहुत आदर व सम्मान करता हूं। बहुत जिम्मेदारी से वह बात भी कहते हैं। क्या कन्हैयालाल की हत्या और इस शंकरलाल की हत्या को एक समान दृष्टिकोण से देखा जाएगा? ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हत्या-हत्या होती है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हत्या हत्या नहीं होती है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजिए। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, आप बैठिए। आप विराजिए, विराजिए। आप बोल रहे थे जब इनको नहीं बोलने दिया। विराजिए। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरी बात पूरी करने दीजिए।

श्री सभापति: विराजिए। सुनिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरा निवेदन है, सुनिये। सुनने की क्षमता रखिए ...(व्यवधान)... मेरी बात को पूरी होने दीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने क्या जवाब दिया? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: बात सुनिए। आप जब बोल रहे थे, वहां से किसी को नहीं बोलने दिया।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सुनने का माद्दा रखिये। ...(व्यवधान)...माद्दा रखने के बाद, अगर हिम्मत है तो मेरी बात का जवाब दीजिए, बीच में उचकिए मत, उचकिए मत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, जवाब सुनिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नियम और क़ायदों से आइये। इसमें आपको

कोई तर्क वितर्क करने का कायदा नहीं है। मुझे जो वक्तव्य देना है, वह सरकार का वक्तव्य रिकार्ड पर आ गया है, इससे ज्यादा पूछने का आपको अधिकार नहीं है। ...(व्यवधान)... बताइये कौनसे नियम में आपको अधिकार है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बोलो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मैं बोलूंगा अभी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। विराजिए ...(व्यवधान)... पहले विराजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए।

श्री सभापति: आप एक बार बात पूरी होने दीजिए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरी बात पूरी होने दीजिए। विराजिए पहले ...(व्यवधान)... मैं जवाब दे रहा हूं, बैठिए। मैं जवाब दे रहा हू, सुनिये। सुनने का माद्दा रखिये।

श्री सभापति: मंत्री महोदय बोल रहे हैं, विराजिए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पानी-पानी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): पानी की जरूरत नहीं है, आपको खूब पिलाऊंगा। ...(व्यवधान)... माननीय सभापति महोदय, कन्हैयालाल की हत्या जिस परिस्थिति में, जिस उद्देश्य को लेकर, जिस धमकी के साथ हुई, वह अलग परिप्रेक्ष्य था। जिसने हत्या की, उसने स्वयं ने उसी तलवार से स्वयं का गला काटकर आत्महत्या कर ली। इसलिए अनुसंधान विचाराधीन है। कौन-कौन इन्वाल्व हैं, किन परिस्थितियों में हुई, उसने किस वजह से की और स्वयं का गला क्यों काटा, इसलिए इस स्टेज पर इतना ही वक्तव्य है। सरकार समय-समय पर इसकी पूरी जानकारी सदन को देगी। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मुआवजा, मुआवजा ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मुआवजा तब तय होगा जब हत्या भी तय हो जाएगी। उसके बाद सरकार निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी, यह मंत्री जी का कहना है। ...(व्यवधान)... अपने स्थान पर रहिए। अपने स्थान पर रहिए। अपने स्थान पर विराजे। ...(व्यवधान)... श्री श्रवण कुमार। बोलिए, श्री श्रवण कुमार। श्री देवेन्द्र जोशी।

सदन कूप में

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। आप विराजिए।

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): पिछले पांच वर्षों में जिस तरह से ...(व्यवधान)...

(समयः बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्षः अपनी सीटों पर जाइये। सब अपनी सीटों पर जाइये। चलिए।

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्षः एक सैकण्ड। क्या विषय है, दो मिनट में। फिर मैं इनसे पूछता हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, कल सदन में जो गतिरोध था, आसन ने व्यवस्था दी थी कि सरकार जवाब देगी। हमारी कल भी यही डिमांड थी कि परिवार को उचित मुआवजा हो और सरकार परिवार को नौकरी की व्यवस्था करे, लेकिन सरकार की तरफ से जो जवाब आया है, इन दोनों ही बातों पर सरकार की तरफ से एक शब्द भी नहीं कहा गया। जब दूसरी घटना होती है, उस पर सरकार 50 लाख का मुआवजा देती है, तो क्या दलित मरता है तो उसको 50 लाख का मुआवजा सरकार नहीं दे सकती?

श्री अध्यक्षः बैठिए, हो गया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): दूसरे व्यक्ति को अगर सरकारी नौकरी मिलती है, तो क्या दलित को न्याय नहीं मिलेगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी?

श्री अध्यक्षः हो गया। अभी आपकी चर्चा मानवाधिकार आयोग रिपोर्ट पर चर्चा चल रही थी। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं हम बर्हिगमन करेंगे अध्यक्ष जी। हमको इस पर जवाब चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आपके नेता बोल रहे हैं। इतनी तमीज नहीं है क्या? आपके नेता बोल रहे हैं, फिर खड़े होकर बोल रहे हो। जब आपके नेता को मैं सबसे पहले सुन रहा हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप मुआवज़े की व्यवस्था करवा दो, हम बैठकर आराम से सुनने को तैयार है।

श्री अध्यक्षः तब तक नहीं सुनोगे? यानी यह विषय दोनों अलग है। आज की कार्यसूची है उसमें मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट है, एक तरफ सरकार का जवाब।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, यह भी मानवाधिकार ही है। ...(व्यवधान)... अध्यक्ष जी, मानव-मानव में फर्क हो रहा है। एक मानव की हत्या में 50 लाख और दूसरे की हत्या में कुछ नहीं, क्योंकि वह दलित है।

श्री अध्यक्षः इस पर राजनीति नहीं, बैठिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वहां पिछले पांच दिनों से धरना चल रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आपकी बात आ गई। इस पर राजनीति नहीं, बैठिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वहां कोई सुनवाई नहीं हो रही।

श्री अध्यक्षः आपको क्या कहना है? मंत्री जी आपको क्या कहना है? मैं दोनों पक्ष सुनकर, आप बैठिए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव लगा था उसमें इस विषय का कोई जिक्र नहीं था। आपके आदेश की हमने पालना की। आज तक की वस्तु स्थिति थी, जो अनुसंधान चल रहा है, उसकी पूरी रिपोर्ट आपके सामने पेश कर दी। अन्य जो भी विषय है, वह सरकार के संज्ञान में है। यथा योग्य सरकार अपने आप उसकी व्यवस्था करेगी, आपको उस बारे में कुछ कहने का अधिकार नहीं है। हम अपने स्तर पर व्यवस्था करेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नहीं। देवेन्द्र जोशी बोल रहे थे, बोलिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): परिवार को नौकरी ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: किसी की सुनने को तैयार नहीं हो। आप जबरदस्ती यहां दबाव थोड़े ही डाल सकते हो, सरकार घोषणा करे। आपने अपनी बात रख दी। यह लोग मुख्य मंत्री जी के साथ चर्चा करेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं दे रहे है ना ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: यह नहीं कहा, यह सरकार, मुख्य मंत्री जी से बात करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): फिर क्या करेंगे बैठकर। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मत बैठो तो। यदि आपको लगता है कि यहां बैठकर क्या करेंगे तो आप पधार सकते हो। क्या बात कर रहे हो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हम बर्हिगमन करते हैं।

बहिर्गमन

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा बर्हिगमन)

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मानवाधिकार रिपोर्ट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): दलित विरोधी कांग्रेस। दलित विरोधी कांग्रेस।

VPS-RTM-30.07.2024-16.30-3b

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उनको बोलने दें। माननीय मंत्रीजी। माननीय सदस्य श्री देवेन्द्रजी, आप बोलिये।

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट 2023-24 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, श्रवणजी नहीं गये।

श्री अध्यक्ष: ये शायद पार्टी के साथ हो या नहीं हो, उसे हमें क्या मतलब?

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): श्रवणजी यहीं पर बैठे हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं तो बोलना चाह रहा था। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आपका दल चला गया, हम क्या करें? मैं तो बुलवाता आपको। ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रवणजी के साथ में एक अजीब सी विडंबना है कि ये छह बार जीते हुए हैं। ये कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य हैं लेकिन जब भी ये जीते, तब ये विपक्ष में रहे। इसका यही नतीजा है कि आज इनका फिर बोलने का नम्बर है, फिर इनको बोलने नहीं दिया गया। यह आपके साथ अत्याचार है इसलिए आपके विधायक दल की बैठक में आप यह बात जरूर रखना। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: ठीक है, अब आप जवाब मत दो। आप बोलिये। ...(व्यवधान)...

विभिन्न विषयों पर विचार

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन
(वर्ष 2023-24) पर विचार

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट 2023-24 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और मैं आज सारे सदन का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि राज्य मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट से पहले जिस तरह से 1975 में इमरजेंसी में मानव अधिकारों को कुचला गया, उन लोकतंत्र के सेनानियों के पक्ष में आज जो इस विधान सभा में लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान का जो विधेयक पारित किया, इसके लिए मैं इस पूरी विधान सभा के सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और राज्य सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच सालों में राज्य मानव अधिकार आयोग एक सरकार की कठपुतली बना हुआ था। जो मुद्दे उसे संज्ञान में लाने चाहिए थे और जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, जिन मुद्दों पर कोई निर्णय होना चाहिए था, मुझे यह लगा कि राज्य मानव अधिकार आयोग ने खाली रिपोर्ट देने तक ही अपने आप को सीमित रखा। जिस तरह से सबसे बड़ा कांड राजस्थान में हुआ मानव अधिकारों का हनन का और जिससे पूरा प्रदेश एकदम उद्वेलित हो चुका था, उस ऐसे मुद्दे पर जब पेपर लीक के प्रकरण आये, एक माता-पिता किस तरह से अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए शहरों में भेजते थे, साल-दो साल तैयारी के बाद जब वह परीक्षा देने जाता है तो उसे यह मालूम पड़ता कि यह पेपर लीक हो गया तो यह सबसे बड़ा मानव अधिकार के हनन का मुद्दा था। राज्य मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट में इस पर कोई चर्चा नहीं की गयी। ऐसा लगता है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के पास कोई शक्तियां नहीं थीं, केवल रिपोर्ट देने के अलावा कोई काम नहीं था तो मेरा यह निवेदन है कि जो पांच साल में जिस तरह से युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ, उनके मानव अधिकारों का जो हनन हुआ है, उसका भी समावेश इस रिपोर्ट में किया जाना चाहिए।

दूसरी बात जिस तरह से तृष्टिकरण का नंगा नाच हुआ, मेरे से पहले वक्ता ने भी अभी बताया, वह जोधपुर में भी हुआ। पूरे राजस्थान में जिस तरह की घटनाएं हुईं उन घटनाओं का जिक्र भी इस मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट में नहीं है तो मेरा यह निवेदन है कि इस रिपोर्ट को पूर्ण करने के लिए पांच साल में जिस तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश में हुईं, जिस तरह से जोधपुर में हम लोगों ने मानव अधिकारों के हनन का नंगा नाच देखा, वह सब तथ्यात्मक रिपोर्ट भी इसमें आना आवश्यक है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे तृष्टिकरण का मुद्दा हो और उससे भी अधिक एक विशेष समुदाय को एक विशेष पर्व पर उनकी बिजली की कटौती नहीं हो, ऐसे तृष्टिकरण के फरमान आम नागरिकों के मानव अधिकारों का हनन करते हुए जो जारी किये गये, उसका भी उल्लेख इसमें होना आवश्यक है। मैं यह समझता हूं कि तब ही यह रिपोर्ट पूर्ण होगी।

एक बार पुनः मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि हम सभी आज जिस तरह से 1975 में आपातकाल के समय लोकतंत्र के अधिकारों को उस समय कुचला गया, मानव अधिकारों को कुचला गया, आज इस विधान सभा ने यह विधेयक पारित किया है, उसके लिए राजस्थान की सम्पूर्ण विधान सभा, आप और हम, समस्त सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इमरजेंसी के लगभग पचास साल बाद उन लोकतंत्र के सेनानियों की सुध ली है तो निश्चित रूप से उनके परिवारों को सम्बल मिलेगा, लोकतंत्र के सेनानियों को इससे सम्बल मिलेगा। मैं एक बार पुनः आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद।

श्री अध्यक्षः अभी लोकतंत्र के सेनानियों पर कहां बहस हो रही है? अभी लोकतंत्र के सेनानियों की बात थोड़े ही हो रही है? श्री अर्जुन लाल गर्ग।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पर विचार हो रहा है तो मैं सबसे पहले तो हमारे मुख्य मंत्री भजन लालजी की सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं करीबन 15-20 साल से इस विधान सभा में पक्ष में भी रहा हूं और विपक्ष में भी रहा हूं लेकिन पहली दफा यह जो राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का प्रतिवेदन, 2023-24 समय पर प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं राज्य सरकार का बहुत-बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं। कई बार मैं इन प्रतिवेदनों पर यह आब्जेक्शन भी देता हूं कि यह पांच साल, सात साल पुराने जो प्रतिवेदन है, वह पांच-पांच साल के बाद सदन में प्रस्तुत करते हैं लेकिन अब की बार इन्होंने 2023-24 का प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत किया इसके लिए सरकार का बहुत-बहुत आभार।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो 2000 में मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था और उसमें जो सरकार के न्यायालयों के द्वारा जो निर्णय होते थे, उनके अलावा जो मूल अधिकारों का कई बार हनन होता था तो मानव अधिकार आयोग उन पर कार्यवाही करता था और इसमें मुख्य उद्देश्य जो दिया गया था कि जो हमारा मजदूर वर्ग है, हमारा जो गरीब वर्ग है जो न्यायालयों तक नहीं पहुंच पाता है या हमारे जो पुलिस का अत्याचार हो,

चाहे हॉस्पिटल, पी.एच.सी., सी.एच.सी. जिला अस्पताल आदि में मरीजों के लिए कोई समय पर उनका उपचार नहीं होता था या जो अपने कारागार, वृद्धाश्रम है, उनके अन्दर जो उनके साथ अन्याय होता था तो उसकी सुरक्षा के लिए इसका गठन किया गया था। इसके साथ ही साथ बालिकाओं और महिलाओं के साथ दुष्कर्म या उनके साथ अत्याचार होता था और उनकी सुरक्षा के लिए कोई कार्यवाही नहीं होती थी तो उनके लिए मानव अधिकार आयोग काम करता था। मानव अधिकार आयोग में जो प्रकरण है उनमें करीब 5,076 प्रकरण है, उनमें निस्तारित 2,876 ही हुए हैं और विचाराधीन करीबन दो हजार है तो मेरा निवेदन है कि इसमें यह जो पूरे प्रकरण प्राप्त होते हैं, उनके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं होती? इसके लिए एक तो बहुत बड़ी कमी है वह है स्टाफ की कमी। इनको जो संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, उनकी उपलब्धता नहीं होती है तो इस कारण से इनमें कमी रहती है तो मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है सरकार से कि इनको संसाधन उपलब्ध करवाये जाये और इनको जो स्टाफ की कमी है, उस स्टाफ की कमी को पूरा किया जाये।

मेरा आपसे यही आग्रह है। मैं पुनः सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने समय पर जो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

श्री अध्यक्षः श्री कुलदीप धनखड़।

श्री कुलदीप (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, राजस्थान ऐसी परिस्थितियों से हमेशा गुजरता रहा है। मैं लगातार 2003 से 2023 तक के सारे आकडे देख रहा था और जिस मानव योनि में हमारा जन्म हुआ है और शास्त्रों में यह लिखा है कि 84 लाख योनियों में से हमें एक मानव योनि प्राप्त होती है और यह मानव योनि मानव के कल्याण के लिए है।

महोदय, बहुत सारे ऐसे वृत्तांत मैंने देखे हैं, बहुत सारे विषय हमारे सामने आते भी रहते हैं तो आज उन माताओं-बहनों को मैं देखता हूं, ऐसे बच्चों को देखता हूं, जिनके पास समय पर दो वक्त की रोटी उनको मिलती नहीं है और न्याय की गुहार करते करते वे थक जाते हैं, टूट जाते हैं।

SSY/RTM/30.07.2024/16:40/3c

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सेंसेटिव बिन्दु है जिस पर मैं सदन का बहुत-बहुत और आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं इस विषय पर कि आज आपने इस प्रतिवेदन पर, इस वाद-विवाद में मुझे शामिल करने का अवसर दिया है।

महोदय, मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए मैं सबसे पहले हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री, हमारी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी सरकार बहुत

संवेदनशील है। मानव की हर एक समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत है। मैं कांग्रेस सरकार के बहुत सारे आंकड़े देख रहा था। मानवाधिकार आयोग का निर्माण जो हुआ, वह मानव के सम्मान की, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना जरूर, जब मुझे बोलने का अवसर मिला है, लेकिन सामने विपक्ष है नहीं, बहुत सारे विषय मैं रखना चाहता था। लेकिन ऐसा विषय मेरे सामने आया कि जब मुझे बोलने का अवसर मिला और विपक्ष गायब हो गया।

एक माननीय सदस्य: वह देख रहे हैं।

श्री कुलदीप (विराटनगर): देख रहे हैं। लेकिन अच्छा लगता उनके सामने बैठकर बातचीत करते।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): यह आपके मानवाधिकार का हनन है।

श्री कुलदीप (विराटनगर): यह मानवाधिकार का हनन है। ऐसे विषय, जो ऐसे बच्चों के साथ जो अत्याचार हुए, ऐसे ही माता-बहनों के साथ अत्याचार हुए। कांग्रेस के शासन में जो-जो इस प्रकार के अत्याचार हुए उनकी सरकार ने उन पर क्या इस प्रकार का कोई, ऐसा निर्णय करवाया या किसी को न्याय दिलाने का काम किया। यह मानवाधिकार का निर्माण आखिर किस उद्देश्य के लिए किया गया था?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि हर व्यक्ति यह चाहता है, जो हमारी आजादी के बाद हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेड़कर जी ने जो हमारे, देश को संविधान देने का काम किया था। हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार मिले और हर व्यक्ति अपना जीवन-यापन आसानी के साथ कर सके, इसी उद्देश्य के साथ किया था। मैं उनको प्रणाम भी करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आज वास्तव में हमारी सरकार ने तो चिंता की है, मैं 2003 की बात भी करना चाहता हूं। भाजपा की राजस्थान में सरकार थी। 2008 में कांग्रेस का राज आया। 2013 में हमारा राज आया। 2018 में कांग्रेस का शासन आया। मैंने जितने भी विधान सभा चुनाव हुए और जितनी भी सरकारें बनी, उनके आंकड़े देखे हैं। कांग्रेस के राज में मानव के साथ, जो हमारे पीड़ित लोग थे, चाहे वह दलित भाई हों, राजस्थान में कांग्रेस के जमाने में दलित भाइयों पर अत्याचार हुआ। उनकी सरकार पीछे हटती थी।

वह जब कहते हैं, वह आज एक विषय निकालकर लाये, हम भी चाहते हैं कि जिसके साथ ऐसा घटनाक्रम हुआ, उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आपके शासन में ऐसे कितने लोग शामिल थे, ऐसे कितने लोग थे जिन पर अत्याचार हुआ और कितने लोगों को आपने न्याय दिलाने का काम किया? अगर हमारे आंकड़े उठाकर देखोगे, मैंने तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा है, आपके, कांग्रेस के शासन में और भारतीय जनता पार्टी की जितनी हमारी सरकारें रही हैं, अगर मैं उनको कंपेयर करुं तो आपके शासन में, आपके राज में, कांग्रेस के जमाने में, जिनके साथ अन्याय हुआ, जो पीड़ित लोग थे, उनको न्याय नहीं मिला। कांग्रेस फिर इस प्रकार की बातें करती है। न्याय

दिलाने की बातें करती है।

जब आप राज में होते हो तो तब कुछ अलग होते हो और जब आप विपक्ष में होते हो तो आपकी भूमिका अलग होती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रार्थना और करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विपक्ष को कह रहे हो ना?

श्री कुलदीप (विराटनगर): जी साहब।

श्री अध्यक्ष: या इनको कह रहे हो?

श्री कुलदीप (विराटनगर): नहीं, मैं विपक्ष को कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि अभी एक विषय है, हालांकि इससे सम्बन्धित है नहीं, लेकिन हमारे बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य के द्वारा आज आसन की ओर इंगित करते हुए एक शब्द का प्रयोग किया है, कि +++ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादित बात रखनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र के माध्यम से हम जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं। लेकिन आसन का हमारे लिए बड़ा सम्मान है। ऐसे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन पर रोक भी लगाई जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसे-ऐसे हमने परिवार देखे हैं, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था।

श्री अध्यक्ष: मानवाधिकार पर बोलना है। हां, रिपोर्ट पर।

श्री कुलदीप (विराटनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक वाक्य के द्वारा अपने विचारों को रखना चाहता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जब तक सरकारों की योजनाओं का लाभ, सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनका लाभ आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को नहीं मिलेगा, तब तक हमारे हिन्दुस्तान का विकास नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इसलिए कहना पडा कि जब एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता तो इस मानवाधिकार आयोग के माध्यम से हमारे हर व्यक्ति को न्याय मिले।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बाकी लोगों से भी मेरा निवेदन है कि यह रिपोर्ट पर है। ना कि मानवाधिकारों पर बहस है। उस रिपोर्ट की जो बात है, उस रिपोर्ट में से कुछ बताना चाहो, उसका कोई पोस्टमार्टम करना चाहो तो जरूर करो। रिपोर्ट तो पढ़ी नहीं, उस पर अपन चर्चा करेंगे तो कोई लाभ नहीं। रिपोर्ट पर कोई बहस करते हो तो आप 5 मिनट में समअप करिये।

श्री कुलदीप (विराटनगर): अध्यक्ष महोदय, यह जितना मेरे संज्ञान में था, मैंने रखने का प्रयास किया है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री बालकनाथ जी। रिपोर्ट पर।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): अध्यक्ष महोदय, यह जो रिपोर्ट है, यह पिछले वर्ष की रिपोर्ट है। विपक्ष तो है नहीं अभी सामने। क्योंकि मानवाधिकार आयोग की चर्चा है, लेकिन जहां भी कहीं होंगे उनके पूर्वजों की आत्मा भी सुनेगी।

जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में राजस्थान के अन्दर मानवाधिकार, जिस प्रकार से मानव के अधिकारों का हनन हुआ है, यह राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरा देश जानता है। अनेकों ऐसी घटनाएं राजस्थान में घटित हुई जिसके लिए राजस्थान भी शर्मसार हुआ पूरे देश के सम्मुख।

बलात्कार की घटनाएं हों, चाहे वह भू-माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से जमीनों को कब्जाने की घटनाएं हों, चाहे एक संप्रदाय विशेष के लोगों का उस समय राजस्थान के अन्दर बोलबाला था। उन लोगों के द्वारा हमारे हिन्दू समाज को डराना, धमकाना और उससे भी आगे बढ़कर उन व्यक्तियों की निर्मम हत्याएं करना, यह सभी मामले पिछले 5 वर्ष में हम सबको राजस्थान में सहने को, सुनने को और देखने को मिले हैं।

मैं विपक्ष का ध्यान उन सभी विषयों की ओर ले जाना चाहूंगा जो पिछले 5 वर्षों में घटित हुए हैं। मुख्य रूप से अभी विपक्ष, जब मैं आया था तो कन्हैया की हत्या की चर्चा हो रही थी। कन्हैया की हत्या क्यों हुई? किस कारण हुई? किस उद्देश्य से हुई? वह ना केवल राजस्थान जानता है अपितु पूरा देश जानता है।

जिस प्रकार से कन्हैया को धमकियां मिली, एक संप्रदाय विशेष के लोगों के द्वारा और केवल उसकी हत्या करने की मानसिकता, उसकी हत्या करने की सोच और विचार एक ही था कि अगर तुम हमारे धर्म के विपरीत चलोगे, हमारी बातें नहीं मानोगे तो कन्हैया की हत्या नहीं थी वह, वह सभी उन हिन्दू धर्म में, हिन्दू धर्म को मानने वाले लोगों की हत्याएं थी। उनको एक संदेश देने की हत्या थी कि कन्हैया के माध्यम से, तुम सबका भी वही हश्र होगा जो कन्हैया का हुआ है।

ऐसा संदेश उस हत्या के माध्यम से उन लोगों ने देने का काम किया। उन लोगों को संरक्षण उस समय की सरकार, कांग्रेस का शासन था। यह स्पष्ट है कि देश के अन्दर जहां-जहां, जब-जब, जिस-जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार आती है तो उस समय बाबर के पुजारी खड़े हो जाते हैं। उनके सिर ऊपर उठने लग जाते हैं। यह घटनाएं देश के अन्दर आज भी जिस राज्य के अन्दर कांग्रेस की सरकार हैं, वहां-वहां पर हम सबको देखने को मिलती है।

आज वह मुआवजे की बात करते हैं। सरकार मुआवजे के ऊपर चिंता करेगी। यह उनका काम नहीं है। आज राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपने राजस्थान प्रदेश की जनता की सेवा करने का अवसर दिया है। जिस भी भाई की हत्या हुई है, कोई भी समाज का व्यक्ति क्यों ना हो, राजस्थान सरकार की प्राथमिकता है कि वह सभी नागरिकों को समान रूप से सुरक्षा देगी। सभी नागरिकों का समान रूप से विकास करेगी और सभी नागरिकों को समान रूप से न्याय देगी।

जिस भी उद्देश्य से उसकी हत्या हुई है, सरकार उसकी जांच करेगी। लेकिन कन्हैया की

हत्या से उस हत्या को जोड़ना, मैं मानता हूं कि विपक्ष आज इस समय वहां पर उपलब्ध नहीं है, वह केवल इसी कारण नहीं है क्योंकि उनके पास में कोई जवाब नहीं है। आज अनेको वाद-विवाद यहां से आयेंगे, पुरानी बातों पर चर्चा होगी कि पिछले 5 वर्ष में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों घटनाएं घटित हुई?

Spp/Rtm/30.07.2024/16:50/3d

उन पर प्रकाश डलेगा। राजस्थान की जनता सुनेगी, इस बात से डरकर विपक्ष यहां से भागा है। यह तो खाली उनका इस बात को भ्रमित करने का, विधान सभा नहीं चलने देने का एक उददेश्य मात्र है ताकि उनके किये हुये पिछले पांच वर्षों के जो काम थे, वह यहां सुनने को नहीं मिलें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को उस ओर ले जाना चाहूंगा। यह विपक्ष मानवाधिकारों की बात करता है, जिन्होंने कभी मानवाधिकारों की रक्षा नहीं की। सबसे बड़ा मानवाधिकार का हनन तो देश की आजादी के समय हुआ था। तब सत्ता के लिये कांग्रेस ने अपनी कुर्सी की प्राप्ति के लिये उस समय के देश के पहले प्रधान मंत्री ने मैं मानता हूं कि उस समय का भारत नहीं, आज से पहले जब अंग्रेजों ने भी राज किया था, ऐसा नरसंहार कभी नहीं हुआ था। जब विभाजन के समय पर हमारे हिन्दू भाइयों का मार-मारकर ट्रेनों में भरकर भेजा गया था। उस समय का भी आज इस सदन में इस चर्चा के अन्दर मानवाधिकार की रक्षा और मानवाधिकारों की बात करने वाले इन कांग्रेस के लोगों को ध्यान होना चाहिये कि तुम्हारे अन्दर भी वही सोच है कि तुम सत्ता के लिये कुछ भी कर सकते हो, तुम अपनी खुद की अवैध सम्पत्तियों को बढ़ाने के लिये कुछ भी कर सकते हो।

अध्यक्षजी, पिछले पांच वर्षों में अनेकों ऐसी घटनाओं के साथ में साधु-संतों की भी बहुत हत्या हुई। जिसमें भरतपुर की घटना का मैं जवाब मांगना चाहता हूं विपक्ष से, कि उन्होंने उस समय पर क्या किया? सबको ध्यान है कि संत विजयदास ने आत्महत्या की। किसके लिये की? वन क्षेत्र को बचाने के लिये की। किसके लिये की? भगवान श्री कृष्ण के उस समय के आदि बद्री, केदार बद्री, उन पवित्र स्थानों को बचाने के लिये उन्होंनें आत्महत्या की और उस आत्महत्या के पीछे कौन था? कौन व्यक्ति थे, उस हत्या के पीछे? उन्होंने आत्महत्या करने पर उनको मजबूर क्यों किया गया? क्योंकि उस समय के मंत्री ने उनके ऊपर मानसिक रूप से इतना दबाव बनाया था। उसकी भी जांच होनी चाहिये कि उनको आत्महत्या करने पर विवश क्यों होना पडा था। यह भी विचार होना चाहिये। इस रिपोर्ट के अन्दर यह भी आने वाले समय पर जो त्रुटि रही है इस रिपोर्ट के अन्दर, उनके ऊपर भी हमें विचार करना चाहिये, क्योंकि यह रिपोर्ट मैं मानता हूं कि यह पूर्व की सरकार की बनायी हुई रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट की पुनः जांच हो और इस पुनः इस रिपोर्ट के अन्दर उन बातों को भी डाला जाये कि उस समय पर मानवाधिकारों का किस प्रकार से हनन हुआ था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्दिर-माफी की जमीनों को अवैध रूप से कब्जाने के लिये

भूमाफियाओं ने जिस प्रकार से संत विजयदास से लेकर उसके आगे चलेंगे तो यही हमारे डिग्गी गांव के अन्दर मैं खुद उस समय गया था। डिग्गी शहर है भरतपुर के पास में, वहां पर एक संत की निर्मम हत्या हो जाती है। क्यों, क्योंकि कि उनको अवैध रूप से उस मन्दिर की भूमि को कब्जाना था। करौली के अन्दर एक संत को पेट्रोल डालकर मार दिया जाता है भूमाफियाओं के द्वारा। उसकी भी जांच होनी चाहिये कि उस समय पर उस संत को पेट्रोल डालकर क्यों मारा गया? क्योंकि उस समय कांग्रेस के भूमाफिया टाइप के लोग थे, वह सब लोग राजस्थान पर हावी थे इस प्रकार से जमीनों पर अवैध कब्जा करने के लिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर अभी चर्चा हो रही थी कि कन्हैया को 50 लाख रुपया मुआवजा दिया। 50 लाख का मुआवजा विपक्ष ने दिया नहीं, उनके ऊपर दबाव डालकर उनके मुंह में जुबान डालकर उनको दिलवाया गया है, नहीं तो यह कहां उनको 50 लाख रुपये देने वाले थे। जिस प्रकार के आन्दोलन हुये, उसके कारण इनको 50 लाख रुपया देना पडा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जहां रोड एक्सीडेंट में एक व्यक्ति मारा जाता है, आज हमारा पिछड़ा वर्ग या हमारे एस.सी. समाज की बात करने वाले वह लोग कहां गये? रोड एक्सीडेंट के अन्दर जो जयपुर की घटना है, आज रोड एक्सीडेंट के अन्दर यदि कोई मारा जाता है, उस प्रकार से पूरे मार्केट को एक समुदाय विशेष के लोग मार्केट को बन्द करते हैं। आज भी उन एस.सी.समाज के 12 लोगों को जेल के अन्दर डाल रखा है। वह कहां का न्याय है एस सी समाज के लोगों के साथ। उसकी क्या गलती थी? यह जवाब भी विपक्ष को देना चाहिये। अनेकों ऐसी घटनाएं प्रदेश में घटीं, लेकिन सरकार को कोई संज्ञान नहीं। वह भी मानवाधिकार की बात करते हैं जिन लोगों ने हमारे पड़ोस के जिले भरतपुर के अन्दर एक गौ-तस्कर मारा जाता है। उस गौ-तस्कर की हत्या हो जाती है किसी दूसरे राज्य के अन्दर, जिसके खिलाफ 10 मुकदमे होते हैं गौ-तस्करी के, उसके घर पर जाकर मुख्य मंत्रीजी 25 लाख के मुआवजे की घोषणा करके आते हैं। यह राजस्थान की जनता के साथ में न्याय है? एक सम्प्रदाय विशेष का व्यक्ति मरे, उसकी हत्या हो तो उसको 50 लाख रुपया मुआवजा पूर्व की सरकार देती है और एक आम बहन-बेटी की इज्जत सरेआम नीलाम हो, इस राजस्थान की जनता ने वह दिन देखा है जब राजस्थान के अन्दर वह समय, जो आज से 5 हजार साल पहले घटना घटित हुई थी, द्रोपदी का चीरहरण हुआ था, वैसी ही घटना हमें राजस्थान में पिछले पांच वर्षों में देखने को मिली और उसके लिये पूरा राजस्थान लज्जित और शर्मसार हुआ। यह कांग्रेस के टाइम की घटना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देख था कि कांग्रेस के लोग, जब इनके एक विधायक ने संत समाज पर अंगुली उठायी तो इस प्रकार से सब लोग हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, इनके पूर्व मंत्री की जुबान रूकती नहीं है, वह गलत शब्दों का विधान सभा में प्रयोग करते हैं और सब कांग्रेस के लोग हंस रहे थे। मुझे यह देखकर प्रतीत हो रहा था कि यह वही कौरवों की सभा है, जब द्रोपदी का चीरहरण हो रहा था तो जिस प्रकार से कौरव हंस रहे थे, आज उसी प्रकार से इस राजस्थान की विधान सभा में यह कांग्रेस रूपी कौरव हंसते हैं। लेकिन मैं

कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आने वाले समय में और वर्तमान सरकार में उन मामलों में भी, जो पिछले पांच वर्षों में राजस्थान की जनता को सहने पड़े, निर्मम हत्याएं हुईं, उन लोगों को भी न्याय इन वर्तमान सरकार में मिलेगा और जिन लोगों ने किया है, उनके किये की सज़ा आने वाले इन पांच वर्षों में निश्चित रूप से मिलेगी। मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और हम सब मिलकर मानवाधिकारों की रक्षा करें और जो पिछले पांच वर्षों में घटित हुआ है, उनका भी संज्ञान लेकर उनके परिवारों को भी न्याय देने का काम करें और भविष्य में ऐसी घटनाएं हमारे प्रदेश में घटित न हों, इसके लिये भी हम मिल-जुलकर मानवाधिकारों की रक्षा करते हुये मानव जीवन को आगे बढ़ाने का काम करें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी, जवाब दीजिये। चर्चा का जवाब दीजिये। ..(व्यवधान)..

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम भी है।

श्री अध्यक्षः नाम नहीं है। मेरे पास तो कोई नाम नहीं है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): पर्ची दी है साहब। ..(व्यवधान)... बोलने दो न पांच-पांच मिनट। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः श्री मनोज जी, बोलो। जो कभी-कभी बोलते हैं, वह बोल लो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पर चर्चा में भाग लेने के लिये मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनन्दन और स्वागत करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान राज्य में 18 जनवरी, 1999 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। पहली बार अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति मार्च, 2000 में की गयी। मानवाधिकारों में एक मानवाधिकार बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। मानवाधिकार में हम सब लोग इस बात पर जब विचार करते हैं तो सबसे पहले पुलिस प्रशासन पर हमारा ध्यान इंगित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मानवाधिकार के लिये प्रत्येक व्यक्ति को समानता, स्वतन्त्रता, गरिमापूर्ण तरीके से जीने का अधिकार, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में मूलभूत अधिकारों में वर्णित है, न्यायालय में उसको मान्यता देता है। इसके अलावा, अन्तरराष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा भी इसे स्वीकार किया गया। इन अधिकारों में सबसे पहले अधिकारों की जब विस्तृत रूप में बात करूं तो ऐसा कोई भी लोकसेवक, ऐसा कोई भी विषय मानवाधिकार से वंचित नहीं है, जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने स्वीकार किया है। प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, चिकित्सा सुविधा का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने सम्बन्धी अधिकार, महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार, स्त्री-पुरूष, बच्चे और वृद्ध लोगों में समान अधिकार। इन अधिकारों का हनन जाति, धर्म, भाषा, लिंग भेद के आधार पर नहीं होता। यह सभी अधिकार जन्मजात अधिकार हैं। इनके अलावा,

प्रत्येक 14 साल की उम्र तक के बच्चे को शिक्षा प्राप्ति एवं अपना समुचित विकास करने हेतु उपयुक्त अवसर प्राप्त करने का अधिकार भी है। इनके हनन के मामले में मामला राज्य मानवाधिकार कार्य क्षेत्र में आता है और राज्य मानवाधिकार कार्य क्षेत्र में जब हमारा पूरा प्रत्येक नागरिक हर तरीके से अपने हक और अधिकार में जब शामिल होता है, तो फिर मानवाधिकार का विस्तार बहुत बड़ा है, जो जीव से लेकर, जन्तु से लेकर, व्यक्ति से लेकर, पर्यावरण से लेकर, चिकित्सा से लेकर इस प्रकृति पर हर चीज पर हर नागरिक को मांगने का मानवाधिकार का हक और अधिकार है।

(समय: बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

इसमें मानवाधिकार का उल्लंघन या उसमें उपशमन या उससे किसी लोकसेवक द्वारा उल्लंघन को रोकने में उपेक्षा और शिकायत की जांच करने का अधिकार मानवाधिकार को है। माननीय सभापति महोदय, मानवाधिकार आयोग में लोकसेवक द्वारा मानवाधिकार आयोग के कार्यवाही करने की जब सख्ती का मौका आता है, उस समय में हम अपने आप में बड़ा विचलित महसूस करते हैं। मैंने कल मानवाधिकार आयोग के हमारे वार्षिक प्रतिवेदन के दो फैसलों को पढ़ा। जिसमें एक फैसला राजेन्द्र कुमार जांगिड़ 18 अप्रेल, 2015 को दुबई विदेश जा रहा था।

MLS/RTM/30.07.2024/17:00/3e

श्री सभापति: माननीय सदस्य, फैसलों पर चर्चा नहीं करें। मानवाधिकार पर आपको यदि कोई बात रखनी है तो रखें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मानवाधिकार का ही फैसला है।

श्री सभापति: नहीं, ये फैसले नहीं पढ़ें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): फैसला पढूंगा नहीं। मैं अपने विषय पर जा रहा हूं। प्रतिवेदन में शामिल है। प्रतिवेदन से बाहर नहीं है। नाम जो बता रहा हूं, वह प्रतिवेदन में शामिल है। प्रतिवेदन में भी नहीं पढ़ें तो फिर क्या करें? प्रतिवेदन में जो मैं उदाहरण बताना चाहता हूं, राजेन्द्र कुमार के साथ अप्रैल 2015 में घटना हुई। हमारे निदेशक विमानपत्तन जयपुर द्वारा एक निर्दोष व्यक्ति को पासपोर्ट की छोटी-मोटी छेड़खानी के नाम से गिरफ्तार करवाया गया। उसने 18 अप्रैल को उसे सांगानेर पुलिस थाने में जेल में भेजा। 21 अप्रैल को उसकी जमानत हुई। उस परिवार ने 2015 से लेकर 2023 तक, मानवाधिकार में आने के बाद भी 8 वर्ष तक सफर किया।

इस तरीके के फैसले हो रहे हैं। मानवाधिकार आयोग में सख्ती में उसे दण्ड क्या मिला? 2 लाख रुपये पुलिस का जुर्माना, 2 लाख रुपये निदेशक विमानपत्तन विभाग को। मैं यह कहना चाहता हूं कि सख्ती का विस्तार किया जाना चाहिये। जब व्यक्ति के साथ इतना बड़ा अन्याय और जुल्म प्रमाणित हो जाता है तो फिर जिन लोगों ने अपराध किया है और निर्दोष

को जेल भेजा है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने की शक्ति भी मानवाधिकार आयोग को दी जानी चाहिये।

दूसरा उदाहरण मैं इसी एक फैसले में और बताना चाहता हूं। कैलाश खरोल नानूराम को पुलिस थाना भीलवाड़ा के सदर थाने में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके 151 में पुलिस लेकर आयी। पुलिस ने उसके साथ गम्भीर मारपीट की। उसका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। हाथ टूटने के बाद मानवाधिकार आयोग ने उसके पक्ष में फैसला किया। उसे सिर्फ 50 हजार रुपये की राशि दिलायी, लेकिन वहां भी मैं कहना चाहता हूं, जब व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करता है तो उस पर मुकदमा दर्ज होता है तो क्या पुलिस किसी व्यक्ति के साथ मारपीट कर दे और वह प्रमाणित हो जाये तो फिर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होकर आगे की कार्यवाही होनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, डीके वसु बनाम पश्चिम बंगाल, रिट नं. 539/1986 सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के सम्बन्ध में उस फैसले में 11 बिन्दु निर्धारित किये। हमारे 2023-24 के वार्षिक प्रतिवेदन में उस फैसले का हवाला दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं, इन 11 बिन्दुओं की किसी भी थाने में, किसी भी पुलिस विभाग के द्वारा पालना नहीं होती, इसलिए सभापति महोदय, मंत्री महोदय जब भी प्रतिवेदन पर अपना जवाब दें, अपनी बात रखें तो मैं कहना चाहता हूं, इन 11 बिन्दुओं का आप गहराई से अध्ययन करें और एक-एक पुलिस थाने में इनकी पालना कराने की हरसम्भव कोशिश की जाये। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) सभापति महोदय, दो मिनट में मैं अपनी बात पूरी करूंगा।

श्री सभापतिः विराजें जल्दी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): समानता के अधिकार में भी आपके ऑफिसर्स इस राजस्थान प्रदेश में बैठे हैं। युवाओं का एक बहुत बड़ा मामला मैं बताना चाहता हूं। भर्तियां निकलती हैं, जिम्मेदार लोक सेवक युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं। एक बहुत बड़ा उदाहरण है। 2016 में विभाग द्वारा 75 पदों पर संस्कृत विषय में एक भर्ती निकाली गयी थी। उस भर्ती में बेरोजगारों की परीक्षा हुई और बिना पात्रता जांचे चार लोगों को नौकरी दी गयी। 71 लोगों के पद खाली रख दिये। हमारे युवा बहुत बड़ी मेहनत के बाद अपने हक और अधिकार के लिए, अपनी समानता के लिए जब मैदान में आते हैं तो इस तरह के लोक सेवक अन्याय और जुल्म करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार भी मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है। हमारी महिलाएं स्कूलों में कुक कम हैल्पर में लगी हुई हैं। उन्हें सरकार न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रही है। मात्र 2 हजार रुपये महीना दे रही है। ऐसा महिलाओं के साथ भी अगर आपका मानवाधिकार नहीं दिख रहा है, सरकार स्वयं भुगतान कर रही है तो फिर इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता।

श्री सभापतिः विराजिये। श्री अशोक कोठारी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में हरियाणा बॉर्डर पर या अन्य स्टेट कोई भी हो, वहां पर पुलिस द्वारा फर्जी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर लोगों को 307 में जेल भेजने का काम कर रहे हैं। यह प्रमाणित हो गया है राजस्थान में 10 मुकदमों में, हरियाणा के प्राइवेट हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जिन लोगों को जेल कटाने का काम किया है, मैं तो कह रहा हूं पूरे राजस्थान में जिन भी बाहर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मेडिकल रिपोर्ट्स जहां-जहां भी सम्मिलित की गयी हैं, उन सबकी जांच कराकर उन निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। यह बहुत बड़ा मानवाधिकार उल्लंघन है।

श्री सभापति: विराजें। श्री अशोक कोठारी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं कहता हूं, जिस प्रदेश में महिलाओं पर विश्वास हो तो तेजी से देश का विकास हो। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने हमें मानवाधिकार आयोग पर बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद, आभार। मानवाधिकार, ह्युमन राइट्स प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। मनुष्य के साथ पशु और पक्षी तक का अधिकार है। अस्तित्व में जितने भी जीव और जन्तु हैं, उन सबका अपना अधिकार है, पर उन सबके अधिकारों में मानव प्रवेश कर जाता है। मानव को कोई कहने वाला नहीं है उन पशु-पक्षियों के लिए। अभी शास्त्रों में उल्लेख है कि प्रभु श्री राम के दरबार में श्वान महाराज, जिन्हें अभी कुत्ते के रूप में कहा जाता है, वे उनके दरबार में न्याय मांगने गये तो भगवान श्री राम ने उन्हें न्याय दिया।

उसके बाद अभी इन्दौर की महारानी अहिल्या बाई, गोमाता उनके दरबार में न्याय मांगने गयी तो उन्होंने उन्हें न्याय दिया और अपने बेटे तक को उन्होंने सज़ा दे डाली। अभी हम वर्तमान में देखते हैं कि रोड पर जो गोमाताएं हैं, भूखी-प्यासी हैं, आप उनको इतनी पीड़ाएं दे देते हैं। अभी वर्तमान में भी तीन दिन पहले जयपुर में ही पत्रिका में था कि दस गोमाताओं को तेजाब डालकर जला डाला। ऐसी कई चीजें होती हैं। उन्हें कत्लखाने तक की पीड़ा देते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप संज्ञान में लें, ऐसा कुछ उन पशु-पक्षियों के लिए भी एक मानवाधिकार जैसा ही कानून बने और उसमें उनके भोजन से लेकर उनकी रक्षा से लेकर उनकी पीड़ा देने वालों तक के लिए होना चाहिये।

उसके साथ ही, अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसे दण्ड देना, और कठोर दण्ड भी दे सकते हैं, पर उसके साथ ही अगर व्यक्ति को बदलना चाहते हैं, उसका हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं तो भगवान बुद्ध ने अंगुलिमाल थे, अंगुलिमाल किस तरह के थे, तो भी उनका हृदय परिवर्तन प्रेम और सम्मान से कर डाला। वैसे ही भगवान महावीर के समय भी अर्जुन माली थे। उन्होंने भी प्रेम और सम्मान से उनका हृदय परिवर्तन कर डाला। हमें भी यह

देखना है कि किसी को भी हम कठोर दण्ड देते वक्त उन्हें अवसर भी दे सकते हैं और बदलने के अवसर में उन्हें सम्मान और प्रेम दें।

सदन में भी हम देखते हैं, दोनों पक्ष हैं। हां पक्ष भी है और ना पक्ष भी है। पक्ष के नेता और प्रतिपक्ष के नेता, दोनों अच्छे हैं, अपना विषय भी रखते हैं, पर हम सदस्य कभी-कभी भावनावश ज्यादा बह जाते हैं। हमें भी खुद को देखना है कि सभी के अधिकारों की रक्षा हो। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री गजेन्द्र सिंह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज सबके विचार आये। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अमेरिका भी बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। One of the most advanced, सबसे अमीर देश है, लेकिन वहां भी हम सुनते हैं कि बच्चे जो हैं, जो आर्म्स एक्ट उनका है, बन्दूक लेकर, ऑटोमेटिक वेपन लेकर स्कूल में जाकर दूसरे बच्चों को मार देते हैं। यह जो सेफ्टी है, क्योंकि मानवाधिकार और हमारी ह्यूमन सेफ्टी, हमारी जनता की सेफ्टी के लिए हमारी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है।

यह जो कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है, वह फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। हमारी इक्वैलिटी, हमारी इंडिपैंडेंस, धार्मिक अधिकार, रिलीजियस राइट्स और हमारी स्वतंत्रता को हमारे आर्टिकल 32 और 226 के तहत हमें यह प्रोटेक्शन मिलती है। ये अधिकार हर लेवल का गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी, छोटे से बड़े कोर्ट तक हम अपील कर सकते हैं। यह हमारा एक फंडामेंडल राइट है, जो कोर्ट हमें संरक्षण देता है। अपील्स भी हम कर लेते हैं। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन, यही हमारे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है हमारे देश के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में जो सरकारें चलती हैं, वहां अधिकारियों की अनियमितताएं हैं और हमारे राइट्स का हनन करने की जो चीजें हैं, पुलिस कस्टडी में पुलिस की एट्रोसिटीज हैं और जो हमारी पब्लिक बैनिफिट योजनाएं हैं, उनमें भी कई तरह की टैम्परिंग होती है, जिससे हमारे राइट्स अफेक्ट होते हैं,

mkd/rtm/30.07.2024/17:10/3f

ये सब हमारी जनरल प्रॉब्लम्स हैं, पार्लियामेंट में 1993 में नेशलन ह्युमन राइट्स कमीशन बना और हर स्टेट में, हमारे स्टेट में भी एक ह्युमन राइट्स कमीशन बना। इनका मैन रोल था, अत्याचार रोकना और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन देना। यह इनका मैन उद्देश्य था। राइट टू इंफोर्मेशन का पालन, फ्री नि:शुल्क अपील, इसको सिम्पल बनाना कि आप पत्र द्वारा, ई-मेल द्वारा अपनी कम्प्लेंट लॉज कर सकते हैं।

हमारे स्टेट के आयोग को जो पावर दी है, हमारे नेशनल आयोग को, कि न्यूज, प्रिन्ट, टीवी, मीडिया के आधार पर भी वे एक्शन ले सकते हैं। राजस्थान ह्युमन राइट्स कमीशन की वर्ष 2000 में घोषणा हुई और यह बना।

आपके माध्यम से मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि 2023 के अन्दर 5 हजार 76

कम्प्लेंट्स रजिस्टर्ड हुईं, जिसके अन्दर 3 हजार 130 उस वर्ष में क्लियर हुई। हमारी सरकार ने 2024-25 के अन्दर 01.01.2024 से 30.06.2024, मतलब 6 महीने के अन्दर, हमारी सरकार की सीरियसनेस यह प्रमाणित करती है कि 2 हजार 417 कम्प्लेंट्स थीं, जिनमें से 3 हजार 502 क्लियर की हैं। मतलब, कम्प्लेंट्स 2 हजार 417 और क्लियर हुईं 3 हजार 502, ये कैसे? क्योंकि हमने पुरानी सरकार का बैकलॉग 1 हजार 85 केसेज भी किये हैं। हमारे भी कोई लम्बित नहीं रखे हैं, हमने बैकलॉग को भी 6 महीने में क्लियर किया। यह प्रमाणित करता है कि हमारी सरकार ह्युमन राइट्स के प्रति कितनी सीरियस हैं।

हमने कई कैम्पेन चलाये, आयोग आपके द्वार, पांच कोर्ट कैम्प्स लगे, कई प्रोग्राम किये, मानव अधिकारों की जाग्रति के कार्यक्रम हुए और कई जगह अचानक सात जगह बड़े-बड़े निरीक्षण भी हुए। यहां पर जो हमारी सैंक्शंड पोस्ट 69 हैं, उसमें से अभी 29 वर्तमान में हैं और 40 जो वैकेंट हैं, हमारी सरकार उन वैकेंसीज को प्लेसमेंट एजेंसी के जरिये, बिलकुल कोई बैकलॉग नहीं रखा है।

यहां पर हमारा आयोग है। यहां पर श्री गंगाराम जी मूलचन्दानी हैं, रिटायर्ड जस्टिस, राजस्थान हाईकोर्ट, ये इसके चैयरमेन हैं, प्रेसीडेंट हैं। इनके नीचे रामचन्द्र सिंह झाला, मैम्बर हैं, जो 16.01.2023 को अपाइंट हुए, वे राजस्थान हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं। एक दूसरे मैम्बर हैं, अशोक के. गुप्ता, वे रिटायर्ड आईपीएस है। उनको भी 28.06.2024 को यहां पर मैम्बर बनाया गया तो तीन लोगों की यह मैन कमेटी है जो राजस्थान के अन्दर मानवाधिकारों का प्रोटेक्शन करती है।

ये डिस्ट्रिक्टस में दौरे करते हैं और हॉस्पिटल्स, जेल, नारी निकेतन, वृद्धाश्रम, पुलिस स्टेशन और जितना भी मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, वहां नियमानुसार कार्यवाही करते रहते हैं।

सब-ज्युडिस इश्यूज इनके दायरे में नहीं आते हैं। बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा व दुष्कर्मों और भ्रूण हत्या, इन पर तुरन्त एक्शन लिया जाता है और माइंस के मजदूरों का भी निरीक्षण किया जाता है। जहां उनको हेल्थ प्रॉब्लम हैं, सिलिकोसिस के जो केसेज हैं, उनको क्या अनुदान मिल गया है, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, ये मानवाधिकार के लोग इसकी पूरी निगरानी रखते हैं।

आखिर में आपको मैं यही बोलना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि पृथ्वी पर हर प्राणी को स्वतंत्र रूप से जीवनयापन करने का अधिकार प्रकृति से मिला है। जिसको कहते हैं, बॉर्न टू बी फ्री। आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री सभापतिः सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 31 जुलाई 2024 के प्रातः के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.15 बजे बुधवार, दिनांक 31 जुलाई 2024 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)